


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिये

संघ सरकार  
(वैज्ञानिक विभाग)  
2000 की संख्या 5



**विषय-सूची**

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(iii)
विहंगावलोकन		(iv)
<b>अध्याय 1 : वित्तीय प्रबन्धन</b>		
विषय-प्रवेश	1.1	1
प्रतिवेदन का कार्यवृत्त	1.2	3
स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	1.3	9
बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	1.4	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.5	10
<b>अध्याय 2 : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्</b>		
जन जातीय क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	2.1	11
<b>अध्याय 3 : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्</b>		
प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपयोग	3.1	26
केंद्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	3.2	45
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	3.3	65
स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में देरी के कारण परिहार्य व्यय	3.4	83
एक वाणिज्यिक संगठन को अदेय लाभ	3.5	84
उपकरण की विवेकहीन खरीद	3.6	85
ठेके के कर्मचारियों का अनियमित नियोजन	3.7	86
प्रशासनिक व्यय में अनुपयुक्तता	3.8	88
<b>अध्याय 4 : गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय</b>		
कचरा भस्मक तथा विद्युत प्रजनन संयंत्र	4.1	90
<b>अध्याय 5 : दूर संचार विभाग (दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र)</b>		
योजना के परित्याग के कारण निष्फल व्यय	5.1	92
<b>अध्याय 6 : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्</b>		
विलम्ब शुल्क न लगाये जाने के कारण तीन निजी फर्मों को अदेय लाभ	6.1	96
ब्याज का परिहार्य भुगतान	6.2	98

अध्याय 7 : खनन मंत्रालय (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)		
किराये पर परिहार्य व्यय	7.1	100
अध्याय 8 : परमाणु ऊर्जा विभाग		
एक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी को अदेय लाभ	8.1	101
मसालों के विकिरणन के लिये प्रदर्शन सयंत्र का स्थापित न होना	8.2	103
परियोजना परित्याग के कारण निष्फल व्यय	8.3	105

परिशिष्ट		
I	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान तथा उनके लेखाओं की स्थिति	107
II	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान तथा उनके लेखाओं की स्थिति	108
III	बकाया उपयोग प्रमाण—पत्र	111
IV	प्रयोगशालाओं की सूची	114
V	गैर—अनुसंधान विकास कार्यकलापों पर किये गए व्यय का संस्थावार विवरण	115
VI	विदेशी दौरो का विवरण	120
VII	घरेलू परियोजनाओं पर समय अतिक्रमण दशार्ती हुई विवरणी	125
VIII	1994-99 के दौरान वैज्ञानिकों को उनके सकल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक दिया गया मानदेय	126

## प्रस्तावना

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । इस खंड में संघ सरकार के वैज्ञानिक विभागों, इन विभागों द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों तथा कुछ अन्य विभागों से संबद्ध अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों के लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा से प्रोदभूत मामलों को सम्मिलित किया गया है ।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 4 समीक्षाएँ और 13 पैराग्राफ सम्मिलित हैं । समीक्षा के शीर्षक हैं :

- (i) जनजातीय क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जबलपुर
- (ii) प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपयोग
- (iii) केंद्रीय अभियांत्रिकी, इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
- (iv) केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो 1998-99 में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे । पूर्णता की दृष्टि से विगत कुछ वर्षों के मामले, जिनको पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, उनको भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है । इसी प्रकार, मार्च 1999 के बाद के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उपलब्ध और आवश्यक होने पर उल्लेख किया गया है ।



## विहंगावलोकन

1997-98 के दौरान, वैज्ञानिक विभागों का खर्च 9451 करोड़ रु था। यह पिछले दो वर्षों में 48 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। वैज्ञानिक विभाग पर कुल खर्च में, 3794 करोड़ रु का संबन्ध परमाणु ऊर्जा विभाग से था उसके बाद अंतरिक्ष विभाग था, जिस पर 1402 करोड़ रु का खर्च हुआ। बजट आबंटन के संदर्भ में अंत में वैज्ञानिक विभागों के पास कुल 993.19 करोड़ रु के अव्ययित शेष थे। परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, पर्यावरण और वन तथा गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन विभागों ने आबंटन से क्रमशः 214.52 करोड़ रु, 206.13 करोड़ रु, 213.43 करोड़ रु और 109.05 करोड़ रु कम खर्च किए।

इस प्रतिवेदन में चार निष्पादन समीक्षाएँ और 13 पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक विहंगावलोकन निम्नानुसार है।

## समीक्षाएँ

### भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

#### जनजातीय क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर

जनजातीय आबादी में सामुदायिक स्वास्थ्य और आहार के क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुसंधान की योजना बनाने, संचालन तथा समन्वय के लिए 1984 में स्थापित क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर, निधि, वैज्ञानिक जनशक्ति और मूलभूत संरचना की कमी के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा। प्रयोगशालाओं के आवास के लिए यद्यपि, 348.50 लाख रु की लागत से भवन भी 1996 में पूरा हुआ था परन्तु विभिन्न दोषों के कारण अभी भी खाली पड़ा हुआ था। 1995-99 के दौरान, वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा शुरु किए जाने के लिए अनुमोदित 26 परियोजनाओं में से, केन्द्र ने केवल 11 परियोजनाएँ शुरु की और 7 को पूरा किया। इसने 1989 के बाद जनजातियों की विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य और आहार विवरण प्रणाली के विकास के लिए किसी अनुसंधान की शुरुआत नहीं की।

इस केन्द्र ने भी जनजातियों की जीवन शैली पर राज्य सरकार द्वारा शुरु किये गये अंतराक्षेपण कार्यक्रम के प्रभाव की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन नहीं किया। इस केन्द्र ने जनजातियों की जनसंख्या के घटने के साथ इस ज्ञान के समाप्त हो जाने के तथ्य के बावजूद, विभिन्न बीमारियों के इलाज में जनजातीय लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही जड़ी-बूटी सम्पदा को लिखने और

दस्तावेज बनाने के लिए कुछ नहीं किया। केन्द्र द्वारा जनजातियों के विकास से संबद्ध कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई थी।

(पैराग्राफ 2.1)

### वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

#### प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपयोग

प्रयोगशालाओं की मूलभूत संरचना के कोटि-उन्नयन और उसके अनुसंधान-विकास प्रयासों की वृद्धि के उद्देश्य से सृजित प्रयोगशाला आरक्षित निधि से अनुसंधान-विकास से असंबन्धित प्राथमिक मदों जैसे टेलीफोन/मोबाइल फोन बिलों, नाश्ता/मध्याह्न भोज/रात्रि भोज, उपहारों/स्मृति चिन्हों, स्थापना/स्वर्ण जयंती दिवस समारहों, प्राइवेट निकायों तथा स्टाफ कल्याण क्लब को वित्तीय सहायता आदि पर 6.37 करोड़ रु का व्यय किया गया। प्रयोगशाला आरक्षित निधि के मार्ग-निदेशों में अस्पष्टता ने निदेशक को आकस्मिकताओं पर खर्च की पूरी छूट दे दी। नियमित आकस्मिक खर्च जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/प्रयोगशाला के अपने बजट से किया जाना चाहिए था वह प्रयोगशाला आरक्षित निधि से किया गया। कारोबार विकास/ प्रोत्साहन के सभी परिवेष्टित क्षेत्र के अधीन, प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि से विदेशी भ्रमण खूब अनुमत किए। यद्यपि, ऐसे बहुत से भ्रमणों का अनुसंधान-विकास प्रयासों अथवा मूलभूत संरचना के कोटि उन्नयन से कोई संबंध नहीं था। भारत की संचित निधि से प्रयोगशाला आरक्षित निधि को 38.17 करोड़ रु का अनधिकृत अन्तरण भी हुआ था, विशेष रूप से सहायता अनुदान परियोजनाओं के अव्ययित शेषों तथा इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त शेषों के निवेशों पर ब्याज, जिसके फलस्वरूप भारी राशि का उपयोग बिना संसदीय वित्तीय नियंत्रण के हुआ।

प्रयोगशाला आरक्षित निधि से सम्बंधित आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण निदेशकों को प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपभोग खुले हाथ से करने की खुली छूट मिल गई।

(पैराग्राफ 3.1)

#### केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर

अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिये, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। 1992-99 के दौरान, सभी 6 घरेलू परियोजनाओं में 9 महीने से 5 वर्ष तक का विलम्ब हुआ था। इसके अतिरिक्त, 4 घरेलू परियोजनाओं में विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्यमियों को अन्तरण नहीं किया जा सका।



दो प्रायोजित परियोजनाओं के उद्देश्य - खारे पानी वाले क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराना और पानी के अन्दर खनन की प्रौद्योगिकी का विकास जो पूरी तरह से अपर्याप्त रहा, यद्यपि खर्च क्रमशः 23.34 करोड़ रु और 6.48 करोड़ रु हुआ था। प्रायोजित परियोजनाओं के लिये वसूली का आधार अनुमानित लागत थी न कि वास्तविक लागत, जिसके कारण 4.24 करोड़ रु की वसूली कम हुई।

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रजनित बाह्य नकदी प्रवाह का प्रतिशत निर्धारित 33.3 प्रतिशत से काफी नीचे रहा।

(पैराग्राफ 3.2)

### केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना देश के खनिज उद्योगों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी बैकअप प्रदान करने के लिए हुई थी, ने 1994-99 के दौरान, 73 सहयोगी परियोजनाओं को केवल सहयोगियों के प्रयोग के लिए शुरू किया। तथापि, इन परियोजनाओं से कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हुई थी। 1994-99 के दौरान, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ने केवल 60 घरेलू तथा सहायता अनुदान परियोजनाओं के विपरीत 634 परामर्शी परियोजनायें पूरी की, जिसके लिये स्टाफ ने 278.80 लाख रु का मानदेय प्राप्त किया और 1998-99 के दौरान निदेशक का हिस्सा 5.82 लाख रु था। इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मार्ग-निदेशों का उलंघन हुआ कि, स्टाफ को वित्तीय लाभ मिलने के कारण परामर्शी का ध्यान अनुसंधान-विकास से नहीं हटाया जाना चाहिये था। अनुसंधान समिति द्वारा घरेलू परियोजनाओं का नियमित मूल्यांकन नहीं हुआ था।

बिना उसकी संरचना और उपयोग की जांच किए 29.68 लाख रु मूल्य के खरीदे गये कम्प्यूटर सिस्टम जून 1999 तक प्रतिस्थापित नहीं हुए थे।

(पैराग्राफ 3.3)

## लेखापरीक्षा परिणामों का आदान-प्रदान

### परमाणु ऊर्जा विभाग

#### मसालों के विकिरण के लिए प्रदर्शन संयंत्र का स्थापित न होना

“परमाणु ऊर्जा विभाग में 2.98 करोड़ रु लागत की मसालों के विकिरण के लिए प्रदर्शन संयंत्र” एक परियोजना जून 1995 में परिकल्पित हुई थी। यह संयंत्र सितम्बर 1999 तक चालू नहीं हुआ था। अतः, एक प्रदर्शन संयंत्र लगाने का लाभ, जिससे मसालों का आयात बढ़ गया होता, 3.04 करोड़ रु खर्च करने के बाद भी नहीं उठाया जा सका।

(पैराग्राफ 8.2)

#### एक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी को अदेय लाभ

परमाणु ऊर्जा विभाग ने गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के साथ गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा उत्पादित भारी जल संयंत्र, बड़ोदा द्वारा भारी जल निकालने में प्रयोग होने वाली अमोनिया गैस को रुट करने के लिए 1973 में एक समझौता किया। परमाणु ऊर्जा विभाग अमोनिया गैस की हानि के लिए बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा खपत की गई अधिक गैस और प्राकृतिक गैस की न्यूनतम गारण्टीयुक्त खरीद से कमी की अनुपातिक लागत 14.61 करोड़ रु गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी से वसूल करने में विफल रहा। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किये जाने के बावजूद, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को अदेय लाभ पहुँचाना जारी रहा।

(पैराग्राफ 8.1)

### दूरसंचार विभाग

#### (दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र)

#### योजना के परित्याग के कारण निष्फल व्यय

दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र विकसित टेलीग्राफ टर्मिनल प्रौद्योगिकी की इसके उपग्रह आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क परियोजना के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि कार्यान्वयन से पहले ही यह पुरानी पड़ गई। इसलिए परियोजना के अधीन 50 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल प्रौद्योगिकी के विनिर्माण सहायक पुर्जों की खरीद और गोदाम/बीमा प्रभारों पर दूर संचार विज्ञान विकास केन्द्र ने 3.81 करोड़ रु का निष्फल व्यय किया।

(पैराग्राफ 5.1)

### वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

#### ठेके पर कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति

निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आकस्मिक/ दैनिक मजदूरी पर/ ठेके के कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाये गये प्रतिबन्ध के उल्लंघन में, 110 कर्मियों को नियुक्त किया जिस पर अक्टूबर 1997 से मार्च 1999 के दौरान 29.57 लाख रु का अनियमित खर्च किया गया।

(पैराग्राफ 3.7)

#### स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र ने स्टाफ क्वार्टरों और वैज्ञानिक अपार्टमेंटों के निर्माण के लिये सितम्बर 1994 में एक कार्य आदेश जारी किया। कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र की समय पर लेआऊट की आपूर्ति में विफलता के फलस्वरूप, क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब हुआ। इसके फलस्वरूप, लागत वृद्धि तथा पट्टे के आवास के किराये पर 46.89 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, 42.02 लाख रु इसके कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के रूप में दिया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

### गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

#### कचरा भस्मक तथा विद्युत प्रजनन संयंत्र

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने मार्च 1985 में एक “कचरा भस्मक तथा विद्युत प्रजनन संयंत्र” प्रतिस्थापित किया, जो प्रतिस्थापित होने के दिन से अप्रचालित रहा। कैबिनेट ने मंत्रालय को सितम्बर 1991 में निर्देश दिया कि संयंत्र के वैकल्पिक प्रयोग की संभावनायें तलाशी जायें। तथपि, मंत्रालय ने न तो संयंत्र का वैकल्पिक प्रयोग किया और न ही संयंत्र का निपटान किया। अप्रचालित संयंत्र के रखरखाव और बीमे पर 1.25 करोड़ रु खर्च किया।


(पैराग्राफ 4.1)



## अध्याय 1 : वित्तीय प्रबन्धन

### 1.1 विषय प्रवेश

1.1.1 राष्ट्रीय विकास और सम्पन्नता का एक मुख्य मानक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक उत्थान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता को अनुभव करने के बाद अनुसंधान-विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसंधान विकास पर



किया गया खर्च 1989-90 में 3725.74 करोड़ रु से बढ़कर 1997-98 में 9500.72\* करोड़ रु हो गया जोकि 155 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है,


अनुसंधान-विकास व्यय 1989-90 में 0.92 प्रतिशत से वास्तव में घटकर 1997-98 में 0.67 ही रह गया जो निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद (वर्तमान कीमत पर)	अनुसंधान विकास व्यय	सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर अनुसंधान विकास व्यय का प्रतिशत
1989-90	402913	3725.74	0.92
1990-91	470269	3974.17	0.85
1991-92	542691	4512.81	0.83
1992-93	618969	5004.60	0.81
1993-94	708504	6073.02	0.86
1994-95	930325	6622.44	0.71
1995-96	1089754	7483.88	0.69
1996-97	1272177*	8340.17	0.66
1997-98	1413231*	9500.72	0.67

\* अनन्तिम अनुमान

1997-98 में से सार्वजनिक क्षेत्र को मिलाकर केन्द्र सरकार का अंश 68.73 प्रतिशत था, निजी क्षेत्र का 22.90 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का 8.37 प्रतिशत था।



1 अप्रैल 1996 को अनुसंधान विकास

(स्रोत: अनुसंधान-विकास आंकड़ें 1996-97 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जून 1999 में संकलित और प्रकाशित)

कार्यों में 1,27,226 कार्मिक नियुक्त थे। संस्थानीय क्षेत्र में 91,311 कार्मिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में 35,915 कार्मिक अनुसंधान विकास कार्यों में नियुक्त थे।

अनुसंधान विकास कार्य कलापों में, प्राथमिक रूप से नियुक्त कुल 127226 कार्मिकों में से, 11,078 (8.7 प्रतिशत) महिलाएं थीं।

### 1.1.2 उत्पादन संकेतक

किसी देश में सील हुए पेटेन्टों की संख्या तथा प्रकाशित शोध पत्र, देश में अनुसंधान विकास प्रयासों की सफलता का संकेत देते हैं। किसी वर्ष विशेष में प्रकाशित शोध पत्र तथा सील हुए पेटेन्ट के आंकड़ों की तुलना में पिछले वर्ष के समरूप प्रकार के आंकड़े शोध कार्यों में देश की प्रगति का संकेत दर्शाते हैं।

### पेटेन्ट

यद्यपि, अनुसंधान विकास व्यय में प्रत्येक वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन सील हुए पेटेन्टों की संख्या 1989-90 में 1890 से घटकर 1996-97 में 907 ही रह गई। इस अवधि के दौरान भारतीयों की अपेक्षा विदेशियों द्वारा बहुत अधिक पेटेन्ट सील कराये गये।

### शोध पत्र

भारत में प्रकाशित केन्द्र, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की औद्योगिकी अनुसंधान विकास इकाइयों की शोध प्रयोगशालाओं तथा विज्ञान एवं तकनीकी के अन्य विषयों पर प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या 1994 में 50,592 से घटकर 1998 में 42,263 ही रह गई, उतार विशेष रूप से 1998 में आया।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित शोधपत्रों के वर्ष बार व्योरे निम्नानुसार बताये गये हैं:

विषय क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998
कृषि	10997	11479	11516	11008	7872
जीव विज्ञान	9987	9956	9507	9028	7597
रसायन विज्ञान	13125	12567	13414	13210	12069
भौतिक विज्ञान	5650	5710	5636	5518	5048
आयुर्विज्ञान	4215	3988	4132	4619	4531
इंजीनियरी	4292	3658	4540	4679	3463
भू विज्ञान	874	1290	739	674	362
गणित	1452	1821	2166	2036	1321
जोड़	50592	50469	51650	50772	42263

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि जहां कृषि क्षेत्र में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, जैवविज्ञान और इंजीनियरी, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान तथा आयुर्विज्ञान में लगभग स्थिरता रही। 1989-98 में विश्व प्रकाशन में भारत का योगदान 2.2 प्रतिशत रहा।

## 1.2 प्रतिवेदन का कार्यवृत्त

1.2.1 1998-99 और विगत दो वर्षों के दौरान प्रमुख वैज्ञानिक विभागों/संगठनों के व्यय की स्थिति इस रिपोर्ट में निम्नानुसार शामिल की गई थी:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग/संगठन	1996-97	1997-98	1998-99
1.	परमाणु उर्जा	2264.11	2908.80	3793.57
2.	अन्तरिक्ष	1065.32	1050.50	1401.70
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	589.28	681.03	972.48
4.	पर्यावरण एवं वन (भारतीय प्राणी सर्वेक्षण एवम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण सहित)	520.04	497.83	606.18
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी (भारतीय सर्वेक्षण तथा भारतीय मौसम विभाग सहित)	469.56	592.12	545.43
6.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को दिए गए अनुदान समेत)	466.11	602.85	735.38
7.	टपारम्परिक उर्जा स्रोत	282.70	228.68	298.57
8.	भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (खनन मंत्रालय)	247.69	211.47	386.14
9.	इलैक्ट्रॉनिक्स	134.40	164.99	146.79
10.	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (योजना आयोग)	96.27	126.89	141.75
11.	जैवप्रौद्योगिकी	91.39	95.50	114.18
12.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	66.95	70.49	106.67
13.	महासागर विकास	64.05	100.66	105.15
14.	दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र (दूरसंचार विभाग)	46.53	84.99	96.72
	<b>योग</b>	<b>6404.40</b>	<b>7416.80</b>	<b>9450.71</b>

विगत तीन वर्षों के व्यय के विश्लेषण यह दर्शाता है कि परमाणु उर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग केन्द्र सरकार के अनुसंधान विकास व्यय के योगदान की मुख्य वैज्ञानिक इकाई रहे हैं। इन दोनों विभागों का संयुक्त व्यय 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के कुल व्यय का क्रमशः 51.99 प्रतिशत 53.38 प्रतिशत और 54.97 प्रतिशत था।

### 1.2.2 विभिन्न अनुदान/विनियोजन के तहत अव्ययित प्रावधान एवं अधिक खर्च

वैज्ञानिक विभागो/मुख्य वैज्ञानिक संगठनों का 1998-99 के विनियोजन लेखाओ का सारांश निम्नानुसार है:


(करोड रुपये में)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग/संगठन	अनुदान/विनियोजन (पूरक सहित)	व्यय	(-) अव्ययित प्रावधान (+) अधिख्य	व्यय में बचत/अधिख्य खर्च की प्रतिशतता
1.	परमाणु उर्जा	4008.09	3793.57	(-)214.52	(-) 5.35
2.	अन्तरिक्ष	1607.83	1401.70	(-) 206.13	(-) 12.82
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	1051.39	972.48	(-) 78.91	(-) 7.51
4.	पर्यावरण एवं वन (भारतीय प्राणी सर्वेक्षण एवं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण सहित)	819.61	606.18	(-)213.43	(-) 26.04
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी (भारतीय सर्वेक्षण तथा भारतीय मौसम विभाग सहित)	628.11	545.43	(-) 82.68	(-)13.16
6.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद को दिए गए अनुदान समेत)	741.32	735.38	(-)5.94	(-)0.80
7.	अपारम्परिक उर्जा स्रोत	407.62	298.57	(-)109.05	(-)26.75
8.	भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण (खनन आयोग)	345.71	386.14	(+)40.43	(+)16.69
9.	इलेक्ट्रॉनिकी	214.07	146.79	(-)67.28	(-)31.43
10.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (योजना आयोग)	145.77	141.75	(-)4.02	(-)2.76
11.	जैव-प्रौद्योगिकी	117.77	114.18	(-)3.59	(-)3.05
12.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	112.37	106.67	(-)5.70	(-)5.07
13.	महासागर विकास	107.50	105.15	(-)2.35	(-) 2.19
14.	दूर संचार विज्ञान विकास केन्द्र (दूरसंचार विभाग)	136.69	96.72	(-)39.97	(-)29.24
	<b>योग</b>	<b>10443.85</b>	<b>9450.71</b>	<b>(-)993.14</b>	<b>(-)9.51</b>

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कुल अव्ययित प्रावधान 993.14 करोड रु का था जो समग्र निधि प्रावधान का 9.51 प्रतिशत है। परमाणु उर्जा विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्तरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विनियोजन लेखाओ की ब्यौरेवार जांच दर्शाती है कि इनका योगदान प्रतिशत समग्र बचे हुए उपबन्ध में 70.62 था का निम्नानुसार पता लगा:




अनुदान सं. 89—परमाणु उर्जा (परमाणु उर्जा विभाग) अव्ययित उपबन्ध की राशि 58.11 करोड़ रु (कुल प्रावधान 3.21 प्रतिशत)			अधिक अव्ययित प्रावधान के लिए जिम्मेदार योजना/परियोजनाएं/क्रिया कलाप
गत वर्ष	अव्ययित प्रावधान राशि (करोड़ रु)	अव्ययित उपबन्ध का प्रतिशत	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एफ बी टी आर<sup>W</sup> का ईंधन</li> <li>➤ पुर्नप्रक्रिया परिवर्ती उर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र</li> <li>➤ परमाणु उर्जा शोध</li> </ul>
1996-97	11.81	0.92	
1997-98	90.57	5.71	



अनुदान सं. 90—अणु शक्ति योजना (परमाणु उर्जा विभाग) अव्ययित उपबन्ध की राशि 156.41 करोड़ रु (कुल प्रावधान का 17.27 प्रतिशत)			अधिक अव्ययित प्रावधान के लिए जिम्मेदार योजना/परियोजनाएं/क्रिया कलाप
गत वर्ष	अव्ययित प्रावधान राशि (करोड़ रु)	अव्ययित उपबन्ध का प्रतिशत	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ तारापुर परमाणु उर्जा केन्द्र द्वारा उत्पादित अणु शक्ति</li> <li>➤ काकरापार परमाणु उर्जा केन्द्र द्वारा उत्पादित अणु शक्ति</li> <li>➤ कलपाककम का अंचल ङ्गीजन संयंत्र</li> <li>➤ अणुशक्ति संयंत्र की अतिरिक्त उन्नयन सुविधा</li> </ul>
1996-97	7.33	0.72	
1997-98	68.84	4.64	

<sup>W</sup> फास्ट बीडर टेस्ट रीएक्टर

अनुदान संख्या 90 के तहत, चार निष्पादित योजनाओं में नामतः तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र द्वारा प्रजनित अणु शक्ति, काकरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र द्वारा प्रजनित अणु शक्ति, कलपाक्कम का




कचरा उन्मूलन संयंत्र और अणुशक्ति संयंत्र की अतिरिक्त उन्नयन सुविधा में वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के अव्ययित प्रावधान कुल प्रावधान के 14.22 प्रतिशत से लेकर 98.60 प्रतिशत थे।

**अनुदान सं. 24-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

अव्ययित प्रावधान की राशि 213.43 करोड़ रु (कुल प्रावधान 26.04 प्रतिशत)

गत वर्ष	अव्ययित प्रावधान राशि (करोड़ रु)	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत	अधिक अव्ययित प्रावधान के लिए जिम्मेदार योजना/परियोजनाएं/ क्रियाकलाप
1996-97	32.73	5.92	<ul style="list-style-type: none"> <li>एकीकृत वन रोपण पारिस्थितिक विकास परियोजना</li> <li>पर्यावरण आयोग व अधिकरण</li> <li>इंडो कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना</li> <li>ताज बचाव मिशन</li> </ul>
1997-98	140.76	22.04	




अनुदान संख्या 24 के तहत, चार निष्पादित चार योजनाओं में नामतः एकीकृत वनरोपण व पारिस्थितिक विकास योजना, पर्यावरण आयोग व अधिकरण, इंडो कनाडा पर्यावरण

सुविधा परियोजना व ताज बचाव मिशन में वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के अव्ययित प्रावधान कुल प्रावधान के 2.46 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत था।

अनुदान सं. 91- इलैक्ट्रॉनिकी विभाग			
अव्ययित उपबंध की राशि 67.28 करोड़ रू (कुल प्रावधान का 31.43 प्रतिशत)			
			भारी अव्ययित प्रावधान योजना/ परियोजना/के लिए जिम्मेदार क्रिया कलाप
गत वर्ष	अव्ययित प्रावधान राशि (करोड़ रू.)	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ग्रामीण इलैक्ट्रॉनिकी कार्यक्रम</li> <li>➤ भारतीय भाषाओं का तकनीकी विकास</li> <li>➤ पर्यावरण प्रबन्ध इलैक्ट्रॉनिकी में उच्च तकनीकी निवेश पार्क</li> </ul>
1996-97	21.80	13.96	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इंटेलिजेंट उत्पादन तंत्र का विकास</li> </ul>
1997-98	3.24	1.93	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पावर इलैक्ट्रॉनिकी</li> </ul>

अनुदान संख्या 91 के तहत तीन निष्पादित योजनाओं में नामतः ग्रामीण इलैक्ट्रॉनिकी कार्यक्रम, भारतीय भाषाओं का तकनीकी विकास और इंटेलिजेंट उत्पादन तंत्र के विकास में वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में लगातार बचत हुई।



अनुदान सं. 93 अन्तरिक्ष विभाग			
अव्ययित उपबंध की राशि 206.13 करोड़ रू (कुल प्रावधान का 12.82 प्रतिशत)			
			अधिक अव्ययित प्रावधान के लिए जिम्मेदार योजना/परियोजना/ क्रिया कलाप
गत वर्ष	अव्ययित प्रावधान की राशि (करोड़ रू)	अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ जी एस एल बी परियोजना (3.25 करोड़)</li> </ul>
1996-97	13.42	1.24	
1997-98	120.61	10.30	

जिओ-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण वाहन परियोजना के तहत 1996-97, 1997-98 और 1998.99 में कुल प्रावधान का 28.41 प्रतिशत से लेकर 69.77 प्रतिशत तक बचत हुई।

### 1.2.3 वित्त लेखाओं में प्रतिकूल शेष

साधारणतया, लेखा शीर्षों में नकारात्मक शेष नहीं होना चाहिए जबकि प्रतिकूल शेष जो नकारात्मक शेष है दर्शाया है। यह प्रमुख रूप से गलत वर्गीकरण या अत्यधिक वापसी या लेखों के मिलान न किए जाने या किसी अन्य कारण से आते हैं। संघ सरकार के वर्ष 1997 - 98 के वित्त लेखों को विवरणी संख्या 13 वैज्ञानिक विभाग से संबन्धित प्रतिकूल शेष के मामले निम्नानुसार दर्शाती है:

		(हजार रु में)
1.	अन्तरिक्ष विभाग मु.शी. 8443- सिविल जमा 106- व्यक्तिगत जमा	5,42 (डेबिट)
2.	महासागर विकास विभाग मु. शी. 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण 203- वाहनों को खरीद के लिए अग्रिम	3 (क्रेडिट)
3.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मु.शी. 8012 - विशेष जमा एवं लेखा 110- अनिवार्य जमा मु. शी. 8443 सिविल जमा 109 - वन की जमा 800 - अन्य जमा मु. शी. 8550- सिविल अग्रिम 102 - राजस्व अग्रिम 103 - अन्य विभागीय अग्रिम 104 - अन्य अग्रिम	1 (डेबिट) 88,75 (डेबिट) 43,93 (डेबिट) 6 (डेबिट) 5,69 (क्रेडिट) 3,32 (डेबिट)

नोट : मु. शी. लेखों का मुख्य शीर्ष दर्शाता है।

अंतरिक्ष विभाग के मामले में, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) 1993 से सभी प्रतिवेदनों में सिविल जमा के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष लगातार बताए गए हैं। महासागर विकास विभाग के मामले में प्रतिकूल शेष मार्च 1997 से जारी है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1997 और

1998 को समाप्त प्रतिवेदनों में दर्शाने के बावजूद भी कोई प्रगति नहीं हुई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मामले में, यह मंत्रालय बनने (जनवरी 1985) के पहले के मुख्य रूप से प्रोफार्मा शेष थे जोकि कृषि मंत्रालय से स्थानान्तरित हुए थे। हालांकि मांगने के उपरान्त भी उनके ब्यौरे प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

इन सभी प्रतिकूल शेषों की जांच और संशोधन शीघ्र किया जाना चाहिए

### 1.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सरकारी मंत्रालयों और विभागों से अनुदान तथा ऋण प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1972 के संबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत सात स्वायत्त निकायों के एकमात्र लेखापरीक्षक है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1972 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं। इन स्वायत्त निकायों की स्थिति **परिशिष्ट-I** में दर्शाई गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित 52 दूसरे स्वायत्त निकायों में से किसी की भी पूरक/सुपर इम्पोज्ड लेखा परीक्षा कराई जा सकती है, जिनकी प्राथमिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा की जाती है। इन स्वायत्त निकायों को दिए गए अनुदान की स्थिति **परिशिष्ट-II** में दर्शाई गई है।

### 1.4 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदान प्राप्त करने वाले सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से इस आशय का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और जहां अनुदान किन्हीं शर्तों के अन्तर्गत थे, निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई थी। 605.67 करोड़ रुपये के कुल अनुदान के लिए 5143 उपयोग प्रमाण पत्र बकाया थे जैसा कि **परिशिष्ट-III** में प्रदर्शित है। 3019 मामलों में कुल 239.86 करोड़ रु. के उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन वर्षों से बकाया थे, जिसमें 1041 मामले 117.67 करोड़ रु. मूल्य के 10 साल से अधिक समय से बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विश्लेषण से पता चला कि अकेले पर्यावरण और वन मंत्रालय का योगदान 73.60 प्रतिशत था। महासागर विकास विभाग (63.92

करोड़ रू) (ii) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग (51.42 करोड़ रू) (iii) गैर पारम्परिक उर्जा संसाधन (33.85 करोड़) अन्य मंत्रालय/विभाग प्रमुख चूककर्ता थे।

मंत्रालय/विभागों को चाहिए कि उच्चतम स्तर पर इस मामले को देखें और प्रमाण पत्र प्राप्त करें अथवा रकम वसूल करें।

### 1.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत किये गए अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति ने सिफारिश की कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष और उसके बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत समीक्षित कार्यवाही नोट संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने से चार महीनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए। तथापि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मार्च 1997 के प्रतिवेदन के पैरा 2.2 पर बकाया कृत कार्यवाही नोट नहीं प्रस्तुत किया है।

## अध्याय 2 : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

### 2.1 जनजातीय क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर

#### मुख्य मुख्य बातें

- स्वास्थ्य समस्याएं, जो जनजातियों के लिए अनोखी हैं पर कार्य करने तथा उचित अंतराक्षेपण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थापित केन्द्र के उद्देश्य, धन, वैज्ञानिक जनशक्ति और मूलभूत संरचना की कमी के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके।
- 1996 में 348.45 लाख रु की लागत से बनी 50 प्रयोगशालाएं और 57 अन्य कमरों को अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया, जिसके कारण बहुत से महत्वपूर्ण विभागों के उपयुक्त रूप से कार्य में रुकावट आई।

(पैराग्राफ 2.1.6)

- केन्द्र ने 1995-99 के दौरान शुरु की गई 11 घरेलू परियोजनाओं में से केवल 7 को पूरी किया। इसने विद्यमान स्वास्थ्य की मूलभूत संरचना को प्रगति तथा प्रभावी स्वास्थ्य संरक्षण वितरण व्यवस्था के अन्तरण की उपेक्षा की। इसने जनजातियों की विशेष समाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया।

(पैराग्राफ 2.1.7 (क) और (ख))

- अनुसंधान कार्यकलापों का लाभांश जनजातियों में वितरित करने के लिए, केन्द्र का राज्य सरकार से कोई समझौता नहीं था। इसके अंतराक्षेपण कार्यक्रमों के प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.7 (ग) और (घ))

- केन्द्र ने जनजातियों द्वारा विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियों के बारे में कोई लेखन नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.1.8)

- केन्द्र के कार्यों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक सलाहकार समिति का विद्यमान मॉनिटरिंग सिस्टम त्रुटिपूर्ण था।

(पैराग्राफ 2.1.10)

### 2.1.1 विषय-प्रवेश

जनजाति की करीब एक चौथाई जनसंख्या मध्यप्रदेश में 46 वर्गों में रहती है और उनकी अलग तरह की जीवन शैली तथा समाजिक भूमिका है जिन्हे उचित स्वास्थ्य अंतराक्षेपण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) ने उनकी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की छानबीन के लिए 1984 में जबलपुर में एक जनजाति क्षेत्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की। केन्द्र के मुख्य उद्देश्य यह थे:—

- जनजातियों में समुदायिक स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुसंधान का योजना, संचालन और समन्वय करना।
- जनजातियों की विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल स्वास्थ्य और पोषण वितरण प्रणाली के लिए उपयुक्त नमूने विकसित करना।
- जनजातियों की जीवन शैली में इन अंतराक्षेपणों के प्रभाव का समय-समय पर मॉनीटर और मूल्यांकन करने के साथ ही राज्य सरकार को इन कार्यक्रमों के संचालन में मदद करना।
- जनजाति विकास से जुड़े विभिन्न विभागों तथा एंजिसियों के कार्यान्वयन कार्मिकों को दिशा व ट्रेनिंग प्रदान करना।

### 2.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

केन्द्र द्वारा जबलपुर में 1994-99 की अवधि के लिए रखे गये रिकार्डों की नमूना जांच इस दृष्टि से की गई कि केन्द्र ने अपने लक्ष्य कहां तक प्राप्त कर लिए हैं। आवश्यकतानुसार 1994-95 की अवधि से पहले के सम्बन्धित रिकार्डों की भी एक व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए नमूना जांच की गयी।

### 2.1.3 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्र का प्रधान निदेशक है, जिसके कर्तव्यों के निर्वाह में मदद के लिए एक उप-निदेशक और दो सहायक निदेशक हैं। केन्द्र की अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय एक वैज्ञानिक सलाहाकार समिति (एम ए सी) करती है जिसमें विभाग के अध्यक्ष, मैडीकल कालेजों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफसर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के प्रतिनिधि और जनजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार आदि हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वैज्ञानिक सलाहाकार समिति के अध्यक्ष है।



### 2.1.4 जनशक्ति नियोजन

1998-99 के दौरान, प्रत्येक संवर्ग में केन्द्र की संस्वीकृत स्टाफ संख्या और वास्तविक तैनाती की स्थिति निम्नानुसार थी:

संवर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	रिक्त स्थानों का प्रतिशत	टिप्पणी
वैज्ञानिक	17	11	06	35	1992-96 से 7 स्थान खाली पड़े थे जबकि 6 स्थान 1996 से 1999 से खाली पड़े थे।
तकनीकी	81	78	03	04	खाली स्थानों की स्थिति में 1992-93 में 9 से 1998-99 में 3 तक सुधार आया
प्रशासनिक	47	46	01	02	खाली स्थानों की स्थिति में 1992-93 में चार से 1998-99 में एक का सुधार आया है
कुल	145	135	10		

बार-बार निवेदन किए जाने के बावजूद, आई सी एम आर ने पर्याप्त वैज्ञानिक जलशक्ति नहीं दिया

प्रमुखतया, वैज्ञानिक कार्मिक अनुसंधान और अनुप्रयोग उन्मुखी अध्ययनों में लगे रहते हैं। उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक संवर्ग में निरंतर अभाव रहा है। 1989 में केन्द्र ने मामला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ उठाया और सूचित किया कि मेडिकल क्षेत्र में उपयुक्त विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के अभाव में उपलब्ध सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन कराया गया जिससे मेडीकल अनुसंधान के परिणामों पर प्रभाव पड़ा। केन्द्र के निदेशक ने अप्रैल 1995 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को पुनः सूचित किया कि वैज्ञानिक संवर्ग में स्टाफ का निरन्तर अभाव रहा है जिसके कारण एक वर्ष में एक या दो से ज्यादा परियोजनाओं को जारी रखना अत्यन्त कठिन हो गया है और यदि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो केन्द्र की अनुसंधान गतिविधियां बिल्कुल रुक जायेंगी तथापि, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

उपलब्ध 11 वैज्ञानिक कर्मचारियों में से, एक समुदायिक औषधि में अनुसंधान अधिकारी दिसम्बर 1993 से अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। उसकी सेवाओं को खत्म करने और रिक्त स्थान भरने सम्बन्धित अप्रैल 1995 के निदेशक के अनुरोध के बावजूद, अक्टूबर 1999 तक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं की है। अक्टूबर 1999 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि जांच शुरू की जा चुकी है और रिपोर्ट अपेक्षित है।

जबकि आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में चाहिए थे, उपलब्ध 10 वैज्ञानिक अधिकारियों में से केवल 4 औषधि के क्षेत्र से सम्बन्धित थे। 4 एम बी बी एस डाक्टरों में से, एक दिसम्बर 1997 से आगे अध्ययन अवकाश पर था।

निम्नलिखित विभागों में अब उनके आगे दिखायी गयी तिथियों से कोई वैज्ञानिक/ अनुसंधान अधिकारी उपलब्ध नहीं था जिसके परिणामस्वरूप, इन विभागों ने निम्न सारणी में दिखायी गयी तिथियों से कोई कार्य-कलाप नहीं किया:

विभाग का नाम	तिथि जबसे बिना वैज्ञानिक के कार्य हो रहा है	प्रभावित कार्य-कलाप
जनसांख्यिकी	चार जनवरी 1991	जनजातियों में बीमारियों के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन का आयु, लिंग तथा जननक्षमता पर अध्ययन
मानव विज्ञान	24 जनवरी 1991	जनजातियों के स्वास्थ्य संरक्षण, जन्म से सम्बन्धित व्यवहार, स्वास्थ्य संरक्षण की सुलभता को प्रभावित करने वाले तथ्यों आदि के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन
सूक्ष्म विज्ञान	3 अक्टूबर 1991	बीमारियों के सूक्ष्म वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन
प्रतिरक्षी विज्ञान	17 जनवरी 1994	व्यक्तियों की प्रतिरक्षी स्थिति के साथ बीमारियों के सह सम्बन्ध प्रतिरक्षी कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए टीके की क्षमता का मूल्यांकन, प्रतिरक्षी विज्ञान की तकनीकियों पर कर्मचारियों को अग्रिम प्रशिक्षण का अध्ययन
पोषण	10 जुलाई 1995	जनजातियों द्वारा गहित भोजन के पोषण मूल्य का विस्तृत विश्लेषण कराना

मुख्य विभागों में वैज्ञानिकों के न उपलब्ध होने के कारण कोई कार्य कलाप नहीं हुआ

प्रशासनिक और तकनीकी वैज्ञानिक पदों के सम्बन्ध निर्धारण पर कोई और प्रतिमान नहीं था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि किसी वैज्ञानिक संगठन में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की प्रशिक्षण के आधार पर इस तरह के प्रतिमान निर्धारित करना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त, वह वैज्ञानिक संवर्ग में रिक्त स्थानों के लिए विज्ञापनों के प्रति कम प्रतिक्रिया, अनुपयुक्तता और भर्ती पर रोक इत्यादि को जिम्मेदार ठहराते हैं।

तथापि, जबाब को इस नजर से देखना है कि वैज्ञानिक पदों के प्रचालन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि तकनीकी स्टाफ का लाभप्रद उपयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिक पदों को शीघ्रता से न भरने के कारण, वैज्ञानिक अनुसंधान के दो महत्वपूर्ण पद जैसे सहायक निदेशक, आनुवंशिक विज्ञान और सहायक निदेशक, सूक्ष्म विज्ञान खत्म हो गये।

### 2.1.5 वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत हुए व्यय की प्रवृत्ति का सार दिया हुआ है:

(रु लाखों में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते	अन्य प्रभार	यात्रा भत्ता	उपस्कर	जोड़	कुल राजस्व व्यय पर से.वेतन और भत्तों की प्रतिशतता
1994-95	57.87 (63.96)	18.90 (31.60)	1.62 (2.20)	9.81 (40.00)	88.20	65.61
1995-96	62.49 (69.93)	20.00 (35.00)	1.52 (2.25)	6.26 (45.00)	90.27	69.22
1996-97	74.31 (75.22)	29.43 (29.80)	1.49 (2.40)	4.57 (25.00)	109.80	67.68
1997-98	103.49 (103.80)	22.79 (84.25)	1.50 (2.30)	1.84 (40.93)	129.62	79.84
1998-99	120.67 (123.19)	28.94 (29.38)	2.40 (2.91)	1.46 (62.00)	153.47	78.63

(कोष्ठक में दिखाए गये आंकड़े बजट मांग को दर्शाते हैं)

उपरोक्त सारणी निम्न तथ्यों को उजागर करती है:

पूँजीगत व्यय के लिए आई सी एम आर ने पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया

(i) कुल राजस्व व्यय पर वेतन और भत्तों की प्रतिशतता जो 1994-95 में 66 थी धीरे-धीरे बढ़कर 1998-99 में 79 हो गयी थी। इसके साथ यह तथ्य भी जुड़ा था कि इसी अवधि के दौरान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा उपकरण आदि खरीदने के लिए उपलब्ध करवायी गयी निधि परियोजित आवश्यकता से बहुत कम थी, जैसा कि ऊपर सारणी में दिखाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप, अनुसंधान कार्य-कलापों पर वास्तविक रूप से किये गये व्यय में कमी आई।

(ii) समीक्षा की अवधि के दौरान, यात्रा भत्ते पर किया गया व्यय 1.62 लाख रु और 2.40 लाख रु के बीच में था जबकि 1991-92 के दौरान, 3.30 लाख रु था। यात्रा लागत में वृद्धि के बावजूद, इस तेजी से आई गिरावट यह प्रकट करती है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, जनजातीय क्षेत्रों में फील्ड निरीक्षणों में कमी आई जिससे अनुसंधान के कार्यकलापों में रुकावट आई, जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि 1994-95 में फील्ड निरीक्षण 3517 कार्यदिवस से घटकर 1998-99 में 584 कार्य दिवस रह गये थे।

### 2.1.6 मूलभूत संरचनात्मक सुविधायें

348.45 लाख रु की लागत से 1996 में निर्मित परिसर को कब्जे में अभी लिया जाना है

इस केन्द्र के पास प्रयोगशालाओं आदि के आवास के लिए अपना प्रशासनिक भवन नहीं होने के कारण, विभिन्न अनुसंधान विभाग तथा अन्य सुविधायें समीपस्थ जबलपुर मेडिकल कालेज भवन तथा केन्द्र के जबलपुर स्थित रिहायशी क्वाटरों से कार्य कर रही थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 348.45 लाख रु की लागत से 5152.70 वर्ग मीटर (55443 वर्ग फीट) के फ्लोर क्षेत्र का एक भवन तैयार किया जिसमें 50 प्रयोगशालाएं तथा 57 अन्य कमरे थे। तथापि, मार्च 1996 में भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात भी, अभी तक केन्द्र ने भवन का कब्जा नहीं लिया है। यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य निष्पादन में बहुत सी चूकों के कारण था जो कि केन्द्र ने नोट किये थे जिसके कारण भवन को संरचनात्मक तौर पर कमजोर धोषित कर दिया गया। 47.96 लाख रु की कार्य मदें विनिर्देशन से घटिया किस्म की पायी गयी।



348.45 लाख रु की लागत से बने हुए भवन का दृश्य जो मार्च 1996 से खाली पड़ा है।

जून 1999 में जबलपुर मेडिकल कालेज के प्राधिकारियों ने केन्द्र द्वारा मेडिकल कालेज भवन में अधिग्रहीत क्षेत्र को तुरन्त खाली करने के लिए आग्रह किया। समुचित मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं

के आभाव ने बहुत से निर्णायक विभागों को प्रभावित किया। मेडिकल कालेज परिसर में स्थित प्रतिरक्षी विज्ञान विभाग नवम्बर 1995 से बंद कर दिया गया था क्योंकि मेडिकल प्राधिकारियों ने इसे खाली करने पर जोर दिया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 1991 से कार्यशील केन्द्र में मौखिक पोलियो टीकाकरण परीक्षण केन्द्र, अगस्त 1994 में उपयुक्त प्रयोगशाला की अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया गया था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संरचना में आये दोषों को दूर नहीं किये जाने तथा घटिया सामग्री न बदलने के कारण और प्रशासकीय माध्यम से सुधार कार्य विफल रहने के कारण उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर करके कानूनी शरण में जाना पड़ा इसलिए निकट भविष्य में कार्यात्मक इस्तेमाल हेतु भवन के उपलब्ध होने से कोई आसार नहीं है।

इसके अतिरिक्त सृजित मूलभूत संरचना केन्द्र की आवश्यकता की समानुपातिक नहीं थी जिसकी संस्वीकृत स्टाफ संख्या केवल 147 थी जिसमें 17 वैज्ञानिक 81 तकनीकी तथा 47 प्रशासनिक कर्मचारी थे और आवश्यक वैज्ञानिकों के अभाव में कुछ विभाग कार्यशील नहीं थे।

आई सी एम आर ने बताया कि मूलभूत संरचना का सृजन भावी विस्तार को दृष्टि में रख कर किया गया है। इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि आई सी एम आर विद्यमान, विभागों में वैज्ञानिकों के संस्वीकृत पदों को भी भरने में विफल रहा और भविष्य में नए विभागों के सृजन और प्रचालन की संभावना सुदूर है।

### 2.1.7 उद्देश्यों की उपलब्धि

#### (क) व्यावहारिक अनुसंधान की योजना और समन्वयन

केन्द्र की स्थापना, जनजातीय जनसंख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुसंधान की योजना, संचालन तथा समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। वैज्ञानिक सलाहाकार समिति ने 1995-99 के दौरान, 26 परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु अनुमति दी थी जबकि केन्द्र ने केवल ग्यारह परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जिनमें से 31 मार्च 1999 तक केवल सात परियोजनायें (1995-96 से पूर्व शुरू हुई एक योजना सहित) पूरी हुई।

पूरी की गयी परियोजनाओं के विषयवार ब्यौरे निम्नानुसार थे:

क्रमांक	अनुसंधान का विषय	1994-96	1996-98	1998-99	जोड़
1.	सामुदायिक औषधि	01	01	01	03
2.	जननिकी	02	—	—	02
3.	जनसांख्यिकी और आकड़े	—	01	—	01
4.	स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था	01	—	—	01
<b>जोड़</b>		<b>04</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>07</b>

अपनी स्थापना के बाद के प्रथम दशक के दौरान, केन्द्र ने 50 परियोजनायें पूरी की, 1994-99 के दौरान वह केवल सात परियोजनायें ही पूरी कर सका। इसके अतिरिक्त, केन्द्र ने सूक्ष्म जीवविज्ञान, कीटविज्ञान मानव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और पोषण जैसे क्षेत्रों में कोई अध्ययन पूरा नहीं किया।

जनजातियों की स्वास्थ्य समस्याओं के विस्तार के अनुसंधान के लिए उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक आदतों के साथ उनके आपसी सम्बंधों हेतु प्रत्येक जनजाति के

लिए उपयुक्त हस्तक्षेप कार्यक्रमों की योजनाओं के लिए आवश्यक फील्ड निरीक्षणों में निम्नानुसार गिरावट आई:

वर्ष	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
क्षेत्रीय निरीक्षणों पर व्यतीत किये गये कार्य दिवसों की संख्या	3,517	849	976	1,184	584

फरवरी 1987, अक्टूबर 1987 और मई 1988 में, वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने केन्द्र को निदेश दिया था कि वह जनजातीय क्षेत्रों के क्रिया कलापों से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने, कार्यवाही उन्मुखी कार्यक्रमों, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य आवश्यकताओं और समस्याओं के निदान, नवीन उपचारों का परीक्षण तथा अन्त में शैक्षणिक महत्व के अनुसंधान चलाने के स्थान पर प्रौद्योगिकी को विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षण, संरचना को अन्तिम रूप से हस्तान्तरित करने पर अधिक ध्यान दें। तथापि, केन्द्र ने समीक्षा की अवधि के दौरान, 'जेनेटिक कौन्सेलिंग आनं प्रिवेलेन्स आफ हीमोग्लोविनो पैथीज' नामक केवल एक प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण किया था।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में, प्रारम्भिक वर्षों में परियोजनाओं को पूर्ण करने में गिरावट का कारण अध्ययन का असीमित क्षेत्र होने के तथ्य को बताया जो बेसलाइन आंकड़ों को प्रजनित करने के लिए थे। बाद में, 1994 के पश्चात, अधिक विश्लेषणात्मक अध्ययन का कार्य किया गया जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आगे बताया कि पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या तथा किये गये फील्ड निरीक्षणों में कमी का कारण वैज्ञानिक जनशक्ति, निधि, वाहन तथा उपयुक्त प्रयोगशालाओं की कमी थी।

### (ख) उपयुक्त स्वास्थ्य तथा पोषण वितरण प्रणाली का विकास

केन्द्र, विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षण सेवाओं की कमियों के अध्ययन और उपचारों के सुझाव में विफल रहा

केन्द्र ने, 1989 के पश्चात् जनजातियों की विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के उपयुक्त स्वास्थ्य और पोषण वितरण प्रणाली के विकास के लिए कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ नहीं किया। 1989 से पूर्व भी, केवल आंकड़े एकत्र किये गये थे। 'मध्य प्रदेश के जनजाती जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु मॉनीटरिंग प्रणाली' परियोजना संस्वीकृत करते समय, वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने अगस्त 1990 में केन्द्र को निदेश दिया कि एक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यों की इस दृष्टि से विस्तृत जांच की जाए कि कार्यान्वयन में दोष पाये जाने पर उसके लिए निवारक उपाय सुझाए जा सके। वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने यह भी टिप्पणी की कि केवल आंकड़ों को एकत्र करने से कोई उद्देश्य नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि आंकड़े पहले ही से राज्य सरकार के पास उपलब्ध थे। केन्द्र ने केवल अक्टूबर

1998 में वैज्ञानिक सलाहकार समिति से प्राचीन जनजातियों में विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली के अध्ययन और मध्यप्रदेश के प्राचीन जनजातियों के लिए उपयुक्त मॉडल के विकास के अध्ययन का प्रस्ताव रखा।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने (अक्टूबर 1999) वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा सुझाए अध्ययन को आरम्भ न करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और प्रयोगशाला की कमी को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि निधि की उपलब्धता की संभावना का पता लगाया जा रहा था। वास्तविकता यह थी कि 15 वर्षों में, केन्द्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन पर सार्थक अध्ययन अभी तक प्रारम्भ नहीं किया था।

आहार वितरण प्रणाली के विकास के संबंध में, केन्द्र ने 1994-99 के दौरान, इसके अध्ययन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। आहार विभाग ने कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ नहीं किया क्योंकि जुलाई 1995 से किसी अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसार (अक्टूबर 1999), राज्य सरकार की आहार वितरण योजना के अभाव में, केन्द्र ने कोई भी अध्ययन शुरू नहीं किया था। यह इस तथ्य को बताता है कि एक उपयुक्त मॉडल आहार वितरण प्रणाली विकसित करना और राज्य सरकार को इसका सुझाव देना कि यह केन्द्र की एक प्राथमिकता का क्षेत्र था।

#### (ग) राज्य सरकार को कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु सहायता

(i) केन्द्र के उद्देश्यों में से एक सरकार को जनजातीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सलाह और सहयोग देना है। यद्यपि, केन्द्र की स्थापना 1984 में हुई थी, फिर भी राज्य सरकार के साथ केन्द्र के अनुसंधान परिणामों के आधार पर जनजातीय स्वास्थ्य उन्नयन कार्यक्रम के परिणामों का प्राभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई समझौता नहीं किया था। इस प्रकार के किसी तंत्र के अभाव में, यह संदिग्ध है कि क्या केन्द्र के अनुसंधान परिणामों के उद्देश्यों और लाभों को जनजातीय जीवन के रहन-सहन में वास्तव में उतारा जा सकता है। केन्द्र के निदेशक ने एस ए सी को अक्टूबर 1998 में सूचित किया कि केन्द्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी प्रकार के समन्वय के अभाव में, केन्द्र की उपलब्धियों का राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था। जुलाई 1998 में लेखापरीक्षा के सुझाव पर कि इस विषय पर आपस में एक समझौता और समन्वय होना चाहिए, केन्द्र ने अप्रैल 1999 में बताया कि राज्य सरकार के साथ एक एमझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

तथापि, आई सी एम आर ने बताया (अक्टूबर 1999) कि राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन आवश्यक नहीं था क्योंकि 1993 में अन्तरक्षेत्रीय और जिला स्तरीय

केन्द्र का जनजातीय स्वास्थ्य पर अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ कोई समझौता नहीं है

समितियां गठित की गई थी जिसमें केन्द्र भी एक भागीदार है, जो केन्द्र की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु निरीक्षण कर सकता है।

(ii) राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, केन्द्र को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये हस्तक्षेप कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग और जनजातियों की जीवन शैली पर इसके प्रभाव की मूल्यांकन भी करना चाहिए था। केन्द्र ने कार्यक्रमों के प्रभाव की मॉनीटरिंग/मूल्यांकन नहीं किया। मध्यप्रदेश में 46 प्रमुख जनजातीय वर्गों में से, केन्द्र ने पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान केवल 10 जनजातियों और 7 आदि जनजातियों पर अध्ययन कराया। केन्द्र ने यह देखने के लिए कि किसी भी जनजाति का फिर से निरीक्षण नहीं किया कि उनके हस्तक्षेप का उनके स्वास्थ्य और अस्वस्थता पर कोई प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, केन्द्र ने अपने ही उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया था।

आई सी एम आर के अनुसार (अक्टूबर 1999), अधिकांश आदि जनजातियों का अध्ययन दस वर्ष के भीतर किया गया था और इनके पुनःनिरीक्षण की योजना बाद में बनाई जा सकती थी क्योंकि इतनी अल्प अवधि में किन्हीं सार्थक परिवर्तनों की उम्मीद नहीं थी। तथापि, 46 जनजाति समुदायों में से, केवल 17 का ही अध्ययन किया गया था और किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु समय-समय पर उसके प्रभावों का मूल्यांकन और परस्पर-क्रिया आवश्यक है।

#### (घ) जनजातीय विकास पर स्थिति-निर्धारण और प्रशिक्षण

केन्द्र का जनजातीय विकास से सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की कोई कार्य योजना नहीं थी

यद्यपि, केन्द्र के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह भी था कि विभिन्न विभागों और एजेंसियों के जनजातीय विकास से संबंधित कर्मचारियों को स्थिति निर्धारण और उसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण दें, परन्तु केन्द्र ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना प्रस्तुत नहीं की थी। केन्द्र ने सितम्बर 1997 में केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था जिसमें उसने राज्य सरकार के 55 पैरा-मेडीकल कर्मचारियों को एच आई वी पर निचले स्तर का परामर्शदायी प्रशिक्षण दिया था। इस तथ्य को स्वीकारते हुए, आई सी एम आर ने (अक्टूबर 1999) इस उद्देश्य की प्राप्ति में कमी के लिए भवन और पूर्ण रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कर्मचारियों जैसी सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया।

#### 2.1.8 पुश्तों से चली आ रही औषधीय पौधों से संबंधित जानकारी के प्रलेखन में विफलता

जनजातीय स्वास्थ्य योजना में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था थी कि औषधियों के रूप में प्रयोग हेतु जड़ी-बूटियों की पहचान की जाये जून 1995 में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्रों की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें यह भी निदेश दिया



गया कि केन्द्र जनजातीय लोगों द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु इस्तेमाल की जाने वाली क्षेत्रीय जड़ी-बूटियों पर एक अध्ययन कराये और पुश्टों से चलते आ रहे औषधीय पौधों के विषय में कीमती जानकारी को लेखाबद्ध कराये।

यद्यपि, केन्द्र ने इसे एक महत्वपूर्ण परियोजना माना तथा सभी जनजातीय पारम्परिक प्रणाली औषधियों के प्रलेखन के महत्व को अनुभव किया परन्तु उसने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। उसने 1998 में वैज्ञानिक सलाहकार समिति को 'मध्यप्रदेश के जनजातीय जिलों में पारम्परिक औषधियों की प्रणाली पर एक अध्ययन' पर परियोजना रिपोर्ट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। तथापि, वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने परियोजना अनुमोदित नहीं की तथा केन्द्र को निदेश दिया कि परियोजना को साहित्य के व्यापक अध्ययन के पश्चात तथा नई रूप रेखा के साथ फिर से प्रस्तुत करे। आई सी एम आर ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 1999) कि कार्यकलापों को तब तक के लिए रोक दिया गया था जब तक जनजातियों के साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की भागीदारी निर्धारित नहीं हो जाती। इस तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए बेलगाम में औषधीय वनस्पतियों के गहन अध्ययन कराने हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव विचारधीन था। इस उत्तर को जनजातियों की घटती हुई आबादी की पृष्ठभूमि कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इस बहुमुल्य ज्ञान का प्रलेखन न होने से इसके लुप्त हो। जाने के खतरे की दृष्टि में रखकर देखा जाना चाहिए था। वास्तविकता यह है कि जून 1995 में की गई सिफारिशों/निदेशों के बावजूद, इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

### 2.1.9 परियोजनाओं का कार्यान्वयन

शुरू की गई किन्हीं परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जांच से उद्देश्यों की प्राप्ति में निम्नानुसार कमियां देखी गई :

#### (क) अपूर्ण परियोजनाये

हीमोग्लोबिन विकार<sup>♥</sup>, जो मुख्य रूप से मध्य भारत की जनसंख्या में पाई जाने वाली सिकिल सेल डिजीज<sup>■</sup> तथा बी-थैलासेमिया<sup>■</sup> एक आम व्याधि है। भारतीय संदर्भ में सिकिल सेल डिजीज तथा बी-थैलासेमिया के मरीजों को उनके अपने आनुवांशिक मेकअप के संबन्ध में विस्तृत औषधीय ज्ञान नहीं था। इस अन्तर को भरने के लिए एस ए सी ने 1992 में 74 लाख रू की लागत की एक परियोजना

♥ सिकिल सेल डिजीज और बी-थैलासाइमिया जैसी हीमोग्लोबिनोपैथिक की विभिन्न बिमारियों के कारण उत्पन्न औषधालयी जटिलताएं  
■ सिकिल सेल डिजीज- सामान्य जटिलता भारी अरक्तता, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में सूजन, पित्ताशय मे पथरी और पुराना सीने का सिन्ड्रोम, पीलिया, सामान्य संक्रामक रोगों आदि के आवर्ती संक्रमण।

■ बी. थैलासाइमिया मेजर युवावस्था में भारी अरक्तता (6 माह से उपर) शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में आपरन की अधिकता, आवर्ती संक्रमण, अधिक कमजोरी, बच्चा केवल रक्त चढ़ाने से जीवित रह सकता है। इसके पश्चात, बच्चे का रक्त चढ़ाने से संबन्धित बहुत विविध बीमारियों के होने का बहुत खतरा रहता है।

”मध्य भारत में हीमाग्लोबिनपैथी की रोकथाम तथा प्रबन्धन” का अनुमोदन किया जिसके लिए बाह्य स्रोत से निधि प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने थे। परियोजना का उद्देश्य प्रिनैटल डाइग्नोसिस, बी-थैलासेमिया तथा इसके संबन्धित विकारों के प्रबन्धन के लिये तननीकी ज्ञान के विकास के लिए संरचनात्मक सुविधाओं को स्थापित करना था। बाह्य स्रोतों से वांछित निधि न प्राप्त होने के कारण एस ए सी ने 1994 में परियोजना के क्षेत्र को संशोधित करके ‘जबलपुर क्षेत्र में बी-थैलासेमिया का प्रचलन’ परियोजना को एक शैक्षिक अध्ययन तक सीमित कर दिया जिसके उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- जबलपुर क्षेत्र में विभिन्न जातीय वर्गों में बी-थैलासाइमिया तथा अन्य हीमोग्लोबिनोपैथिक विकारों के प्रचलन की दरों का अध्ययन।
- जबलपुर के बी-थैलासाइमिया संबन्धी प्रतिबिम्ब का अध्ययन।
- अरक्तता के स्तर और अनुपात का अध्ययन

परियोजना का क्षेत्र कम होने के साथ लागत को भी कम करके 14.25 लाख रू. कम दिया परियोजना को नवम्बर 1997 तक पूरा किया जाना था।

केन्द्र के अनुरोध पर, आई. सी. एम. आर. ने परियोजना की अवधि अक्टूबर 1998 तक बढ़ा दिया। सीमित क्षेत्र के हो जाने पर भी परियोजना मार्च 1999 तक परियोजना हेतु अपेक्षित उपस्कर प्राप्ति में विलम्ब जैसे घरेलू कारणों से पूरी नहीं हुई थी।

आई सी एम आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि बी.थैलासेमिया जैसे आनुवंशिक विकारों को दूर नहीं किया जा सकता तथा सिकिल सेल बीमारियों के नैदानिक प्रबन्धन हेतु एक संशोधित रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा एस ए सी को 1998 में प्रस्तुत की गई थी जिसके लिए निधि की सम्भावना पर अन्वेषण किया जा रहा था। आई सी एम आर का उत्तर जनजातीय स्वास्थ्य संरक्षण आवश्यकताओं पर कम चिन्ता दर्शाता है।

### (ख) एक परियोजना के पूरे होने में विलम्ब

परियोजना में 7 में से केवल एक जनजाति को पूरा किया जा सका

एस ए सी ने अगस्त 1996 में मध्यप्रदेश की प्राचीन जनजातियों में मलेरिया की प्रचलित दर के अध्ययन हेतु ”मलेरिया का महामारी विज्ञान” पर एक परियोजना को मंजूरी दी जिसमें रोगवाहक कीटाणुओं की किस्मों तथा बीमारियों को फैलाने में उनकी भूमिका तथा उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाना था। एस ए सी के निर्देशानुसार, प्रत्येक वर्ष कम से कम दो जनजातियों पर अध्ययन करना था ताकि मध्य प्रदेश की सभी सात आदिम जनजातियों पर अध्ययन लगभग 3-4 वर्षों में पूरा

किया जा सके। यद्यपि, केन्द्र को मार्च 1999 तक 3-4 आदिम जनजातियों पर अध्ययन पूरा करना था, इसने मार्च 1999 तक केवल एक जनजातीय समुदाय अर्थात् भरिया, जिसकी जनसंख्या केवल 1430 थी पर अध्ययन पूरा किया था।

आई सी एम आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि यद्यपि, परियोजना को अन्य केन्द्रों के सहयोग से पूरा किया जाना था परन्तु यह केन्द्र पूर्व बचनबद्धता के कारण शामिल नहीं किये जा सके, क्योंकि जबलपुर केन्द्र का एक कीटविज्ञानी केवल एक समुदाय पर अध्ययन कर रहा था तथा मलेरिया अनुसन्धान केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्रों को इसमें शामिल करने हेतु नये सिरे से प्रयास किये जा रहे थे ताकि सभी जनजातियों पर तेजी से अध्ययन किया जा सके। आई सी एम आर का उत्तर वैज्ञानिक सलाहकार समिति को परियोजना के उत्तरदायित्व के लिए वचनबद्धता लेते समय ऐसे पहलुओं के लिए पूर्वानुमान करने और मुहैया कराने में केन्द्र की विफलता को रेखांकित करता है।

#### (ग) अध्ययन का गैर-मूल क्षेत्र विपथन

केन्द्र ने जबलपुर जिले के सिन्धियों में जागरूकता पैदा करने के लिए सिन्धियों (गैर-जनजातीय) के वंशानुगत अरक्तता की प्रबलता पर आनुवंशिक सलाह के प्रभाव का अध्ययन करने और भारी जोखिम वाले दम्पतियों को आनुवंशिक सलाह देने और बीमारी की प्रबलता पर आनुवंशिक सलाह के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 1998 में एक परियोजना बनाई। यह परियोजना केन्द्र के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं थी।

आई सी एम आर ने बताया कि जबलपुर के सिन्धी समुदाय में बी-थैलासेमिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर अध्ययन आरम्भ किया गया तथा इस परियोजना के परिणामों को जनजाति जनसंख्या के मामलों में उपयोग किया जायेगा। तथापि, जबकि योजना अभी प्रगति में है, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभी तक उपलब्ध परिणामों को जनजातियों की इसी प्रकार की समस्याओं के लिए उपयोग किया गया।

#### (घ) राज्य सरकार को विशिष्ट संस्तुतियां नहीं की गईं

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल के आर्थिक पहलू के अध्ययन को पूरा करने के बाद केन्द्र ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की

केन्द्र द्वारा 1987-1990 के दौरान, 'मध्यप्रदेश के एक जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य संरक्षण के आर्थिक पहलुओं पर' किये गए एक अध्ययन से पता चला कि जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य संरक्षण की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी तथा वहां के लोगों के आर्थिक जीवन स्तर में सुधार की मांग की गई जिससे उनकी कृशक्ति बढ़ें ताकि वह लोग उचित इलाज करा सकें। अध्ययन की समीक्षा के दौरान, एस ए सी ने टिप्पणी की कि यह पहले से ही उजागर तथ्य था कि समुदाय का आर्थिक स्तर

उनके स्वास्थ्य व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः एस ए सी ने सुझाव दिया कि अध्ययन की खोजों की इस उद्देश्य से समीक्षा की जानी चाहिए कि राज्य सरकार को विशिष्ट संस्तुतियां की जा सकें। तथापि, केन्द्र ने अध्ययन परिणामों की समीक्षा के पश्चात्, इस प्रकार की कोई संस्तुति नहीं की थी।

केन्द्र ने अप्रैल 1999 में बताया कि डा. डी. के. मिश्रा, प्रधान अन्वेषक ने निदेशक के निदेशों के बावजूद, इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया था और इसलिए केन्द्र, राज्य सरकार को ठोस संस्तुति नहीं भेज सका। तथापि, आई सी एम आर का उत्तर, प्रधान अन्वेषक के विरुद्ध इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में मूक था।

**(ड) फ्लोराइड मुक्त सुरक्षित जल उपलब्ध करवाने की एक परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब**

केन्द्र द्वारा किए गये एक विश्लेषण से पता चला कि मध्य प्रदेश के मांडला जिले में राज्य सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध करवाये जा रहे (बोर किए गए कुओं से) जल के पीने से जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण बच्चों के दांतों में मूटिंग और फ्लोरोसिस कुरूपता से प्रभावित थे। 1995-96 में इन के परिणाम स्वरूप, राज्य सरकार द्वारा सभी बोर किए गए कुओं की जांच/विश्लेषण करवायी गई तथा फ्लोराइड से दूषित कुओं को बन्द करा दिया गया था।

इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र ने मांडला जिले के फ्लोरोसिस ग्रस्त क्षेत्र का पूरी तरह सर्वेक्षण कर के उस को समाप्त करके सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाने के लिए विचार किया। एस ए सी ने अगस्त 1996 में परियोजना को मंजूरी दे दी।

‘फ्लोरोसिस की समस्या का फैलाव और अधिकता का निर्धारण’ परियोजना का प्रथम चरण प्रारम्भ होने की तिथि से दस महीने के भीतर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत प्रदत्त निधि में से 4.24 लाख रू की अनुमानित लागत से पूरी होनी थी और परियोजना का दूसरा चरण ‘सुरक्षित और दीर्घकालिक पेयजल संसाधन व्यवस्था के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम का प्रवेश’ को लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी प्रभाग, राज्य भू-जल बोर्ड और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के सहयोग से प्रारम्भ किया जाना था। निधि की निर्मुक्ति परियोजना की प्रगति से जुड़ी थी। अगस्त 1997 में, 1.69 लाख रू. की पहली किश्त निर्मुक्त की गई। परियोजना का प्रथम चरण विलम्ब से प्रभावित हुआ तथा मार्च 1999 तक भी पुरा नहीं हुआ था। केन्द्र ने परियोजना के प्रथम चरण के समय पर पूरा न होने के लिए अनुदान की दूसरी किश्त को देरी से प्राप्त होने के लिए उत्तरदायी ठहराया। दूसरी किश्त को विलम्ब से निर्मुक्त करने का मुख्य कारण

केन्द्र द्वारा वांछित प्रगति रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने में उनकी विफलता था। इसके अतिरिक्त, परियोजना के लेखाओं की जांच से पता चला कि केन्द्र के पास विभिन्न तिथियों को अन्त-शेष के रूप में पर्याप्त निधि उपलब्ध थी। इस प्रकार, जनता को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं किये जाने के कारण सुरक्षित और दीर्घकालिक पेयजल संसाधन से लोग वंचित रह गये।

#### 2.1.10 अनुपयुक्त मॉनीटरिंग प्रणाली

एस. ए. सी. श्रेष्ठ वैज्ञानिकों से बनी एक एजेंसी है जो केन्द्र के कार्य की समीक्षा और प्रयोगशालाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए उत्तरदायी है। एस. ए. सी., केन्द्र द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है, की वर्ष में एक बैठक आवश्यक है। तथापि, 1994-95 से 1998-99 के बीच, एस. ए. सी. की बैठके केवल तीन अवसरों पर अर्थात्, फरवरी 1995, अगस्त 1996 और अक्टूबर 1998 में आयोजित की गई थी, जो चालू परियोजनाओं की दोषपूर्ण मॉनीटरिंग का संकेत देती है।

#### 2.1.11 निष्कर्ष

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आर एम आर सी टी, जबलपुर में निरन्तर अकुशलता आ रही है अर्थात् धन का अभाव, वैज्ञानिक मानव शक्ति का हास और मौलिक सुविधाओं की कमी, इस पर विडम्बना यह है कि सभी विभाग/ प्रयोगशालाओं के लिए बने विशाल परिसर को कानूनी अड़चनों के कारण निकट भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना नहीं है। इन बाधाओं से केन्द्र के अनुसंधान सम्बंधी कार्यकलापों में गम्भीर रुकावटें पैदा हुई है और कई विभागों की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान अधिकारियों की अनुपस्थिति में पिछले पांच से दस सालों से कार्य नहीं कर रही है। इन सबकी जानकारी होते हुए भी आई सी एम आर ने अपनी ओर से इनमें से किसी भी समस्या को प्रदर्शित नहीं किया। इस परिपेक्ष्य में केन्द्र के निरन्तर कार्य करने की समीक्षा की गम्भीर रूप से आवश्यकता है।

### अध्याय 3 : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

#### 3.1 प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपयोग

##### मुख्य-मुख्य बातें

- प्रयोगशाला आरक्षित निधि के मार्गदर्शन सिद्धान्त अस्पष्ट थे और आकस्मिक तथा मूलभूत संरचना के उन्नयन से संबन्ध न रखने वाली अन्य मदों पर खर्च की अनुमति देने वाले थे। परिणामस्वरूप, प्रयोगशालाओं के निदेशकों को प्रयोगशाला आरक्षित निधि से मूलभूत ढांचे के उन्नयन से संबन्ध न रखने वाली मदों पर खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।

(पैराग्राफ 3.1.4)

- प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान, स्वर्ण जयन्ती/वार्षिक दिवस समारोहों, उपहारों/स्मृति चिन्हों, अल्पाहारों/मध्यान्ह भोज/रात्रि भोज, निर्माण, मरम्मत/रखरखाव और निजी निकायों आदि को वित्तीय सहायता पर 6.37 करोड़ रु प्रयोगशाला आरक्षित निधि से खर्च किए। कुल 6.37 करोड़ रु के व्यय में से, 0.97 करोड़ रु के व्यय निदेशक द्वारा संस्वीकृत भी नहीं थे।

(पैराग्राफ 3.1.4 (क))

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने प्रयोगशालाओं के निदेशकों को प्रयोगशाला आरक्षित निधि से व्यवसाय विकास/प्रोन्नति, के लिए विदेश यात्राओं पर खर्च करने को प्राधिकृत किया था जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया था कि निदेशकों ने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा विचार गोष्ठी आदि के लिए भी खुले तौर पर प्राधिकृत किया। हालाँकि, इस तरह की कई यात्राएँ अनुसंधान-विकास, मूलभूत संरचना तथा संसाधनों के उन्नयन में उपयोगी कतई नहीं साबित हुईं। 1997-99 के दौरान, 53.91 लाख रु विदेश यात्राओं पर खर्च हुए।

(पैराग्राफ 3.1.4 (ख))

- भारत की संचित निधि में से आहरित 38.17 करोड़ रु की राशि प्रयोगशाला के निदेशकों द्वारा अवैध रूप से प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरित की गई जो कि 1994-99 के दौरान उत्पादित कुल प्रयोगशाला आरक्षित निधि का 21.70 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 3.1.2)

➤ प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अन्तर्गत 19.19 करोड़ से लेकर 72.63 करोड़ रूप तक के पर्याप्त शेष होने के बावजूद, निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 10.27 करोड़ रूप से लेकर 25.85 करोड़ रूप के उपयोग की योजना बनाई। आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अभी भी सरकार पर निर्भर है।

(पैराग्राफ 3.1.3)

➤ प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अभिलेख प्रयोगशाला आरक्षित निधि के प्रजनन और उपयोग की पारदर्शिता दशानि में विफल रहे।

(पैराग्राफ 3.1.5)

### 3.1.1 विषय-प्रवेश

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 1 अप्रैल 1992 से प्रयोगशाला आरक्षित निधि बनाया। निधि बनाये जाने के मुख्य उद्देश्य अनुसंधान-विकास के प्रयासों के लिए, उनके वित्तीय संसाधनों को अनुपूरित करने के अतिरिक्त, मूलभूत संरचना के उन्नयन के प्रयोगशाला की प्राप्तियों को चैनलबद्ध करना था। इस प्रकार, अनुसंधान-विकास से संबंधित आय जैसे रॉयल्टी एवं प्रीमियम, परीक्षण प्रभार, प्रशिक्षण शुल्क, पायलट संयंत्र से आय, प्रायोजित/परामर्शी परियोजनाओं पर ऊपरी प्रभार, बौद्धिक शुल्क और पूर्ण/बन्द हुई परियोजनाओं से बचे हुए अधिशेषों को पृथक् करके प्रयोगशाला आरक्षित निधि में रखा गया, जबकि अतिथिगृह शुल्कों, निविदापत्रों, कीमत प्रकाशनों, निवेशों दूरभाष एवं वाहन के निजी प्रयोगों से आय, पानी एवं बिजली शुल्क की वसूली आदि इसमें शामिल नहीं थे।

(ख) वर्ष 1994-99 के दौरान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के प्रयोगशाला आरक्षित निधि के प्रजनन और उपयोग से सम्बंधित अभिलेखों की जांच के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शाक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा समीक्षा की गई। 1993-94 के शुरू में, प्रयोगशाला आरक्षित निधि में आदि शेष 28.65 करोड़ रूप था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की 41 प्रयोगशालाओं द्वारा 1994-99 से प्रजनित कुल 263.54 करोड़ रूप में से 138.92 करोड़ रूप का उपयोग किया गया। **परिशिष्ट-IV** में उल्लिखित 14 प्रयोगशालाओं जिनमें 175.88 करोड़ रूप का प्रजनन तथा 100.32 करोड़ रूप का व्यय अन्तर्ग्रस्त था जो प्रजनित प्रयोगशाला आरक्षित निधि का नमूना 66.74 प्रतिशत और उसके उपयोग का 72.21 प्रतिशत था, के अभिलेखों की जांच यह देखने के लिए की गई थी कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि

का गठन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मार्ग दर्शन के अनुसार हुआ था और क्या प्रयोगशाला आरक्षित निधि को क्रेडिट हुई निधि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए उस का गठन हुआ था। नमूना जांच के परिणाम संक्षेप में निम्नानुसार थे:

### 3.1.2 प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अप्राधिकृत अन्तरण

14 प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने अप्राधिकृत रूप से 38.17 करोड़ रूप प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरित किया

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मार्गदर्शनों के अनुसार, पैराग्राफ 3.1.1 (क) में बताये अनुसार अनुसंधान-विकास से हुई समस्त आय प्रयोगशाला आरक्षित निधि में जमा हो जानी थी। इससे स्पष्ट है कि केवल प्रयोगशालाओं द्वारा प्रजनित निधि ही प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरित की जाएगी न कि भारत की संचित निधि से। इन 14 प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने 1994-99 में कुल प्रजनित प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 38.17 करोड़ रूप, जो कि 21.70 प्रतिशत बनता है को अप्राधिकृत रूप से अन्तरित किया, जो निम्नानुसार है:

निवेशों से प्रोद्भूत 28.56 करोड़ रूप का ब्याज अप्राधिकृत रूप से प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरित किया गया

(i) सरकार द्वारा विमोचित सहायता-अनुदान की शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान परियोजनाओं के अव्ययित शेष के निवेश से प्रोद्भूत ब्याज को, अनुवर्ती किशतों में वापस/ समायोजित किया जाना चाहिए था। 1992 में अनुमोदित लेखा क्रियाविधि के अनुसार भी, इन्हें "विविध आय" का भाग होना चाहिए था। 14 प्रयोगशालाओं की वर्ष 1994-99 की जाँच से पता चला कि प्रायोजित सहायता-अनुदान परियोजनाओं के जमा निवेश की 28.56 करोड़ रूप की राशि को प्रयोगशाला आरक्षित निधि को स्थानान्तरित की गई थी। कुल 28.56 करोड़ रूप में से, सात प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने 23.54 करोड़ रूप का निम्नानुसार हिसाब दिया:

(करोड़ रूप में)

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम	राशि
1.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान	3.02
2.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान	2.35
3.	केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान	2.20
4.	राष्ट्रीय वातरिक्ष प्रयोगशाला	2.18
5.	राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला	2.82
6.	राष्ट्रीय पर्यावरण तथा इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान	5.44
7.	राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान	5.53
कुल जोड़		23.54



इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान (सी एफ टी आर आई), केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी डी आर आई) और सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आई एम टी ई सी एच) में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की निधि के निवेश से अर्जित क्रमशः 17.42 लाख रु, 0.88 लाख रु और 5.39 लाख रु के ब्याज को सम्बन्धित निदेशकों ने अप्राधिकृत रूप से वर्ष 1996-99 के दौरान प्रयोगशाला आरक्षित निधि को स्थानान्तरित किए। यह तथ्य कि सहायता अनुदान से सम्बन्धित राशि जो वास्तव में भारत की संचित निधि से आहरित की गई थी, निदेशकों की इस क्रिया को बहुत ही अनुचित बना देती है। यद्यपि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इस तरह के अन्तरण की जांच व रोकथाम में विफल रही। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) ने फरवरी 2000 में बताया कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि में किए ऐसे क्रेडिटों की समीक्षा की प्रयोगशालाओं को सलाह दी जा रही थी।

11 प्रयोगशालाओं ने परियोजनाओं के अव्ययित/अतिरिक्त शेष 9.08 करोड़ रु प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरित किया

(ii) वर्ष 1994-99 के दौरान, 11 प्रयोगशालाओं ने पूरी हुई प्रायोजित/सहायता अनुदान परियोजनाओं के अव्ययित/अतिरिक्त शेष 9.08 करोड़ रु प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरित किया। जिसके परिणामस्वरूप, भारत की संचित निधि से प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अन्तरण हुआ, जो सरकार द्वारा विमोचित सहायता अनुदान को शासित करने वाले प्रावधानों के विरुद्ध था। सी एस आई आर ने फरवरी 2000 में बताया कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि में किये गये ऐसे क्रेडिटों की समीक्षा की प्रयोगशालाओं को सलाह दी जा रही थी।

(iii) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान (सी एफ टी आर आई) और सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आई एम टी ई सी एच) के निदेशकों ने वर्ष 1997-98 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रदत्त बजटीय अनुदान में से क्रमशः 25.00 लाख रु और 4.21 लाख रु प्रयोगशाला आरक्षित निधि को अप्राधिकृत रूप से अन्तरित किया। इसके परिणामस्वरूप, भारत की संचित निधि से आहरित निधि का प्रयोगशाला आरक्षित निधि को सीधा अन्तरण हुआ। तथ्यों को मानते हुए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) ने फरवरी 2000 में बताया कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिक संस्थान (इम्टेक) ने जनवरी 2000 में गलत अन्तरण को ठीक कर लिया है।

### 3.1.3 प्रयोगशाला आरक्षित निधि के गठन के बावजूद आधुनिकीकरण/ अनुसंधान-विकास गतिविधियों के लिए बजटीय सहायता पर लगातार निर्भरता

प्रयोगशाला आरक्षित निधि में पर्याप्त शेष उपलब्ध होने के बावजूद, सम्बन्धित निदेशकों ने इष्टतम उपयोग की योजना नहीं बनायी

वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 263.54 करोड़ रू प्रजनित किये और केवल 138.92 करोड़ रू का उपयोग किया। 14 प्रयोगशालाओं की विस्तृत जांच से पता चला कि वर्ष 1994-99 के दौरान, इन प्रयोगशालाओं के पास प्रयोगशाला आरक्षित निधि में 19.19 करोड़ रू से 72.63 करोड़ रू के बीच का पर्याप्त शेष उपलब्ध था। ऐसे अत्यधिक शेष उपलब्ध होने के बावजूद, इन प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान, प्रयोगशाला आरक्षित निधि का योजनागत 10.27 करोड़ रू से 25.85 करोड़ रू के बीच उपयोग की योजना बनाई जो निम्नानुसार है।

(करोड़ रू में)

वर्ष	प्रयोगशाला आरक्षित निधि में शेष	परियोजित उपयोग
1994-95	19.19	10.27
1995-96	30.49	12.45
1996-97	46.68	14.63
1997-98	65.15	20.34
1998-99	72.63	25.85

यह रोचक है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान (सी एफ टी आर आई), सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आई एम टी ई सी एच), राष्ट्रीय रासायन प्रयोगशाला (एन सी एल) तथा (एन ई इ आर) के निदेशक परियोजित निधि का उपयोग भी नहीं कर सके। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) ने फरवरी 2000 में बताया कि यह एक आरक्षित निधि थी और अधिकांश प्रयोगशालाएं पर्याप्त निवेश की आवश्यकता वाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए प्रयोगशाला आरक्षित निधि का संचय कर रही थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि से प्रमुख खर्च ऐसी मदों पर है जिनका प्रयोगशाला मूलभूत संरचना से कोई वास्ता नहीं था।

आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् लगातार सरकारी सहायता पर निर्भर है

इसके अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन की संसदीय स्थायी समिति ने 19 जून, 1998 की बैठक में अपना मत व्यक्त किया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अपनी प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए अपने आन्तरिक

संसाधन प्रजनित करे और यह विश्व में प्रतियोगी बनने के लिये भी टिप्पणी की कि अधिकांश प्रयोगशालाओं को तुरन्त आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। 31 मार्च 1998 और 1999 को प्रयोगशाला आरक्षित निधि में पर्याप्त राशि<sup>⊗</sup> क्रमशः 114.74 करोड़ रू और 153.27 करोड़ रू पर्याप्त राशि होने के बावजूद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वर्ष 1997-98 और 1998-99 में आधुनिकीकरण के लिए केवल 1.37 करोड़ रू तथा 1.44 करोड़ रू का प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से उपयोग किया। जबकि इन वर्षों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने क्रमशः 46.00 करोड़ रू और 48.00 करोड़ रू सरकार से प्राप्त किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने फरवरी 2000 में बताया कि आधुनिकीकरण के लिए प्रयोगशाला आरक्षित निधि से खर्च के पर्याप्त रूप से बढ़ने की संभावना थी।

### 3.1.4 प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपयोग

वर्ष 1994-99 के दौरान, सरकारी अनुदान तथा प्रयोगशाला आरक्षित निधि के राजस्व तथा पूंजी शीर्षों के अन्तर्गत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा उपयोग की गई निधी के उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषणों से पता चला कि इन प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने आकस्मिक व्यय, रख-रखाव, मानदेय और विदेशी दौरे पर यात्रा भत्ता जैसे राजस्व शीर्षों पर कुल व्यय का 26.99 से 74.17 प्रतिशत तक (प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से) व्यय किया। वर्ष 1994-99 के दौरान, प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशाला आरक्षित निधि से किये गये पूंजी व्यय का किये गये कुल व्यय का 12.69 से 48.33 प्रतिशत निम्नानुसार किया गया:

नियमित सरकारी अनुदान के अतिरिक्त के साथ-साथ बजट के विकल्प के रूप में प्रयोगशाला आरक्षित निधि का प्रयोग किया गया

<sup>⊗</sup> कुल राशि प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अंतर्गत

(लाख रु में)

क्रम सं०	व्यय शीर्ष	कुल व्यय	प्रयोगशाला आरक्षित निधि से व्यय	प्रयोगशाला आरक्षित निधि से उपयोग की प्रतिशत
<b>(क) राजस्व</b>				
1.	आकस्मिक व्यय	4197.39	1238.18	29.50
2.	रख-रखाव	1155.02	311.77	26.99
3.	मानदेय	19.24	5.75	29.89
4.	यात्रा भत्ता (विदेशी)	124.56	92.39	74.17
<b>(ख) पूंजी</b>				
1.	निर्माण कार्य और सेवाये	1031.40	328.84	31.88
2.	उपकरण और उपस्कर कम्प्यूटर सहित	3948.50	1358.25	34.40
3.	कार्यालय उपकरण	98.35	47.53	48.33
4.	पुस्तकालय की किताबें	582.23	73.86	12.69

जैसा कि उपरोक्त सारिणी से पता चलता है कि, प्रयोगशाला आरक्षित निधि का प्रयोग सभी प्रकार के व्यय के लिये किया गया था जिनमें से कई अनुसंधान-विकास व्यय नहीं थे। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशकों ने वर्ष 1995-99 के दौरान, आकस्मिक व्यय पर क्रमशः 63.17 लाख रु, 220.47 लाख रु और 347.20 लाख रु व्यय किए। इसमें से, केवल बिजली, टेलिफोन और विविध एवं आकस्मिक शीर्षों पर ही क्रमशः 52.27 लाख रु, 137.71 लाख रु और 260.96 लाख रु जो कि 82.74, 62.46 और 75.16 प्रतिशत है।

निदेशकों को प्रदत्त लचीलेपन से आर्थिक निदेशों की अवहेलना करके व्यय को अनुमत किया

हालांकि, प्रयोगशाला आरक्षित निधि का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशालाओं के अनुसंधान-विकास के प्रयास तथा मूलभूत संरचना उन्नयन का था, लेकिन, इस सम्बन्ध में बनाए गए दिशा निर्देश अस्पष्ट थे और प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से पूंजी और राजस्व व्यय की सभी मदों को अनुज्ञेय मिल गया। जिसके परिणामस्वरूप सम्बंधित निदेशकों द्वारा प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से व्यय, बिना इस बात की जानकारी के कि उक्त व्यय मूलभूत संरचना तथा अनुसंधान विकास के कार्यों पर किए गए थे। यह देखने में आया था कि प्रयोगशाला के निदेशकों ने आकस्मिक व्यय व अन्य मदों पर व्यय किया जिनका मूलभूत संरचना के उन्नयन से कोई सम्बन्ध नहीं था। आगे के ग्राफों में इस तरह के प्रासंगिक ब्यौरे का उल्लेख किया गया है।

(क) गैर अनुसंधान-विकास कार्यों पर व्यय

निदेशकों द्वारा  
गैर-अनुसंधान-विकास  
कार्यों पर प्रयोगशाला  
आरक्षित निधि से 6.37  
करोड़ रु व्यय किया गया

प्रत्येक मद के व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि निम्नलिखित विशेष मामलों में 14 प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान कुल 6.37 करोड़ रु विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन गैर-अनुसंधान-विकास पर व्यय किया, हालाँकि, इन वर्षों के दौरान प्रयोगशालाएँ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से आकस्मिक व्यय के लिए बजटीय सहायता लेती रही। 1994-99 के दौरान गैर अनुसंधान विकास कार्य कलापों पर किया गया संस्थान वार व्यय निम्नानुसार था :

(लाख रु में)

संस्थान का नाम	गैर अनुसंधान-विकास कार्यों पर व्यय
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	263.46
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	104.47
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	94.15
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूडकी	44.57
निस्काम, नई दिल्ली	39.40
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ	27.20
राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बंगलौर	17.99
केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	17.12
भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	9.62
केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	9.61
केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	5.33
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़	4.33
<b>योग</b>	<b>637.25</b>

इसके अतिरिक्त, 6.37 करोड़ रु में से, 0.97 करोड़ रु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाओं द्वारा बिना निदेशकों की किसी विशेष संस्वीकृति के व्यय किया गया। संस्थाओं द्वारा व्यय किए गए मदवार ब्योरे परिशिष्ट-1 में दर्शाए गए हैं।

(i) टेलिफोन/मोबाइल फोन बिल

छ: प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने 77.41 लाख रू के टेलिफोन बिल अदा किये, जिसमें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और एन सी एल के निदेशकों ने 6.04 लाख रू के मोबाइल फोन बिल भी सम्मिलित है

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय रसायन संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक संस्थान और राष्ट्रीय वैज्ञानिक संचार संस्थान ने वर्ष 1994-99 के दौरान प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 77.41 लाख रू टेलिफोन/मोबाइल फोन बिल अदा करने पर व्यय किए। इनमें से 46.84 लाख रू और 21.63 लाख रू क्रमशः भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और राष्ट्रीय रसायन संस्थान से संबन्धित थे। 77.41 लाख रू में से, राष्ट्रीय रसायन लिमिटेड ने जुलाई 1997 से फरवरी 1999 तक 3.24 लाख रू निदेशक प्रशासन नियंत्रक एव कर्मचारियों के मोबाइल फोन और पेजर बिल अदा करने पर व्यय किया तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने भी जनवरी 1998 से दिसम्बर 1998 के दौरान निदेशक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के मोबाइल फोन बिल अदा करने पर 2.80 लाख रू व्यय किया। मार्च 1998 से मार्च 1999 के दौरान सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने भी 0.52 लाख रू आवासीय टेलिफोन बिल पर व्यय किए।

(ii) जलपान/अपरान्ह भोज/रात्रिभोज

आठ प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने 20.47 लाख रू जलपान/अपरान्ह भोज/रात्री भोज पर व्यय किया

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय रसायन लिमिटेड, राष्ट्रीय महासागर संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान जलपान/अपराह भोज/रात्रिभोज पर प्रयोगशाला आरक्षित निधि से 20.47 लाख रू व्यय किया। 20.47 लाख रू में से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने क्रमशः 9.55 लाख रू और 6.23 लाख रू व्यय किया। चूंकि, यह व्यय अनुसंधान-विकास मूलभूत संरचना से दूर तक सम्बन्धित नहीं है, इसलिए इस दुरुपयोग के लिए निदेशक व्यक्तिगतरूप से जिम्मेवार है।

(iii) अखबार के बिलों की प्रतिपूर्ति

वर्ष 1994-99 के दौरान, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के निदेशकों ने वैज्ञानिक/गैर-वैज्ञानिक अधिकारियों के निवास के अखबार के बिलों की 3.65 लाख रू की प्रतिपूर्ति प्रयोगशाला आरक्षित निधि से की गई।

(iv) उपहार/स्मृति चिन्ह

चार प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 11.05 लाख रू उपहार/स्मृति चिन्ह बाँटने में खर्च किया

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय महासागर संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों ने 1995-99 के दौरान स्वर्ण जयन्ती समारोह, सेमिनारों, गोष्ठीयों, वैज्ञानिक/तकनीकी परामर्श समिति की बैठकों, संसदीय समिति की बैठक और दिवाली पर्व जैसे विभिन्न मौकों पर उपहार बाँटने/स्मृति चिन्ह/बैग/चांदी के सिक्के (सोने की पॉलिश) आदि पर, सम्बन्धित निदेशकों ने 1995-1999 के दौरान क्रमशः 1.70 लाख रू, 2.95 लाख रू, 0.49 लाख रू और 5.91 लाख रू अपने प्रयोगशाला आरक्षित निधि से प्राधिकृत किये। 2.95 लाख रू के व्यय में से, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने अति विशिष्ट लोगों और शुभचिन्तकों को लीची फल और दिवाली के उपहार बाँटने पर 0.66 लाख रू का व्यय किया। यह राशि निदेशक से वसूल की जानी चाहिए तथा वित्तीय औचित्यों का उल्लंघन करने के लिए भी कारवाई की पहल की जानी चाहिए।

(v) स्थापना/स्वर्ण जयन्ती समारोह

छः प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि से 40.73 लाख रू स्थापना/स्वर्ण जयन्ती समारोह पर व्यय किया

वर्ष 1994-99 के दौरान केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय महासागर संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान ने अपनी प्रयोगशालाओं का स्थापना दिवस/स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाया तथा क्रमशः 4.26 लाख रू, 0.20 लाख रू, 0.24 लाख रू 28.60 लाख रू, 6.63 लाख रू और 0.35 लाख रू कुल योग 40.73 लाख रू प्रयोगशाला आरक्षित निधि से व्यय किया। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने वर्ष 1997-98 में स्वर्ण जयन्ती समारोह के दौरान श्री जवाहर लाल नेहरू के धड़ तक की प्रतिमा की खरीद और उसके प्रतिस्थापन पर 0.45 लाख रू व्यय किए। इन गतिविधियों का अनुसंधान-विकास क्रियाकलापों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(vi) निजी निकायों को वित्तीय सहायता

निजी निकायों को प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 1.00 लाख रू की वित्तीय सहायता विमोचित किया

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 0.95 लाख रू का अनुदान अप्राधिकृत रूप से निजी निकायों को दिया जिनमें वर्ष 1995-96 और 1998-99 में दून स्कूल को उच्च शिक्षा केन्द्र स्थापना के लिए दून प्रेस क्लब को कुर्सीयाँ और घुनी संयंत्र के लिए और भारतीय जन-सम्पर्क सोसाइटी को एकबारी अनुदान के रूप में दिया गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय महासागर संस्थान के निदेशक ने फरवरी 1999 में प्रयोगशाला आरक्षित निधि से 5000 रू एक निजी स्कूल को वार्षिक दिवस समारोह पर दान दिया। इस प्रकार, प्रयोगशाला आरक्षित निधि को विविध क्रियाकलाप निधि मानकर प्रयोग किया गया और इस प्रकार के अप्राधिकृत व्यय के लिए इन प्रयोगशालाओं के निदेशक जिम्मेवार हैं।

**(vii) कोरियर/डाक प्रभार**

प्रयोगशाला आरक्षित निधि से 4.37 लाख रू निजी कोरियर सेवा पर व्यय किया गया।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान कोरियर सेवाओं और डाक प्रभारों पर क्रमशः 4.37 लाख रू और 13.29 लाख रू प्रयोगशाला आरक्षित निधि से व्यय किये। व्यय के इन मदों को वार्षिक बजट से पूरा किया जाना था।

**(viii) बिजली और जल प्रभार**

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान कुल 1.42 करोड़ रू कार्यालय के बिजली के बिल का भुगतान किया जिसमें 0.56 लाख रू केन्द्रीय औषध अनुसंधान संसाधन के रिहायशी परिसर के ट्यूबवेल प्रभार के थे। इनमें से, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से बिजली प्रभार पर 93.77 लाख रू व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय वैज्ञानिक सूचना संस्थान के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान, कार्यालय और रिहायशी बस्ती के पानी के लिए क्रमशः 3.77 लाख रू और 1.28 लाख रू प्रयोगशाला आरक्षित निधि से अदा किये गये।

**(ix) स्टाफ/कल्याण क्लब**

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान निदेशकों में वर्ष 1994-99 के दौरान प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से अपने स्टाफ/कल्याण क्लब को इनाम बांटने के समय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भजन-संध्या, स्वाधीनता दिवस समारोह इत्यादि मनाने के लिए 5.29 लाख रू व्यय किये। कल्याण क्लब के सदस्यों का अनुसंधान-विकास गतिविधियों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। 5.29 लाख रू में से केवल भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और राष्ट्रीय महासागर संस्थान के निदेशक ने क्रमशः 2.21 लाख रू और 1.19 लाख रू व्यय किये।



(x) समयोपरि भत्ता/मानदेय/रात्रि ड्यूटी भत्ता

तीन प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि से 29.11 लाख रू खर्च करने के अतिरिक्त मानदेय पर निर्धारित सीमा से 34.88 लाख रू अधिक खर्च किया।

वित्त मंत्रालय द्वारा मई 1993 में जारी निर्देशों के अनुसार, प्रयोगशालाओं को 1990-91 में मानदेय पर अदा की गई राशि तक अनुवर्ती वर्षों के मानदेय की राशि सीमित करनी थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों ने न केवल वित्त मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना की अपितु अपने नियमित अनुदान से क्रमशः 13.04 लाख रू, 8.60 लाख रू और 13.24 लाख रू से निर्धारित सीमा से ज्यादा अदा किया उन्होंने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से भी क्रमशः 14.87 लाख रू, 11.88 लाख रू और 2.36 लाख रू मानदेय पर व्यय किए। इसके अतिरिक्त, उनके सामान्य अनुदान के लेखे में मानदेय की राशि का अन्य स्रोत से भुगतान छुपाकर दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय वातरिक्ष प्रयोगशालाएँ और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने वर्ष 1995-99 के दौरान प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 7.49 लाख रू मानदेय पर व्यय किये। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने अक्टूबर 1998 में प्रयोगशाला आरक्षित निधि से रात्रि ड्यूटी भत्ते पर 0.97 लाख रू व्यय किए।

(xi) पेट्रोल/डीजल

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय विक्षम संचार संस्थान के निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से सरकारी वाहनों के/पेट्रोल/डीजल पर 11.13 लाख रू व्यय किये। इनमें से, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 8.90 लाख रू व्यय किये।

(xii) सुरक्षा/गृह व्यवस्था संविदा

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय विज्ञान सूचना संस्थान के निदेशकों ने सुरक्षा/गृह व्यवस्था के ठेके को एक ठेकेदार को दिया और वर्ष 1994-99 के दौरान एल आर एफ में से 40.77 लाख रू सुरक्षा/गृह व्यवस्था के लिए कर्मियों की मजदूरी पर व्यय किये। 40.77 लाख रू व्यय में से अकेले भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और केन्द्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने क्रमशः 26.29 लाख रू और 7.69 लाख रू व्यय किये।

**(xiii) होटल/अतिथि गृह आवास प्रभार**

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के निदेशक ने अक्टूबर 1995 में संसदीय समिति के होटल/अतिथि गृह में ठहरने पर एल आर एफ में से 1.45 लाख रू व्यय किये।

**(xiv) अतिथिग्रह/होस्टल का सुसज्जीकरण**

वर्ष 1994-99 के दौरान केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजिनियरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 11.46 लाख रू अतिथि गृह के नवीनीकरण/सुसज्जित करने पर व्यय किये। इसी प्रकार, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक ने जनवरी 1998 में होस्टल मैस में गैस लाईन बिछवाने पर 0.79 लाख रू व्यय किये।

**(xv) हिन्दी पत्रिका/हिन्दी दिवस/कवि सम्मेलन**

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने हिन्दी पत्रिका छपवाने तथा हिन्दी दिवस/कवि सम्मेलन के आयोजन पर एल आर एफ से 4.67 लाख रू व्यय किया

वर्ष 1994-99 के दौरान भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि से कुल 4.67 लाख रू प्रत्येक वर्ष हिन्दी पत्रिका 'विकल्प' के छपवाने तथा हिन्दी दिवस/कवि सम्मेलन के आयोजन तथा नकद पुरस्कार बाँटने पर बगैर यह सोचे कि इनका अनुसंधान विकास से दूर का भी संबंध नहीं है व्यय किया।

**(xvi) अवकाश यात्रा छूट/टी.ए./टी.टी.ए.**

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के निदेशकों ने एल आर एफ में से क्रमशः 4.84 लाख रू और 1.70 लाख रू अवकाश यात्रा छूट पर व्यय किये। वर्ष 1997-99 के दौरान, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों ने एल आर एफ में से 2.62 लाख रू यात्रा भत्ते की अदायगी पर व्यय किये। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने वर्ष 1996-98 के दौरान 0.84 लाख रू वैज्ञानिक/गैर-वैज्ञानिक स्टाफ के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते पर व्यय किए।

**(xvii) दवाईयों की खरीद और चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति**

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान अपने औषद्यालयों के लिए दवाईयों की खरीद पर 12.95 लाख रू व्यय किए जा जोकि सामान्य बजट से किए जाने थे। इनमें से, अकेले भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने 9.61 लाख रू व्यय किये/केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के निदेशकों ने चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर एल आर एफ से 9.24 लाख

रु व्यय किया। कुल 22.19 लाख रु के व्यय में से, दवाइयों/चिकित्सा दावों पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 13.40 लाख रु व्यय किया।

#### (xviii) निर्माण, मरम्मत और रखरखाव

मई 1994 से फरवरी 1999 के दौरान भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से बिजली फिटिंग ओर फर्नीचर सहित केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण पर 10.92 लाख रु का अनियमित व्यय किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान परिसर में बैंक भवन के विस्तार/निर्माण पर 1.90 लाख रु का व्यय किया।

भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक ने वर्ष 1998-99 में, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर (11) में प्राथमिक और मुख्य स्कूल भवन को बाहर तथा भीतर से रंग करने पर 0.92 लाख रु व्यय किया। जिन उद्देश्यों से प्रयोगशाला आरक्षित निधि का शुरू किया गया था वह इस खर्च से पूरे नहीं हो सके इसलिए प्रयोगशालाओं के निदेशकों का निर्णय अप्राधिकृत था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान, कई निर्माण क्रियाओं/मरम्मत जैसे कि बस स्टाप शेड/जनरेटर शेड/सड़क की लाइट लगाना और मरम्मत/सड़कों/स्टाफ क्वार्टर और अग्निशमन के रखरखाव पर 21.07 लाख रु व्यय किया। इनमें से, अकेले राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा ही परिसर के उपरी जल टैंक की मरम्मत पर 15.13 लाख रु व्यय किया गया।

#### (xix) विज्ञापन प्रभार

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने वर्ष 1994-98 के दौरान, स्टेनों/एल. डी.सी./ नर्सिंग सिस्टर के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन देने और निविदा आमंत्रित करने पर 3.47 लाख रु खर्च किया।

#### (xx) वर्दी

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों ने वर्ष 1994-99 के दौरान वर्दी आदि की खरीद पर प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 5.77 लाख रु व्यय किया जो कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुदान से व्यय किए जाने थे।

### (xxi) नगरपालिका कर

मार्च 1996 में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक ने नगरपालिका कर की अदायगी पर प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 50.09 लाख रु व्यय किए जो कि नियमित सरकारी अनुदान में से किया जाना था।

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने फरवरी 2000 के उत्तर में उपरोक्त मदों पर व्यय को इस आधार पर उचित ठहराया कि ये अनुमोदित एल आर एफ योजना के अनुसार अनुदेय है। इससे केवल लेखा परीक्षा का निष्कर्ष कि अनुमोदित स्कीम से गैर-अनुसंधान कार्य कलाप मदों पर खर्चों की सुविधा मिलती है जबकि एल आर एफ बनाने का औचित्य अनुसंधान-विकास कार्य कलापों को बढ़ाना और मूल-भूत संरचना को उपर उठाना था। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एल आर एफ से खर्च को इस आधार पर उचित ठहराया कि बजटीय समर्थन पर्याप्त नहीं था, इससे इस तर्क को बल मिलता है कि एल आर एफ की प्रयोग सभी प्रकार के आकस्मिक और विविध खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। अन्त में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने यह भी बताया कि लीची फलों, दीपावली उपहारों को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा मुख्य लोगो और शुभ चिन्तकों को वितरण जैसे कुछ अनावश्यक खर्चों के उदाहरण, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मोबाइल फोन पर किया गया खर्चा, तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा राष्ट्रीय महासागर संस्थान द्वारा निजी समस्याओं को दी गयी वित्तीय सहायता के बारे में जांच चल रही है।

### (ख) विदेश यात्राएं

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने अपने निदेशको को 1 अप्रैल 1994 से वर्ग 'जी' स्तर और उनके समेत वैज्ञानिकों को विदेशों में व्यवसाय बढ़ाने/विकास के लिए प्रतिनियुक्त संस्वीकृत करने के अधिकार इन शर्तों पर दिए कि इस तरह की प्रतिनियुक्तियों पर होने वाला व्यय जिसमें, मंहगाई भत्ता, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वीसा शुल्क, हवाई अड्डा कर इत्यादि व्यय एल आर एफ से पूरा करने हेतु अपने उपरोक्त आदेश से शक्तिप्रदत्त किया। इन के अलावा कार्मिकों की अन्य यात्राएं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा ही प्राधिकृत की जाएंगी। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की परिभाषा व्यवसाय पर उन्नति विकास की परिभाषा के अनुसार संयुक्त थी जिससे कि वर्तमान अथवा निकट भविष्य में सामान्य/तार्किक/अवस्यंभावी प्रयोगशाला के लिये संभावित अथवा वास्तविक करोबार की बढ़ोत्तरी/विकास/विस्तार हो, के रूप में किसी कार्य में लगे हुए, को शामिल किया जा सके।

सी बी आर आई, राष्ट्रीय महासागर संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निर्देशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 53.91 लाख रु प्रशिक्षण सेमिनारों आदि जैसे कार्यों के लिए विदेश यात्रा पर व्यय किया

प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सी.बी.आर.आई. और राष्ट्रीय महासागर संस्थान के निदेशकों और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रशिक्षण सेमिनारों, प्रदर्शनियों, शोध-पत्र प्रस्तुतीकरण और प्रोद्योगिकियों के विपणन आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिये विदेश यात्रा पर प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से 53.91 लाख रु कारोबार विकास/संवर्धन के नाम पर व्यय किया जिसका ब्यौरा परिशिष्ट VI दर्शाया गया है। इसमें से केवल भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 24 वैज्ञानिकों जिसमें निदेशक और सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय भी शामिल है की विदेश यात्रा पर 48.98 लाख रु का व्यय किया। वैज्ञानिकों की विदेश यात्रा पर व्यय का संस्थान-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रयोगशाला का नाम	अवधि	वैज्ञानिकों की संख्या	विदेश यात्राओं की संख्या	प्र. आ. नि. से किया गया व्यय
सी.बी.आर.आई.	1998-99	2	2	1.22
एन.आई.ओ.	1998-99	3	3	3.71
आई.आई.पी.	1998-99	24	32	48.98
<b>कुल जोड़</b>		<b>29</b>	<b>37</b>	<b>53.91</b>

इसके अतिरिक्त एक मामले में देखा गया कि (जैसा कि परिशिष्ट VI में टिप्पणी की गई है) जिसमें 2.17 लाख रु का व्यय शामिल है में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यक शर्त भी नहीं पूरी हुई थी।

इस प्रकार, उक्त व्यवस्था के तहत संस्थानों के निदेशकों को वैज्ञानिकों की विदेश यात्रा के लिए व्यय करने की पूर्ण छूट थी। हालांकि, इस तरह की कई यात्राएं मूलभूत संरचना के उन्नयन की प्रक्रिया अथवा उनके अनुसंधान-विकास प्रयासों के लिये प्रयोगशालाओं के संसाधनों की वृद्धि में कतई नहीं सहायक रही हैं, जो कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि की स्थापना के युक्तिसंगत मानक थे।

### 3.1.5 प्रयोगशाला आरक्षित निधि से सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव में पारदर्शिता

लेखा अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की नमूना जांच को यह देखने के लिए कि क्या प्रयोगशाला आरक्षित निधि में जमा और उसके उपयोग पारदर्शी है और क्या पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण कार्यरत है से निम्नानुसार पता चला:

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं, प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अभिलेखों, उसके प्रजनन और उसकी उपयोगिता के पारदर्शी दृश्यों को दर्शाने में असमर्थ रहे

(i) 1992 में अनुमोदित प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक प्रयोगशाला को एक सब्सीडियरी लेजर रखना था और प्रयोगशाला आरक्षित निधि का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में आदि शेष, मासिक क्रेडिट और डेबिट और अन्तशेष दर्शाने वाली मासिक विवरणी प्रस्तुत की जानी थी। तथापि, प्रणाली का एकमात्र निर्धारित मानीटरिंग तंत्र प्रयोगशाला आरक्षित निधि की मासिक विवरणी देने के बजाए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं ने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को केवल मासिक वर्गीकृत सार प्रस्तुत किए जिसमें प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अन्तर्गत आदि शेष और अन्त शेष को नहीं बताया जाता था। इसके परिणामस्वरूप, प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध शेष और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अभिनिश्चित नहीं किया गया था। इस पर वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भी आपत्ति नहीं की गयी थी। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने फरवरी 2000 में कहा कि प्रयोगशाला के रखरखाव के लिए प्रयोगशाला आरक्षित निधि की सारी प्राप्तियां एवं भुगतान को दिखाने वाले निर्धारित खाते के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में सब्सीडियरी लेजर का रखरखाव नहीं/अनुपयुक्त था :

क्रम संख्या	प्रयोगशाला/संस्थान का नाम	टिप्पणी
1.	सी एफ् आर आई	अनुपयुक्त रखरखाव
2.	आई आई पी	वही
3.	सी एम आर आई	रखरखाव नहीं था
4.	सी एम ई आर आई	वही
5.	आई एम टी ई सी एच	1997-98 से पूर्व, खातो का रखरखाव नहीं था
6.	एन पी एल	वही

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला आरक्षित निधि में जमा निधि और व्यय को मॉनीटर करने के लिए कोई पृथक रोकड़ बही, बैंक खाता और वाउचर आदि का रख-रखाव नहीं था। इस प्रकार, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला आरक्षित निधि की मॉनीटरिंग प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि प्रयोगशाला आरक्षित निधि के लेन-देनों की सही और स्पष्ट छवि दर्शाने में विफल रही।

(ii) वर्ष 1994-99 के दौरान, सी एम आर आई, सी एम ई आर आई और एन पी एल में प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से किए गए कुल व्यय क्रमशः 604.77 लाख रू, 948.97 लाख रू और 613.83 लाख रू में से प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा अनुमोदित व्यय क्रमशः 433.14 लाख रू, 623.30 लाख रू और 144.24 लाख रू अन्तरण प्रवृष्टि द्वारा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहायता अनुदान से खर्च किये अन्य शीर्षों के विपरीत उनकी मूल बुकिंग द्वारा प्रयोगशाला आरक्षित निधि से प्रभारित किए। अन्तरण प्रविष्टियां वाउचर नम्बर नहीं दर्शाती थी जिनके माध्यम से व्यय किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, प्रयोगशाला आरक्षित निधि प्रामाणिक प्रभार होने की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं हो पाई। इससे, इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि में मनमाने ढंग से व्यय बुक किया गया। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने तथ्यों को मानते हुए फरवरी 2000 में बताया कि प्रयोगशालाओं को सलाह दी जा रही है कि भविष्य में ऐसी भूलों से बचें।

(iii) 31 मार्च 1999 को वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तुलनपत्र से परिसम्पत्तियों और दायित्वों में 75.95 लाख रू के अन्तर का पता चलता है और प्रयोगशाला आरक्षित निधि में जिसका परिणाम परिसम्पत्तियों की कम बयानी में हुआ :

दायित्व	परिसम्पत्तियां	टन्तर
153,26,85,299.39 रू	152,50,90,581.93 रू	7594717.46 रू

प्रयोगशालाओं की नमूना जांच से निकला 63.15 लाख रू का अन्तर निम्नानुसार था:

क्रम सं.	प्रयोगशाला/संस्थानों का नाम	अन्तर की राशि
1.	एन पी एल, नई दिल्ली	72.20
2.	आई आई सी टी, हैदराबाद	(-) 10.54
3.	सी एम ई आर आई, दुर्गापुर	(-) 1.68
4.	सी बी आर आई, रूड़की	3.17

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने फरवरी 2000 में कहा कि परिसम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तर का मिलान किया जा रहा है।

### 3.1.6 निष्कर्ष और सिफारिशें

पूर्ववर्ती से यह विदित होता है कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि के गठन का उद्देश्य मूलभूत संरचना का उन्नयन और अनुसंधान-विकास कार्यों को गति देना पूरा नहीं हुआ। प्रयोगशाला आरक्षित निधि से व्यय करने की योजना से निदेशक को बिना किसी अवरोध के उन मदों पर भी व्यय करने की अनुमति मिली जो कि

अनुसंधान-विकास प्रयासों और प्रयोगशाला के मूलभूत संरचना के उन्नयन से सम्बन्धित नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप, निदेशकों ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से टेलिफोन/मोबाइल फोन बिल, उपहार/स्मृति चिन्ह/अल्पाहार/अपराहं भोज/रात्रि भोज और वार्षिक दिवस समारोह के आयोजन/स्वर्ण जयन्ती समारोह जैसी आकस्मिक मदों पर भी अत्यधिक व्यय किया। व्यवसाय बढ़ाने/विकास के नाम पर प्रयोगशालाओं के निदेशक और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि में से अपने वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण, सम्मेलनों में भाग लेने आदि पर भी अत्यधिक व्यय किया।

प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अनिवार्य अभिलेखों के रखरखाव में कोई पारदर्शिता नहीं होने से निदेशक खुले हाथ से प्रयोगशाला आरक्षित निधि का उपयोग अपने मनमाने ढंग से कर रहे थे। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने निदेशकों द्वारा इस दुरुपयोग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भारत की संचित निधि से प्रयोगशाला आरक्षित निधि में अप्राधिकृत रूप से अन्तरण हुए विशेष रूप से सहायता अनुदान/प्रायोजित परियोजना के अवयवित शेष और निवेश पर ब्याज की राशि से यह साफ पता चलता है कि प्रयोगशाला आरक्षित निधि से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। बताये गये अनुसार जिम्मेदारी निश्चित की जाने और प्रयोगशाला आरक्षित निधि के उपयोग से संबन्धित अनियमितताओं के सभी मामलों को विशेष रूप से राष्ट्रीय महासागर विज्ञान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशकों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने फरवरी 2000 में कहा कि वो प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशाला आरक्षित निधि के उपयोग के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया में था। आगे पुनर्निरीक्षण पर यदि जरूरी हुआ तो एक उच्चस्तरीय समिति गठित करके प्रयोगशाला आरक्षित निधि को पूरी तरह अध्ययन और इसके उपयुक्त उपयोग के लिए सही मायनों में उचित दिशा में जांच-पड़ताल की कार्य प्रणाली निर्धारित की जाएगी।

महानिदेशक वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने फरवरी 2000 में पुष्टि की कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन मुद्दों की जांच कठोर मार्गदर्शिता को बनाने तथा जांच-पड़ताल की कार्यप्रणाली को बनाया जाएगा जिससे कि भविष्य में कोई दुरुपयोग न हो सके।



### 3.2 केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर

#### मुख्य-मुख्य बातें

➤ 0.45 करोड़ रु लागत की चार घरेलू परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को उपक्रमियों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था। इन घरेलू परियोजनाओं के परियोजनावार लेखे नहीं बनाये गये।

(पैराग्राफ 3.2.4 (क))

➤ 23.34 करोड़ रु व्यय किए जाने के बाद भी खारे पानी वाले क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने की प्रायोजित परियोजना के उद्देश्य को पूरी तरह नहीं प्राप्त किया गया।

( पैराग्राफ 3.2.4(ग)(ख))

➤ 6.48 करोड़ रु व्यय किये जाने के बाद भी अन्तर्जलीय खनन प्रौद्योगिकी विकसित करने की प्रायोजित परियोजना का उद्देश्य अपूर्ण ही रहा है।

( पैराग्राफ 3.2.4 (ग)(क))

➤ बाह्य नकदी प्रवाह का प्रतिशत 1994-95 से 1998-99 के दौरान हुए कुल खर्च के 8.98 प्रतिशत से 30.38 प्रतिशत तक रहा अर्थात् 33.3 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी नीचे।

( पैराग्राफ 3.2.5(i))

➤ प्रायोजकों से वसूली अनुमानित लागत पर आधारित थी न कि वास्तविक लागत पर जिसके कारण 4.24 करोड़ रु की वसूली कम हुई।

( पैराग्राफ 3.2.5(ii))

➤ निधि की उपलब्धता के निर्धारण की विफलता के कारण 0.52 करोड़ रु लागत की दो घरेलू परियोजनाएँ समय से पहले बन्द हो गईं।

( पैराग्राफ 3.2.4 (क)(क))

➤ 1992-99 के दौरान, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने 13 पेटेंट फाईल किये इस अवधि में केवल दो पंजीकृत हुए जो 1988-90 से सम्बंधित थे।

(पैराग्राफ 3.2.7 (क))

#### 3.2.1 विषय-प्रवेश

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1958 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई के रूप में


हुई थी ताकि यांत्रिकी इंजीनियरी उद्योग को संभाव्यता अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्शी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मई 1995 से केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के उद्देश्यों में निम्नानुसार संशोधन किए गए:

- प्रतियोगी तथा विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी और उस उद्योग की समान आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की सेवा जिनका निर्धारण क्षेत्रीय/बाजार के अध्ययनों के माध्यम से किया गया था उपलब्ध कराना।
- पूर्वदर्शी समयावधि में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये चुनिन्दा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- वित्तीय रूप से एक आत्मनिर्भर केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान की प्रगामी रूप से प्राप्ति।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट 1993 की संख्या 2 संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) के पैरा 12.4 में परियोजना प्रबंधन मॉनीटरिंग व्यवस्था तथा परियोजनाओं का मूल्यांकन, जिन उद्योगों को प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया गया था उनसे अल्प फीड बैक तथा उपस्करों का उपयोग आदि क्षेत्रों की कमियों का विशेष उल्लेख किया गया था। इस समीक्षा में 1992-99 के दौरान लगातार देखी गई कमियों को सम्मिलित किया गया है।

### 3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संघटक इकाई है का प्रधान निदेशक होता है जिसकी, उसके कार्य निष्पादन में संगठनात्मक चार्ट में निम्नानुसार दर्शाए गए विभिन्न वर्गों द्वारा, सहायता की जाती है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसके मुख्यालय के अतिरिक्त, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के लुधियाना (पंजाब), पुणे (महाराष्ट्र), चैन्नई (तमिलनाडु) तथा कोचीन (केरल) में चार यांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान और विकास संगठन हैं जो सारे देश के उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तथा कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में संपर्क कार्यालय है।



एक अनुसंधान समिति जिस का प्रधान एक बाहरी विशेषज्ञ होता है, तथा उसमें इस संस्थान का निदेशक तथा विभिन्न अनुसंधान संगठनों के वैज्ञानिक होते हैं जो अनुसंधान कार्यक्रमों की व्यवस्था पर परामर्श देने के साथ अपनी सिफारिश करती है, अनुसंधान कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा करती है, परियोजनाओं की प्रगति का निर्धारण करती है तथा इस संस्थान तथा अन्य अनुसंधान संगठनों, उद्योग तथा संभावित ग्राहकों के मध्य कड़ियों पर परामर्श देती है। प्रबन्ध समिति जिसमें 10 सदस्य होते हैं तथा इसका अध्यक्ष इस संस्थान का निदेशक होता है इस संस्थान की प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रबन्धन की जिम्मेदारी इसी समिति की है।

### 3.2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस संस्थान की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (i) के अन्तर्गत की जाती है। 1992 से 1999 की अवधि से संबंधित परियोजना नियोजन, अनुपालन, मॉनीटरिंग, क्रय तथा प्रबन्धन से संबंधित नमूना जांच जनवरी-फरवरी 1999 के दौरान की गई थी।

### 3.2.4 परियोजना-प्रबन्धन

इस संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से की जानी थी, जिसे घरेलू परियोजनाओं, सहायता अनुदान परियोजनाओं तथा प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से किया जाना था।

{क} घरेलू परियोजनाएं

घरेलू परियोजनाएं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त निधि से शुरू की जाती हैं। 1992-93 से 1998-99 के दौरान इस संस्थान द्वारा शुरू की गई, घरेलू परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

वर्ष	अथ शेष	शुरू की गई नई परियोजनाएं	पूरी हुई परियोजनाएं	छोड़ी गई/स्थगित/मिलाई गई परियोजनाएं	इति शेष
1992-93	11	2	2	8	3
1993-94	3	0	0	0	3
1994-95	3	0	0	2	1
1995-96	1	2	1	0	2
1996-97	2	2	0	0	4
1997-98	4	1	1	0	4
1998-99	4	2	2	1	3
कुल		9	6	11	

1992-93 से 1998-99 के दौरान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को कुल 97.80 करोड़ ₹ का अनुदान दिया। तदनुसारी अवधि में, इस संस्थान ने 1.52 करोड़ ₹ की अनुमानित लागत पर नौ घरेलू परियोजनाएं शुरू की।

विलम्बित/स्थगित परियोजनाएं

1992-99 के दौरान पूरी हुई (0.78 करोड़ ₹ अनुमानित लागत) छः परियोजनाओं में (परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया) 9 माह से 5 वर्ष का अधिक समय लगा। इन परियोजनाओं में से, 0.43 करोड़ ₹ लागत की दो परियोजनाओं में कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हुई और 0.35 करोड़ ₹ लागत की अन्य चार परियोजनाओं में विकसित की गई प्रौद्योगिकियों को जनवरी 1999 तक वाणिज्यिकरण के लिए अन्तरण अभी किया जाना है। इसी अवधि में, इस संस्थान ने (2.69 करोड़ ₹ अनुमानित लागत) 2 वर्षों तक चलने के बाद 11 परियोजनाएं स्थगित की। इस का कारण यह था कि उनका उद्योग के साथ कोई संबंध नहीं था। उपरोक्त घरेलू परियोजनाओं पर किये गये वास्तविक व्यय का पता नहीं चल सका क्योंकि इस संस्थान द्वारा इनके परियोजनावार लेखे नहीं बनाए गए थे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि धन की कमी के कारण परियोजनाएं स्थगित की गई थी। तथापि, तथ्य यही था कि इन परियोजनाओं का उद्योग से कोई संबंध नहीं था।

सात घरेलू परियोजनाओं के अभिलेख लेखापरीक्षा को मुहैया कराए गए थे। इनमें से छः की समीक्षा से निम्नानुसार पता लगा :

### (1) एक घरेलू परियोजना का पूर्वसमापन

धनाभाव के आधार पर 0.52 करोड़ रू की लागत की परियोजनाएं समय से पहले बन्द हुई।

''विश्व परिवर्तन कार्य कलापों'' पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संचालन समिति की सिफारिश पर, इस संस्थान द्वारा सितम्बर 1992 और जनवरी 1993 के बीच दो घरेलू परियोजनाएं शुरू की गईं जिनका उद्देश्य क्लोरो फ्लुरो कार्बन से हुए पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण में रखना था। इन परियोजनाओं की कुल लागत 51.97 लाख रू0 थी और इनको फरवरी 1995 तथा जून 1995 के बीच पूरा होना था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इन परियोजनाओं के लिए केवल 5 लाख रू0 का भुगतान किया। इन परियोजनाओं को अगस्त 1994 में अधर में ही बन्द कर दिया गया यद्यपि, धन के अभाव में परियोजना के उद्देश्य नहीं प्राप्त हुए थे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अक्टूबर 1999 में बताया गया कि मूलतः परिकल्पित धन नहीं दिया जा सका और परियोजनाओं से प्राप्त जानकारी का उपयोग अन्य परियोजनाओं में किया जा रहा था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उत्तर से परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता के वास्तविक मूल्यांकन में उनकी विफलता का पता चलता है। जिसके कारण 5 लाख रू0 का खर्च करने के बाद भी उसके उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही परियोजनाएं बन्द हो गईं।

### (2) परियोजना का गलत चयन

बाजार में पहले से उपलब्ध प्रौद्योगिकी के विकास पर संसाधनों का अपव्यय हुआ

इस संस्थान ने जुलाई 1997 में 1.10 लाख रू0 की लागत की एक परियोजना ''यांत्रिकी मापतौल परिवर्तन'' शुरू की जिसका उद्देश्य गेज इन्डीकेटर के रोटेशन को मापना और भार के सम्बन्ध में रोटेशन को प्रदर्शित करने, प्रिन्ट निकालने तथा दिसम्बर 1997 तक नेटवर्क कनेक्टिविटी का माप लेने के लिए यांत्रिक सेंसर विकसित करना था। इस परियोजना से विकसित किया गया यांत्रिक सेंसर दोष पूर्ण पाया गया था। इस समस्या का समाधान बाजार से 0.03 लाख रू0 लागत का एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर खरीद कर किया गया था। यह परियोजना सितम्बर 1998 में पूरी हुई थी। आठ माह के विलम्ब के बावजूद, इस परियोजना से विकसित की गई प्रौद्योगिकी से यांत्रिकी अनुसंधान उद्देश्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेखापरीक्षा पूछताछ के जवाब में इस संस्थान ने जनवरी 1999 में सूचित किया कि प्रौद्योगिकी अन्तरण के

पूर्व प्रयोक्ता के परिसर में फील्ड टेस्ट और प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि कम लागत के समाधान के रूप में यांत्रिक सेंसर विकसित करने के लिए प्रयास किए गए थे परन्तु, यह आवश्यक परिणाम देने में विफल रहा।

अनुसंधान के विषय के अनुचित चयन के परिणामस्वरूप, सेन्सर, जो पहले से बाजार में 0.03 लाख रू की साधारण लागत पर उपलब्ध था के विकास पर संसाधन निरर्थक हो गए।

### (3) विकसित प्रौद्योगिकी का अन्तरण/वाणिज्यिकरण

विलम्बित कार्यवाही के कारण विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण अभी नहीं किया गया।

(i) केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने 5 लाख रू लागत की एक परियोजना कोल्ड फार्मिंग प्रक्रिया और "साइकिल के एल्युमिनियम धातु के हब के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी का विकास" को जनवरी 1996 में शुरू किया था। इस परियोजना में लोड कलकुलेशन, डार्ड डिजाइन, मेटल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, और क्रिटिकल इंजीनियरी कम्पोनेंट के विनिर्माण में प्रोसेस नोहाउ के अनुववर्ती उपयोग सहित ऑन लाइन फ्लो सिस्टम का विकास करना था। इस संस्थान ने अप्रैल 1997 में अपनी विकसित की गई प्रौद्योगिकी को अभी तक पूरी तरह किसी पार्टी को अन्तरित नहीं किया। जांच से पता चला कि लुधियाना स्थित एक साइकिल उद्योग ने इसमें रुचि दिखाई थी और संस्थान के पास नवम्बर 1998 में 0.19 लाख रू जमा करके अनुरोध किया कि भविष्य में प्रौद्योगिकी खरीदने की उम्मीद में उत्पाद की आर्थिक सम्भव्यता का निर्धारण करने के लिए आगे - पीछे प्रत्येक हब के नमूने के 100 जोड़े भेजे जाएं। अक्टूबर 1999 तक, संस्थान केवल 45 नग पिछले हब और 22 अगले हब के नमूने भेज पाया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि संशोधन आयाम के हबों का विनिर्माण हुआ था जिन पर घर्षण जोडाई और ताप आचरण प्रचालन चल रहे थे तथा पूरे हो जाने के बाद पार्टी को भेज दिए जायेंगे।

इस प्रकार, नमूने भेजने में विलम्ब से प्रौद्योगिकी के संभावित क्रेता को शीघ्रता से अन्तरित करने में संस्थान की चिन्ताहीनता का पता चलता है।

20 लाख रू लागत की परियोजना से विकसित प्रौद्योगिकी अन्तरित नहीं हुई।

(ii) इस संस्थान ने आयात प्रतिस्थापन के प्रयोजन से 20 लाख रू की लागत से जुलाई 1996 में एक परियोजना विनिर्माण प्रौद्योगिकियों सहित ग्लोबोईडल कैम का प्रयोग करके उच्च गति की इन्डेक्सिंग इकाई के डिजाइन और विकास शुरू किया जो मार्च 1997 में पूरी होनी थी। प्रस्ताव के अनुसार, परियोजना पूरी तभी समझी जायेगी जब किसी प्रायोजक द्वारा निर्मित प्रथम कुछ इन्डेक्सिंग इकाइयों के फील्ड परीक्षण और प्रौद्योगिकी अन्तरण सफलता पूर्वक हो जायेगा। तथापि, किसी प्रायोजक द्वारा एक भी इन्डेक्सिंग इकाई बनाये जाने से पहले ही फील्ड परीक्षण के दौरान

जुलाई 1998 में पूरी घोषित कर दी गई थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि जिस कम्पनी ने इस उत्पाद में रूचि दिखाई थी उसके प्रबन्ध में परिवर्तन के कारण प्रौद्योगिकी अन्तरित नहीं की जा सकी। प्रौद्योगिकी विकसित होने के डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई अन्य खरीददार नहीं मिल सका।

(iii) प्रतिस्थापन आयात और देश में विस्तृत क्षेत्र के औद्योगिक प्रयोग के लिए हारमोनिक ड्राइव के निर्माण/ डिजाइन के लिए देशी प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए, इस संस्थान ने 8.97 लाख रू० लागत की एक परियोजना "हारमोनिक ड्राइव<sup>α</sup> का डिजाइन और विकास/ एक वेव जनरेटर" अप्रैल 1990 में शुरू किया जिसे मार्च 1991 में पूरा होना था। इस संस्थान ने पांच वर्षों के अधिक समय के बाद मार्च 1996 में हारमोनिक ड्राइव विकसित किया परन्तु अक्टूबर 1999 तक प्रौद्योगिकी किसी वाणिज्यिक उपयोग के लिए अन्तरित नहीं की गई।

बाजार विश्लेषण के अभाव में प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण नहीं हुआ

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि एक व्यापार विकास ग्रुप का गठन किया गया है जो बाजार की संभावनाओं की तलाश और उनकी मदद से प्रौद्योगिकी अन्तरण करने में व्यवसायी विपणन फर्मों को भी लगाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार, 8.97 लाख रू की लागत से विकसित हारमोनिक ड्राइव/वेव जनरेटर प्रौद्योगिकी उसके विकसित होने के तीन वर्षों के बाद भी वाणिज्यिक नहीं हुई।

### {ख} सहायता अनुदान परियोजनाएं

सहायता अनुदान परियोजनाएं सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित होती हैं। इस संस्थान द्वारा 1992-99 के दौरान शुरू की गई सहायता अनुदान परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	अथ शेष	शुरू की गई परियोजनाएं	पूरी की गई परियोजनाएं	छोड़ दी/स्थगित/मिलाई गई परियोजनाएं	इति शेष
1992-93 से 1996-97	-	-	-	-	-
1997-98	-	4	-	-	4
1998-99	4	-	1	-	3
कुल योग		4	1	-	-

<sup>α</sup> नया ट्रान्समिशन जो मानक ट्रान्समिशन की समस्याओं को जीत लेता है हारमोनिक ड्राइव कहलाता है।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि इस संस्थान ने 1992-93 से केवल चार सहायता अनुदान परियोजनाएं शुरू की और 1997-98 से पहले कोई सहायता अनुदान परियोजना नहीं शुरू की गई थी। पूरी हो गई अकेली परियोजना पर निम्नवत् टिप्पणियां की जाती हैं :

### परियोजना के पूरे होने में विलम्ब

बड़े हुए समय के छः माह के बाद पूरी होने पर भी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

इस संस्थान में "सिलाई प्रक्रिया का विकास, मशीनें और क्रिकेट तथा हाकी के गेंदों के बनाने के लिये औजार परियोजना" को जून 1997 में शुरू किया जिसका 5 लाख रू० का वित्त पोषण खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्त हुआ था तथा परियोजना को फरवरी 1998 में पूरा होना था ताकि क्रिकेट के बालों की सिलाई की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। संस्थान ने परियोजना को जुलाई 1998 तक बढ़ाने के लिए वित्त पोषण एजेंसी के अनुमोदन को मई 1998 में इस आधार पर मांग की कि इस परियोजना के विकास से संबन्धित होने के कारण प्रोटोटाइप के चरण में इसमें सुधार/परिष्कार की आवश्यकता थी ताकि किसी औद्योगिक पर्यावरण में वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके।

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजिनियरी अनुसंधान संस्थान में बनी इस मशीन को परीक्षण और प्रदर्शन के लिए जुलाई 1998 में यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान और विकास संगठन, लुधियाना भेजा गया और उस दिन से इस परियोजना को बन्द समझ लिया गया। तथापि, परीक्षण के दौरान देखा गया कि मशीन में सुधार की आवश्यकता थी जिसे इस संस्थान ने अभी तक नहीं किया।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि मशीन का परीक्षण चल रहा था। परन्तु परीक्षण के परिणाम नहीं बताये गये। इस प्रकार, समय बढ़ाने के बावजूद, परियोजना पूरी नहीं हो सकी और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति अभी तक नहीं की जा सकी।

### {स} प्रायोजित परियोजनाएं

प्रायोजित परियोजनाएं जिनको सरकार और प्राइवेट एजेंसियां दोनों के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, इनका एक विशेष अनुसंधान और विकास उद्देश्य होने के साथ ही अच्छी तरह परिभाषित स्पष्ट परियोजना परिणाम होता है। इस संस्थान द्वारा 1992-93 से 1998-99 के दौरान शुरू की गई प्रायोजित परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी :



वर्ष	अथ शेष	शुरू की गई परियोजनाएं	पूरी की गई परियोजनाएं	छोड़ दी/स्थगित/मिलाई गई परियोजनाएं	इति शेष
1992-93	18	10	3	2	23
1993-94	23	7	2	1	27
1994-95	27	7	14	2	18
1995-96	18	11	11	3	15
1996-97	15	1	7	3	6
1997-98	6	7	4	-	9
1998-99	9	6	4	-	11
कुल योग		49	45	11	

अप्रैल 1992 को यह संस्थान 18 प्रायोजित परियोजनाओं में लगा था। 1992-99 के दौरान, इस संस्थान ने 49 परियोजनाएं शुरू की और 45 परियोजनाएं पूरी हुईं और मार्च 1999 के अन्त में 11 परियोजनाएं शेष थीं और 1.20 करोड़ रु की 11 परियोजनाएं अनुसंधान परिषद की सलाह पर उपरोक्त अवधि में प्रायोजक एजेंसी से दूसरी किश्त का ना मिलना, विदेश में प्रतिनियुक्ति/अन्तरण/अवकाश ग्रहण/मृत्यु आदि के कारण परियोजना के मुखिया का न होना जैसे विभिन्न कारणों से, स्थगित थीं। जांच से पता लगा कि 1992-93 से 1998-99 के दौरान, पूरी हुईं 45 परियोजनाओं में से 39 परियोजनाएं अपनी निर्धारित तारीख तक नहीं पूरी हुईं और एक में 36 महीनों का समय अधिक लगा था। 50 प्रतिशत पूरी हुईं परियोजनाओं की जांच से निम्नानुसार तथ्यों का पता लगा :

#### उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई

(क) महासागर विकास विभाग को वाणिज्यिक रूप से सक्षम खनन व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसकी बाहर निकालने की क्षमता 3 मिलियन टन वार्षिक हो ताकि जमीन से समुद्र के नीचे 6 किलो मीटर की गहराई तक खुदाई की जा सके जहां से पोलिमेटैलिक नोड्यूल निकलते हैं। महासागर विकास विभाग ने उपरोक्त विशेष कार्य 8.34 करोड़ रु की लागत पर केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान को सौंपा था। सीधे वाणिज्यिक खनन प्रणाली को डिजाइन करके प्रयोग करने की संभावना न होने के कारण, इस कार्य को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था।

तदनुसार, केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने "सुदूर प्रचलित अन्तर्जालीय " संग्रहण इकाई और उठाने की प्रणाली का डिजाइन और विकास" प्रथम चरण परियोजना को नवम्बर 1990 में शुरू किया जिसकी लागत 4.84 करोड़ रु थी

और जिसे मार्च 1992 तक पूरा होना था। इसका उद्देश्य छिछले समुद्र में काम करके संग्रहण तथा उठाने की 100 टन समुद्री नोड्यूल प्रतिदिन की प्रणाली का विकास करना था। इस परियोजना के अन्तर्गत, इस संस्थान ने प्रयोगशाला स्तर पर सुदूर नियंत्रित संग्रहण इकाई, पाईप में बाल्टी उत्थापन प्रणाली विकसित किया और इसके परीक्षण के लिए 5 मीटर की गहराई के छिछले समुद्र क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया। सामग्री के अधिग्रहण तथा छिछले समुद्र के निर्माण में विलम्ब के कारण प्रथम चरण की अनुसूची में रूकावट आ गई। प्रथम चरण में विकसित संग्रहण इकाई तथा उत्थापक इकाई का परीक्षण छिछले क्षेत्र में हुआ था। संग्रहण इकाई के जल के नीचे परीक्षण करने के बाद समस्या ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की गई और संस्थान ने इसका समाधान द्वितीय चरण में करने का प्रस्ताव किया। यद्यपि, संस्थान 100 टन प्रतिदिन की क्षमता की प्रणाली (सिस्टम) विकसित करने में असमर्थ था फिर भी परियोजना को मार्च 1993 में 12 माह के विलम्ब के बाद पूरी घोषित कर दिया गया।

जहां परियोजना का प्रथम चरण प्रगति पर था, संस्थान ने द्वितीय चरण में लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर तथा गहराई में 500 टन समुद्री नोड्यूल प्रतिदिन उत्थापन की क्षमता के अर्ध-वाणिज्यिक प्रणाली के विकास का प्रस्ताव किया। अनुसंधान परामर्श समिति की उपसमिति ने जून 1992 में परियोजना के प्रस्ताव की समीक्षा की और एक ऐसी नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया कि अन्तर्जलीय उप-प्रणाली को ही सम्बन्धित क्षेत्रों से विशेषतौर पर 250 मीटर तक की कम गहराई में लागू किया जा सके। तदनुसार, परियोजना के प्रस्ताव में संशोधन किया गया और संस्थान ने “ अन्तर्जलीय प्रणालियों का डिजाईन, विकास तथा परीक्षण (द्वितीय चरण)” परियोजना को नवम्बर 1992 में 3.50 करोड़ रूप्यक लागत से शुरू किया जिसका वित्त पोषण महासागर विकास विभाग ने किया था और उसे मार्च 1994 में पूरा होना था। परियोजना के इस चरण में, संस्थान ने (i) सी-बेड कालर/ माइनर (ii) हाईड्रालिक एवं एयर लिफ्ट प्रणाली (iii) सुदूर नियंत्रित वाहन तथा (iv) मास्टर स्लेब मैनीपुलेटर आदि विभिन्न उप-प्रणालियों को विकसित किया। प्रयोग करके प्राप्त हुए परिणामों को संकलित करने में हुए विलम्ब के कारण नौ माह से अधिक समय के बाद दिसम्बर 1994 में यह परियोजना पूरी घोषित हुई थी। परन्तु परिकल्पना के अनुसार अनुसंधान परिणामों को संबन्धित क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सका। तथापि, संस्थान ने जनवरी 1999 में स्पष्ट किया कि गहरे सागर की तली में खनन के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों का सीधा उपयोग किसी भी अनुप्रयोग में नहीं किया जा सका क्योंकि उसमें बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता थी।

6.48 करोड़ रूप्यक खर्च करने के बावजूद पूरी हुई परियोजना के अनुसंधान परिणामों को संबन्धित क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सका।

इस संस्थान ने परियोजना के तृतीय चरण को शुरू नहीं किया। इसने फरवरी 1999 में बताया कि वाणिज्यिक स्तर पर खनन पर भावी कार्य समय से पूर्व समाप्त हो गया क्योंकि प्रायोजक की नीति में परिवर्तन हो गया था। परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

ने अक्टूबर 1999 में बताया कि उसने अन्तिम रिपोर्ट महासागर विकास विभाग को सौंप दिया था। तथापि, परियोजना की समाप्ति के चार वर्षों से भी अधिक के बाद वह महासागर विकास विभाग की संतुष्टि दर्शाने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

इस प्रकार, 6.48 करोड़ रु का व्यय करने के बाद भी 6 कि.मी. की गहराई में समुद्री नोड्यूलों के संग्रहण का वाणिज्यिक रूप से समक्ष सिस्टम विकसित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राष्ट्रीय पेय जल मिशन द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने मार्च 1988 में फैसला किया कि नोडीय ऐजेंसी के रूप में केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खारे जल के क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विलवणीकरण कार्यक्रम में समन्वय और कार्यान्वयन कार्य करेगा। कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए इस संस्थान को प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन परामर्श देना था। इस कार्यक्रम में 132 विलवणीकरण संयंत्रों की खरीद, उनके प्रतिस्थापन के लिए स्थान का चयन और राज्य सरकार अथवा अन्य संगठनों को 28.45 करोड़ रु की मंजूर लागत पर सौंपने से पूर्व पांच वर्ष तक संयंत्र का रखरखाव अन्तर्ग्रस्त था। इस संस्थान ने विलवणीकरण के कार्यों की शुरुआत "राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अर्न्तगत विलवणीकरण संयंत्र कार्यक्रम" परियोजना के अर्न्तगत जून 1988 में किया था जिसको मार्च 1993 में पूरा होना था। ग्रामीण विकास विभाग ने मंजूर लागत के स्थान पर 24.32 करोड़ रु केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान को दिया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत, इस संस्थान ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से आठ राज्यों में संयंत्रों के लिए 132 स्थानों का चयन किया। तथापि, आपूर्तिकारों को 8 संयंत्रों की 20 प्रतिशत लागत के रूप में 0.17 करोड़ रु का भुगतान करने के बावजूद चार राज्यों में आठ संयंत्र नहीं लगाये गये थे।

शेष जिन 124 संयंत्रों को लगाया गया, उनमें से 1.14 करोड़ रु मूल्य के 7 संयंत्र, उच्च पूरी तरह से गल गए ठोस तथा कच्चे पानी में लौह होने तथा मूलभूत सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण शुरू नहीं हुए थे।

प्रतिस्थापित तथा शुरू किए गए 117 संयंत्रों में से, 2.03 करोड़ रु के लागत के राजस्थान के 11 संयंत्र बन्द हो गए थे क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं ने मानी गई प्रचालन और रख रखाव जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। तथापि, जांच से पता लगा कि आपूर्तिकारों द्वारा शर्तों के मानने पर करार में किसी प्रकार की शास्तिक धारा नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 1.35 करोड़ रु की लागत (ओ एण्ड एम खर्च सहित) के

स्थान के अनुपयुक्त  
चयन के कारण  
परियोजना सफल नहीं  
हुई

गुजरात के पांच संयंत्र बन्द हो गए थे क्योंकि स्थान उपयुक्त नहीं थे तथा 2.06 करोड़ रू लागत (ओ. एंड एम. खर्च सहित) के राजस्थान के 15 संयंत्र भी ओ एंड एम अवधि की समाप्ति की बाद जून 1993 और नवम्बर 1994 के बीच पम्पों के विफल होने से कच्चे पानी तथा बिजली उपलब्ध न होने जैसे कारणों से बन्द हो गए।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि आपूर्ति और ओ एंड एम के मसौदा करार की समीक्षा तथा अनुमोदन मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किए जाने के कारण उसमें किसी प्रकार की शास्तिक धारा सम्मिलित किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक पूरा होने के लिए केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान को प्रबंधन परामर्श देना था और करार में शास्तिक धारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव करना चाहिए था। उपरोक्त 31 संयंत्रों (अर्थात् 26 राजस्थान और 5 गुजरात में) के काम न करने के बारे में आपूर्तिकारों द्वारा इन संयंत्रों को काम करने वाले कराने के लिए इस संस्थान द्वारा उपयुक्त कार्यवाही न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।

शुरू किए जाने के बाद, शेष 86 संयंत्रों में से केवल 80 संयंत्र राज्यों को सौंपे गए हैं। तथापि शुरू हो गए 37 संयंत्रों को राज्यों को सौंपने का कार्य बकाया होने के बावजूद, यह परियोजना अगस्त 1995 में पूरी घोषित हो गई।

23.34 करोड़ रू खर्च हो जाने के बाद भी पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ।

इस प्रकार, इस संस्थान द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी और प्रबंधनीय जिम्मेदारी विशेष करके संयंत्रों के प्रभावी ढंग से काम करने के लायक उपयुक्त स्थानों का चयन सुनिश्चित करने के संबन्ध में, पूरा करने में विफलता के कारण 23.34 करोड़ रू खर्च हो जाने के बाद भी गांवों को पेयजल आपूर्ति करने का उद्देश्य केवल 60 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ।

### (ग) तिलहनों और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन

प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाओं से चार प्रौद्योगिकियों का अन्तरण नहीं हो सका

इस संस्थान ने कृषि मंत्रालय के तिलहनों और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा वित्त पोषित नौ परियोजनाओं में से, मई 1995 और जनवरी 1998 के बीच 1.77 करोड़ रू की लागत से तिलहनों और दालों से संबन्धित छः प्रौद्योगिकियां विकसित कीं। विकसित की गई छः प्रौद्योगिकियों में से, 1.38 करोड़ रू की लागत की चार प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ। इस संस्थान ने फरवरी 1999 में बताया कि प्रौद्योगिकी अन्तरण उन की जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि वित्त पोषण तिलहनों और दालों के मिशन द्वारा किया गया था। इस संस्थान का यह कथन मान्य नहीं था क्योंकि यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के (अक्टूबर 1994) स्पष्टीकरण के विपरीत जाता है जिसमें कहा गया था कि मिशन कार्यक्रम के अधीन वैज्ञानिक और

औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का मूल उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकसित करना और उसका शीघ्र ही वाणिज्यीकरण करना था।

### 3.2.5 वित्तीय प्रबंधन

केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान का वित्त-पोषण मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त हुए सहायता अनुदान में से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। इस संस्थान को प्रायोजकों तथा सहयोगियों को तकनीकी सेवाएं देकर उससे बाह्य नगदी प्रवाह भी प्राप्त होता है। 1992-93 से 1998-99 तक, इस संस्थान की प्राप्तियां और व्यय निम्नवत् थे :

(लाख रु में)

वर्ष	सी एम आई आर <sup>#</sup> से प्राप्त निधि	अन्य आय (एल आर एफ की प्राप्ति)	बाह्य नकदी प्रवाह की प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय		बाह्य नकदी प्रवाह से व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय पर बाह्य नकदी प्रवाह का प्रतिशत
					पूजी	आजस्व			
1992-93	920.00	199.26	647.53	1766.79	177.63	756.50	756.20	1690.33	69.32
1993-94	926.00	180.95	362.69	1469.64	61.53	884.61	325.62	1271.76	38.33
1994-95	1009.00	118.73	318.27	1446.00	122.62	924.95	254.67	1302.24	30.38
1995-96	1159.00	183.94	282.61	1625.55	152.82	1066.38	131.83	1351.03	23.18
1996-97	1426.00	210.00	411.74	2047.74	237.74	1259.82	371.33	1868.89	27.49
1997-98	1942.00	203.02	225.24	2370.26	324.91	1748.96	247.43	2321.30	10.86
1998-99	2398.00	115.23	225.20	2738.43	417.01	2089.54	162.88	2669.43	8.98
<b>कुल योग</b>	<b>9780.00</b>	<b>1211.13</b>	<b>2473.28</b>	<b>13464.41</b>	<b>1494.26</b>	<b>8730.76</b>	<b>2249.96</b>	<b>12474.98</b>	

<sup>#</sup> वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सी एम आई आर आई का बाह्य नकदी प्रवाह निर्धारित प्रतिशत से काफी कम रहा।

(i) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अगस्त 1989 में जारी निदेशानुसार, इस संस्थान को और अधिक 'यूजर रेस्पॉसिव' होना चाहिए था तथा 1992-93 से अनुसंधान विकास पर अपने खर्च का कम से कम एक तिहाई बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त करना चाहिए था तथापि, यह देखा गया था कि केन्द्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का बाह्य नकदी प्रवाह निर्धारित प्रतिशत से बहुत कम रहा। 1993-94 के बाद कुल खर्च पर बाह्य नकदी प्रवाह का प्रतिशत बहुत कम हो गया और 8.98 प्रतिशत से 30.38 प्रतिशत के बीच रहा। 1992-94 के दौरान भी अधिक बाह्य नकदी प्रवाह तीन प्रायोजित परियोजनाओं के लिए सरकारी निधि से प्राप्त हुए 36.79 करोड़ रु के कारण था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान को अपने प्रतियोगियों के साथ सफलता प्राप्ति में रूकावट आ गई क्योंकि संस्थान को विद्यमान नियमों/विनियमों के अधीन कार्य करना था। यह तर्क स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आवश्यक सुधार कार्यवाही शुरू करने में उसकी विफलता को रेखांकित करता है। तथापि, 1993-94 से पिछले साल के

ब्याज सहित प्रयोगशाला आरक्षण निधि के रूप में कम से कम 3 करोड़ रु प्राप्त करने का अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका और यह 1993-94 तथा 1998-99 के दौरान 1.15 करोड़ रु से 2.10 करोड़ रु के बीच रहा।

घरेलू परियोजनाओं के परियोजना लेखे नहीं बनाये गये।

(ii) यद्यपि, परियोजनावार अनुमान बनाये गये थे। परन्तु घरेलू परियोजनाओं के परियोजनावार लेखे नहीं बनाये गए थे। अतः लेखापरीक्षा द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत के विपरीत किए गए वास्तविक खर्च का पता नहीं किया जा सका। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि संस्थान ने 1 अप्रैल 2000 से परियोजना का खर्च रखने के लिए सभी परियोजना प्रमुखों को अधिसूचित किया था।

प्रायोजकों से वसूली वास्तविक लागत के स्थान पर अनुमानित लागत पर आधारित थी।

तथापि, प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में, प्रायोजकों से वसूली वास्तविक लागत पर न होकर अनुमानित लागत पर आधारित थी। 1992-93 से 1998-99 के दौरान, विभिन्न संगठनों द्वारा 41.80 करोड़ रु ठेकागत मूल्य पर प्रायोजित परियोजनाओं में से पूरी हो गई 45 परियोजनाओं में से, दिसम्बर 1998 तक संस्थान ने 16 मामलों में 6.24 करोड़ रु की वसूली नहीं की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि केवल 0.11 करोड़ रु की वसूली अभी होनी थी। तथापि, सहायक दस्तावेजों की जांच से पता चला कि अक्टूबर 1999 तक 4.24 करोड़ रु की अभी वसूली की जानी थी।

(iii) इस संस्थान को भी अपनी प्रयोगशाला आरक्षित निधि के अर्जन से अपने राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत देना था। 1992-93 से 1998-99 के दौरान, प्रयोगशाला आरक्षित निधि से कुल अर्जन 12.11 करोड़ रु था जो इन वर्षों के दौरान हुआ, कुल राजस्व व्यय 87.31 करोड़ रुपये के 50 प्रतिशत से बहुत कम था और 5.51 प्रतिशत से 26.33 प्रतिशत के बीच रहा।

### 3.2.6 मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने निर्धारित किया कि नियमित अन्तराल पर चालू परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए प्रत्येक संस्थान में एक परियोजना मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष बनाया जाये। यह कक्ष प्रत्येक परियोजना के बजट, लागत निर्धारण तथा परियोजना की फाइल बनाने के लिय जिम्मेदार होगा। यह कक्ष ही प्रत्येक घरेलू परियोजना पर प्रगामी खर्च तथा उसके साथ प्रत्यक्ष प्रगति का विवरण आन्तरिक समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा। यद्यपि, पारियोजना मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष ने परियोजना फाइलें बनाई परन्तु इसने घरेलू परियोजनाओं के लिए परियोजनावार लेखे नहीं बनाए।

अनुसंधान परिषद द्वारा  
परियोजनावार समीक्षा  
नहीं की गई थी।

इस संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा के लिए अनुसंधान परिषद जिम्मेदार थी। 1993-98 के दौरान हुई अनुसंधान परिषद की बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा से पता लगा कि परियोजना समीक्षा तथा प्रत्येक परियोजना का निर्धारण अनुसंधान परिषद द्वारा नहीं कराया गया था। इसके परिणाम स्वरूप, परियोजना प्रमुख अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के सुझावों/सिफारिशों से वंचित रहे और सारी परियोजनायें बिना उनकी प्रगति की किसी प्रकार की समीक्षा के चलती रही। अनुसंधान परिषद के सुझावों/सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में अनुगामी बैठकों के कार्यवृत्तों में भी कोई जिक्र नहीं किया गया था। परिणामतः, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या और कहां तक संस्थान के कार्यकलापों की अनुसंधान परिषद द्वारा मॉनीटरिंग हो रही थी। तथापि, अनुसंधान परिषद के सुझावों/सिफारिशों पर संस्थान द्वारा अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई जो लेखापरीक्षा में निम्नवत मामलों की समीक्षा से प्रकाश में आया :

**(क) परियोजनाओं का समय से पूरा होना**

अनुसंधान परिषद ने बार-बार यह सुझाव दिया कि परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाये। जांच से पता चला कि 1993-99 के दौरान पूरी हुई 52 परियोजनाओं में से, केवल छः परियोजनाएं समय से पूरी हुई थीं शेष 46 परियोजनायें पांच वर्ष से 3 माह तक का अधिक समय लेकर पूरी हुई थीं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में तथ्यों को स्वीकार किया।

**(ख) यांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान विकास संगठन, कोचीन को बन्द करने पर विलम्ब से कार्यवाही।**

अनुसंधान परिषद की  
सिफारिशों के कार्यान्वयन  
में विफलता के कारण  
0.12 करोड़ रु का परिहार्य  
खर्च।

अनुसंधान परिषद ने यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान विकास संगठन, कोचीन के कार्यों पर मई 1994 में चिन्ता दिखाई और इसे बन्द करने के लिए प्रस्ताव बनाने की सिफारिश की। संस्थान ने अनुसंधान परिषद की सिफारिश पर पांच वर्षों तक काम नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर, संस्थान ने उक्त प्रस्ताव फरवरी 1999 में अग्रेषित कर दिया। इस प्रकार, अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण सिफारिश को कार्यान्वित न करने का परिणाम, 1994-95 से 1998-99 की अवधि के लिए यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान विकास संगठन, कोचीन की स्थापना लागत पर 12.19 लाख रु के परिहार्य व्यय में हुआ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने तथ्यों को माना और अक्टूबर 1999 में बताया कि प्रस्ताव उनके पास परीक्षाधीन था।

(ग) प्रभाव निर्धारण

वैकल्पिक प्रशीतकों के प्रयोग के बारे में अनुसंधान परिषद के सुझाव पर अनुगामी कार्यवाही नहीं हुई

अनुसंधान परिषद ने संस्थान को अप्रैल 1993 में सुझाव दिया था कि वह बड़ी-बड़ी प्रशीतन कम्पनियों से सम्पर्क करके उनके निम्न सीमा तक के उत्पादन कार्य-कलाप में वैकल्पिक प्रशीतकों का पता लगाये। तथापि, अनुसंधान परिषद के सुझावों पर संस्थान द्वारा कोई भी अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में बताया कि संबंधित वैज्ञानिकों ने उद्योगों के साथ इस विषय पर बातचीत की थी। तथापि, सी एस आई आर ने कोई ऐसा प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जिससे पता चलता है कि इस मामले पर उद्योगों के साथ बातचीत हुई थी और फिर उसका परिणाम क्या निकला था।

(घ) बाजारोन्मुखी अनुसंधान

बाजार का योजनाबद्ध अध्ययन नहीं किया गया

अनुसंधान परिषद ने बाजार की आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान विकास कार्य करने की आवश्यकता पर अक्टूबर 1994 में जोर दिया जिसके लिए यह आवश्यक समझा गया था कि संस्थान किसी व्यवसायिक एजेन्सी से बाजार का अध्ययन कराये। पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी संस्थान ने अनुसंधान परिषद की सिफारिश का अनुसरण नहीं किया। सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि बाजार की संभावनाओं के अध्ययन और प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सहायता के लिये व्यवसायिक विपणन फर्मों को लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्य करने में यह उदासीनता का परिचायक है।

3.2.7 अनुसंधान परिणाम और उनका उपयोग

(क) पेटेन्ट

जिस अनुसंधान-विकास कार्य के परिणामस्वरूप, नये मिश्रण (कम्पाउन्ड), संविरचना (कम्पोजीशन) तथा मशीनों के विकास की प्रक्रिया विकसित हो तो उससे पेटेन्ट जैसी बौद्धिक सम्पदा प्रजनित होती है। 1992-99 के दौरान, फाईल किए गए, सील हुए और वाणिज्यिक हुए पेटेन्टों के ब्यौरे निम्नवत् थे :

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	योग
फाईल हुए पेटेन्टों की संख्या	-	2	2	1	4	2	2	13
मंजूर और फाईल हुए और सील हुए पेटेन्टों की संख्या	-	-	-	-	2	-	-	2



1992-93 से 1998-99 के दौरान 13 पेटेंट फाइल हुए और केवल एक सील हुआ।

यद्यपि, 1993-99 के दौरान 52 परियोजनाएँ पूरी हुई थी, उनमें से केवल 13 उत्पाद पेटेंट के लायक पाए गए थे। बहुत थोड़े पेटेंट फाइल किये जाने के बारे में संस्थान ने जनवरी 1999 में बताया कि पूरी हुई 52 परियोजनाओं में से 28 का संबंध विश्लेषण संरचना और प्रतिस्थापन/ आपूर्ति अध्ययन आदि से था जिनसे पेटेंट जैसी बौद्धिक सम्पदा की संभावना नहीं रहती। इस संस्थान के तर्क में विरोधाभास था क्योंकि जांच से पता लगा कि 1993-99 के दौरान फाइल हुए 13 पेटेंटों में से 4 पेटेंट अध्ययन रिपोर्ट पर न कि उत्पादों पर आधारित थे। 1992-99 के दौरान केवल दो पेटेंट मंजूर हुए थे और वह भी 1988-90 के दौरान फाइल हुए पेटेंटों पर थे। इस प्रकार, 1992-99 के दौरान किए गए अनुसंधान-विकास कार्यों पर संस्थान का कोई पेटेंट मंजूर नहीं हुआ।

महानिदेशक, वैज्ञानिक और आद्योगिक अनुसंधान परिषद ने फरवरी, 2000 में बताया कि भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट परीक्षकों की अपर्याप्त संख्या, भारी संख्या में पिछले पेटेंट आवेदन बकाया होने के कारण पेटेंट मंजूर करने के लिए छः से सात वर्ष लगते हैं। अमेरिका और चीन जैसे देशों में पेटेंट आवेदनों का संसाधन काफी तेजी से होता है। तथापि, यह तथ्य है कि 1992-99 के दौरान अनुसंधान-विकास कार्यकलापों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान का अभी तक कोई पेटेंट मंजूर नहीं हुआ है।

#### (ख) प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण

1992-99 के दौरान, संस्थान ने पूरी हुई 52 परियोजनाओं में से केवल 30 उत्पाद प्रक्रिया नो-हाउ विकसित हुए। इनमें से, घरेलू परियोजनाओं में से केवल 4 उत्पाद प्रक्रिया/नो-हाउ प्रजनित हुए और शेष 26 प्रायोजित परियोजनाओं के परिणाम थे। 30 प्रौद्योगिकियों में से प्रजनित 13 प्रक्रियाओं को उद्योग के अन्तर्गत किया गया था।

सी एस आई आर ने तथ्यों को मानते हुए अक्टूबर 1999 में बताया कि अन्य संभावित ग्राहकों को प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस देने के लिए इस संस्थान ने कदम उठाये थे तथा ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक ग्राहक सन्तुष्टि कक्ष बनाया था।

#### (ग) अनुसंधान प्रकाशन

1992-93 से 1998-99 की अवधि के दौरान, अनुसंधान प्रकाशनों की स्थिति (दिसम्बर 1998) निम्नानुसार थी :

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	जोड़
भारतीय पत्रिका	2	10	26	15	10	5	9	77
विदेशी पत्रिका	0	-	-	3	1	1	0	5
योग	2	10	26	18	11	6	9	82

1992-99 के दौरान, विभिन्न पत्रिकाओं में केवल 82 पेपर प्रकाशित हुए थे जिनमें विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित पांच पेपर भी शामिल थे। जैसा कि देखा जा सकता है, प्राकशित अनुसंधान पेपरों की संख्या कम हो रही थी।

### 3.2.8 क्रय प्रबन्धन

अभिलेखों की नमूना जांच से, क्रय से सम्बन्धित निम्नलिखित कमियां देखी गई थी :

(क) फरवरी 1995 में, इस संस्थान ने नलों वाइबरेशन सिगनलों के आन द स्पॉट विश्लेषण के लिए 11695.50 यू के पौंड की लागत के “ पोर्टबल एफ एफ टी अनालाइजर” के आयात का आदेश प्रस्तुत किया। इन अनालाइजरों की आवश्यकता सिगनलों के आन द स्पॉट विश्लेषण के लिए थी। विदेशी आपूर्तिकार ने आश्वासन दिया कि माल और उनकी संरचना में दोष आने की स्थिति में, जलपोत से प्रेषण भेजने की तारीख से एक साल की वारन्टी अवधि के दौरान उपस्कर को बदल दिया जायेगा अथवा दोषपूर्ण पुर्जे की मरम्मत की जायगी। 5.54 लाख रू मूल्य का अनालाइजर जून 1995 में संस्थान में प्राप्त हुआ था। सर्विस इंजीनियर जो नवम्बर 1995 में संस्थान में आया था वह इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सका। संस्थान ने मई 1996 में समाप्त हो गए वारन्टी समय में विदेशी फर्म द्वारा अनालाइजर को बदलने, उसकी मरम्मत की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि अनालाइजर को नवम्बर 1995 में प्रतिस्थापित किया गया था। केवल दो फीचर काम नहीं कर रहे थे। उसने यह भी बताया कि इस बारे में आपूर्तिकार और उसके भारतीय एजेंट को बता दिया गया था जिनका कोई उत्तर नहीं मिला। सी एस आई आर का यह उत्तर संस्थान के फरवरी 1999 के उत्तर के विपरीत है कि उस तारीख तक उपस्कर का प्रतिस्थापन नहीं हुआ था।

### (ख) विलम्ब तथा टर्मिनल प्रभार

सी एस आई आर के निर्देशानुसार, 250 रू से अधिक के विलम्ब तथा टर्मिनल प्रभार की सूचना भेजी जानी चाहिए। तथापि, भुगतान किए गए विलम्ब तथा टर्मिनल प्रभारों की जानकारी संस्थान को नहीं थी। तथापि, लेखा परीक्षा में किए गए कुछ मामलों की नमूना जांच से पता चला कि 1992-98 के दौरान सी एम ई आर आई द्वारा चार मामलों में 0.11 लाख रू की अदायगी की गई थी। सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में माना कि संस्थान द्वारा इस संबन्ध में समेकित सूचना नहीं रखी जा रही थी।

### 3.2.9 भंडार प्रबन्धन

#### (क) प्रत्यक्ष सत्यापन

1990-91 के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया।

भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष किये जाने की आवश्यकता है। तथापि, यह देखा गया था कि 1990-91 के बाद किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। 1990-91 की सत्यापन रिपोर्ट संस्थान के पास उपलब्ध नहीं थी, बताया गया कि नष्ट कर दी गई थी। सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि जून 1999 में विभिन्न प्रकार की समितियाँ बना दी गई थी और काम के शीघ्र पूरा हो जाने की उम्मीद थी। यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान विकास संगठन, कोचीन में अन्तिम प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 1993 में हुआ था, पुणे और लुधियाना का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमशः मार्च 1997 और जूलाई 1997 के बाद कभी नहीं कराया गया था। प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव के परिणामस्वरूप भंडार की कमी अथवा चोरी हो सकती है।

सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रगति पर था।

#### (ख) अनुपयोगी भंडार

0.24 करोड़ रू मूल्य के अप्रयोज्य भंडार का निपटान प्रतीक्षित है।

सितम्बर 1998 में, सी एम ई आर आई की भंडार निपटान समिति ने 0.24 करोड़ रू मूल्य की 992 भंडार मदों को अप्रयोज्य घोषित किया। तथापि, अभिलेखों की जांच से पता चला कि संस्थान ने भारत सरकार की नीति कि भंडारों के अप्रयोज्य घोषित होने और उनके निपटान के बीच समय का अन्तराल कम किया जाये ताकि ग्रह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे भंडार अच्छी कीमत दे, तथा अनावश्यक रूप से बहुमूल्य भंडारण स्थान न होने के बावजूद अप्रयोज्य भंडार का निपटान नहीं किया। सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि उनके पास निपटान का प्रस्ताव जनवरी 1999 से है।

#### (ग) बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से अभिग्रहित भंडार तथा उपस्कर

प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि से किये गये खर्च के परिणामस्वरूप पूंजी परिसम्पत्ति बनी। ऐसी परिसम्पत्ति प्रायोजक एजेन्सी की सम्पत्ति हो जाती है जब तक उन सम्पत्तियों को उस संस्थान को उपहार स्वरूप नहीं दिया जाता है। 8.34 करोड़ रू लागत की महासागर विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित और मार्च 1994 तथा दिसम्बर 1994 के बीच पूरी हुई दो परियोजनाओं में संस्थान ने 2.84 करोड़ रू मूल्य की परिसम्पतियाँ अभिग्रहित की परन्तु संबंधित भंडार अनुभाग के प्रभारी अधिकारी ने उन सम्पत्तियों को महासागर विकास विभाग से उपहार में प्राप्त करने की

कोई कार्यवाही नहीं शुरू की और उन भंडारों को भंडार लेजर में शामिल कर लिया जिसके परिणामस्वरूप, लेखे में उन परिसम्पतियों को छोड़ दिया गया।

सी एस आई आर ने अक्टूबर 1999 में बताया कि भंडारों के अन्तरण के मामले पर महासागर विकास विभाग को लिखा जा रहा था।

### 3.3 केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

#### मुख्य-मुख्य बातें

- सी एस आई आर के निदेशों के अनुसार प्रयोगशाला स्तर के नो-हाउ को ऊपर उठाने और बौद्धिक सम्पदा प्रजनित करने के लिए सहयोगी परियोजनाएं शुरू की जानी थी। 1994-99 के दौरान, सहयोगियों के अनन्य प्रयोग हेतु 73 परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया। 67.89 लाख रु खर्च करने के बाद भी इन परियोजनाओं से कोई नई प्रौद्योगिकी प्रजनित नहीं हो सकी।

(पैराग्राफ 3.3.4 (ग)(ब))

- 1994-99 के दौरान, सी एम आर आई ने केवल 60 घरेलू तथा सहायता अनुदान परियोजनाओं के विपरीत, 634 परामर्शी परियोजनाओं को पूर्ण किया। कर्मचारियों को 278.80 लाख रु मानदेय का भुगतान किया गया। 1998-99 के दौरान, मानदेय में निदेशक का हिस्सा 5.82 लाख रु था, यह सी एस आई आर के मार्गनिर्देशों, कि स्टाफ को वित्तीय लाभ के कारण उनका ध्यान अनुसंधान विकास से सहयोगी की ओर नहीं मोड़ना चाहिए, का अतिक्रमण है।

(पैराग्राफ 3.3.4(घ))

- 244 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया, उनमें से केवल 40 पेटेन्ट आवेदन फाइल किये गये जिसमें से कोई भी पेटेन्ट सील नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 3.3.6(i))

- घरेलू परियोजनाओं का अनुसंधान परिषद् द्वारा नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 3.3.7)

- सी एम आर आई ने उसकी आकृति और उपयोगिता की जांच किए बिना मार्च 1996 में 29.68 लाख रु का एक कम्प्यूटर खरीदा और उसका प्रति स्थापन अभी किया जाना था।

(पैराग्राफ 3.3.8(क))

#### 3.3.1 विषय-प्रवेश

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी एम आर आई), धनबाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) की एक संघटक इकाई है जिसकी

स्थापना 1955 में देश के खनन उद्योग को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहायता देने के लिए हुई थी।

1993-94 में, सी एम आर आई ने अपने उद्देश्यों को निम्नानुसार वर्णन किया:-

- परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से जटिल कोयला भंडार के शोषण के लिए खनन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और खनिज भंडार के अधिकतम शोषण के लिए समग्र पैकेज विकसित करना।
- खानों में सुरक्षा निष्पादन और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए विधियों और साधनों का विकास करना और चट्टान उत्खनन के यांत्रिक व्यवहार का आदर्श संख्याक्रम करना, खानों में, सुरंगों और भूमिगत गुफाओं में स्थिरता के दृष्टिकोण से योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करना।
- पर्यावरण प्रबंधन, परिवर्तनीय इको-फ्रेंडली खनन प्रक्रिया का विकास और सुधार


### 3.3.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है।

अप्रैल 1992 में सी एम आर आई की वर्ष 1987-92 के कार्यकलाप पर एक समीक्षा कराई गई थी और 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष (1993 की संख्या 2) संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के पैरा 12.1.6 और 12.1.8 में सहयोगी परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण क्षेत्रों में पाई गई कमियों को दर्शाया गया था। 1994-99 के नमूना परीक्षण के दौरान, सी एम आर आई के कार्यकलाप में पाई गई कमियों को इस समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

### 3.3.3 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय धनबाद में स्थित है। सी एम आर आई के दो क्षेत्रीय केन्द्र रूड़की और नागपुर में भी हैं। सी एम आर आई का प्रधान एक निदेशक होता है। जिसकी सहायता विभिन्न वर्गों द्वारा की जाती है। जैसा कि निम्नानुसार संगठनात्मक चार्ट में दर्शाया गया है:



अनुसंधान परिषद् में निदेशक, सी एम आर आई और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के वैज्ञानिक होते हैं जिसका प्रधान एक बाह्य विशेषज्ञ होता है, जो कि अनुसंधान कार्यक्रमों को बनाने पर सलाह देती और सिफारिश करती है, अनुसंधान कार्यकलापों की सामयिक समीक्षा करवाती है, परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित करती है, सी एम आर आई और अन्य अनुसंधान संगठनों, उद्योग और संभाव्य ग्राहकों के बीच संपर्क सूत्र कायम करने की सलाह देती है। प्रबंधक कमेटी में सी एम आर आई से और बाहर से दस सदस्य होते हैं, सी एम आर आई का निदेशक उस का अध्यक्ष होता है जो सी एम आर आई के दिन प्रतिदिन के मामलों की व्यवस्था करता है।

### 3.3.4 अनुसंधान-विकास गतिविधियाँ

सी एम आर आई की अनुसंधान-विकास गतिविधियों को परियोजना द्वारा कार्यान्वित किया जाता है ताकि ऊपर दी गई सूची के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खनन उद्योगों वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहायता दिया जा सके। इन परियोजनाओं को विस्तार से पाँच वर्गों में विभाजित किया जाता है, नामतः, घरेलू परियोजनाएं, सहायता अनुदान परियोजनाएं, प्रायोजित परियोजनाएं, सहयोगी अनुदान परियोजनाएं और परामर्शी परियोजनाएं। सहायता अनुदान परियोजनाओं की निधि आंशिक रूप से अन्य सरकारी विभागों से मिलती है जबकि घरेलू परियोजनाओं को पूर्णतया सी एम आर आई से निधि प्राप्त होती है। प्रायोजित परियोजनाओं के विषय में निधि प्रयोजक द्वारा दी जाती है तथा सहयोगी परियोजनाओं का आंशिक वित्त पोषण सहयोगी

एजेंसियों द्वारा किया जाता है। परामर्शी परियोजनाएं जो कि गैर-अनुसंधान-विकास प्रकार की होती हैं, ग्राहकों द्वारा फीस की अदायगी करने पर शुरू की जाती हैं।

### {क} घरेलू परियोजनाएँ

सी एम आर आई द्वारा 1994-99 के दौरान शुरू और पूरी की गई घरेलू परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार था:

वर्ष	टथ शेष	शुरू की गई परियोजनाएँ	पूरी की गई परियोजनाएँ	अंत शेष
1994-95	7	15	6	16
1995-96	16	4	14	6
1996-97	6	11	1	16
1997-98	16	7	11	12
1998-99	12	8	5	15

### (अ) निर्धारित सर्वेक्षण बिना परियोजनाओं का चयन

सी एम आर आई संस्थान द्वारा बनाई गई परियोजनाओं के चयन की प्रणाली का अनुसरण नहीं किया

सी एम आर आई के पास घरेलू परियोजनाओं के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया थी। परियोजना प्रमुख परियोजना प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करेगा और मार्केट सर्वेक्षण, आर्थिक उपलब्धता का परीक्षण और संभाव्य उपभोगकर्ता के साथ पारम्परिक बातचीत के पश्चात् ही परियोजना का चयन किया जाएगा। अनुसंधान परिषद् के उपर्युक्त प्रावधान तथा सिफारिशों के बावजूद भी सी एम आर आई ने किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले उसकी कोई भी औपचारिक मार्केट सर्वेक्षण तथा आर्थिक उपलब्धता का परीक्षण नहीं करवाया। सी एस आई आर द्वारा परियोजनाओं का चयन मार्केट सर्वेक्षण तथा आर्थिक उपलब्धता का परीक्षण कराए बिना ही मुख्यता उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन तथा सम्बद्ध पक्ष के साथ संबंधित वैज्ञानिकों की बातचीत के आधार पर ही कर दिया गया। इससे परियोजनाओं के चयन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की कमी प्रकट होती है। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि मार्केट सर्वेक्षण यथा पूर्वपिहित सभी मामलों में व्यवहारिक/संभव नहीं था क्योंकि संस्थान अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के सम्पर्क में रहता है जिसमें मार्केटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। सी एस आर आई का उत्तर सी एम आर आई और आर सी द्वारा निर्धारित घरेलू परियोजनाओं के चयन की प्रक्रिया की सिफारिश का खंडन करता है।

1994-99 के दौरान, सी एम आर आई ने 37 घरेलू परियोजनाओं को पूरा किया। इन पूरी हुई 37 घरेलू परियोजनाओं में से 0.70 लाख रू की केवल एक ही परियोजना का अनुसंधान परिणाम (वितन घटक निकालकर) वाणिज्यीकरण के लिए अप्रैल 1994 में उद्योग को अन्तरित किया गया था। शेष 36 परियोजनाओं के



अनुसंधान परिणाम वाणिज्यीकरण के लिए किसी उद्यमी को आकर्षित नहीं कर सके। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि अप्रैल 1999 के बाद, चार महीनों के दौरान तीन प्रौद्योगिकियों को संबंधित उद्योगों को अन्तरित कर दिया गया था।

### (ब) खनिज शोषण परियोजनाएं

खनिज शोषण से संबंधित सी एम आर आई द्वारा खनिज शोषण हेतु प्रारंभ की गई कुछ घरेलू परियोजनाओं के दस्तावेजों की नमूना परीक्षण से पता चला कि एक मामले में सी एम आर आई ने देश में तांबा उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिये एक परियोजना को अचानक बंद कर दिया और एक अन्य मामले में पूर्ण जानकारी, कि परियोजना के अनुसंधान परिणामों को वाणिज्यीकरण के लिये आवश्यक निधि उपलब्ध की नहीं करा पायेगा के बावजूद, सी एम आर आई ने परियोजना प्रारंभ की जैसी कि अगले पैराग्राफों में चर्चा हुई है:

#### (i) पौध प्रजातियों द्वारा तांबे का जैव-संचयन

सी एम आर आई द्वारा अक्टूबर 1995 में 16.33 लाख रू. अनुमानित लागत से वेतन सहित नमक "पौध प्रजातियों द्वारा तांबे का जैव-संरचन" से एक घरेलू परियोजना शुरू की गई जिसमें प्रदूषण के जोखिम पर नियंत्रण रखते हुए जैव-प्रौद्योगिकीय विधि द्वारा अधिकतम तांबा वसूली की एक वैकल्पिक, सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित करना सम्मिलित थे। तथापि, सी एम आर आई ने अनुसंधान परिषद् के सामने न तो परियोजना प्रस्ताव को उनकी सिफारिशों के लिए पेश किया, न ही किसी विशेषज्ञ की सलाह ली।

जनवरी 1997 में घरेलू परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए, अनुसंधान परिषद् के सदस्यों ने सुझाव दिया कि निश्चित परिणामों के लिए अधिक संख्या में पौधों का समावेश किया जाना चाहिए और विदेशी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर संदर्भ लेना चाहिए। फिर भी, सी एम आर आई ने मार्च 1998 तक परियोजना को अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों का अनुपालन किए बिना चालू रखा। परियोजना को मार्च 1998 में बिना किसी उद्देश्य प्राप्ति के अन्तिम रूप से बन्द कर दिया गया। सी एम आर आई ने फरवरी 1999 में बताया कि परियोजना का परिणाम केवल एक अनुसंधान पेपर को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छापने के लिए स्वीकार किया गया था। स्वीकृति पत्र का कोई प्रमाण न होने के कारण, सी एम आर आई का दावा संदेहास्पद रहा। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि योग्य स्टाफ न होने के कारण पौध प्रजातियों की अधिक संख्या में आगे जांच नहीं की जा सकी और इस परियोजना से प्राप्त अनुभव से नई सहायता अनुदान परियोजना के मिलने में मदद मिली है। तथापि, सी आई एस आर ने यह नहीं बताया कि कौन सी नयी सहायता अनुदान परियोजना शुरू की गई।

अनुसंधान परिषद् की सलाह की अवहेलना के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी

(ii) बकेट व्हील एक्सकेवेटर प्रौद्योगिकी

परियोजना उचित रूप से परिकल्पित नहीं थी।

सी एम आर आई ने फरवरी 1996 में वेतन सहित 5.66 लाख रू. की अनुमानित लागत से एक घरेलू परियोजना को शुरू किया जिसका शीर्षक था “ भारतीय सतह खानों में बकेट व्हील एक्सकेवेटर की प्रौद्योगिकी के विस्तृत प्रयोग की संभाव्यता” जिसमें भारतीय ओपन कास्ट भूरे कोयले की खान में बकेट व्हील एक्सकेवेटर के प्रयोग का अध्ययन और क्षेत्र एवं प्रयोगशाला अध्ययन द्वारा उन तत्वों की पहचान करना जो भारी चट्टान द्वारा प्रस्तुत ज्यादा खुदाई प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार है, सम्मिलित है तथापि, अतिरिक्त लागत होने के कारण, परियोजना के शुरू होने से पहले पूर्वाक्षेपित औपचारिकताएं जैसे कि मार्केट सर्वेक्षण, अर्थव्यवस्था पहलू का विश्लेषण तथा उद्योग की जरूरत इत्यादि का अध्ययन नहीं किया गया। परियोजना जनवरी 1997 में उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही पूरी कर दी गई थी।

सी एम आर आई ने फरवरी 1999 में बताया कि क्षेत्र में भविष्य में उपयोग के लिए परियोजना/क्षेत्र की पहचान किये जाने की आवश्यकता थी। सी एम आर आई के उत्तर की वास्तविकता पर इन तथ्यों की रोशनी में विचार करना था कि परियोजना के शुरू होने से पहले पूरी तरह से जानकारी थी कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर का कोई भारतीय उत्पादक नहीं था और उपकरण की लागत (एक बड़े बी डब्ल्यू ई, का 200 करोड़ रू. का आदेश) उसके विस्तृत प्रयोग का निषेधक था। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि परियोजना को अनुरीक्षण और मूल्यांकन कमेटी के सदस्यों की सलाह पर ही पूरा किया गया था। और तदनुसार परियोजना प्रस्तावक ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथापि, वास्तव में परियोजना बिना उद्देश्यों को प्राप्त किये पूरी हो गई थी।

(स) खनन से कोई संबंध न रखने वाली परियोजनायें

घरेलू परियोजनाओं के परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि सी एम आर आई ने जो 5 परियोजनाएँ दिसम्बर 1992 और अगस्त 1997 के दौरान पूरी की थी और जिनकी अनुमानित लागत वेतन सहित 16.64 लाख रू. थी उनका संस्थान के थ्रस्ट क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। जिनको सोसाइटी मिशन प्रोग्राम श्रेणी में रखा गया था जो कि साधारणतः सोसाइटी के हित के लिये अनुसंधान प्रोग्राम थे। यह परियोजनायें पीने के पानी में से आर्सेनिक निकालने हेतु, दोपहिया वाहनों के लिए लाइफ सेफ्टी किट के विकास, वायु प्रदूषण प्रेक्षक का उत्पादन, इको-फ्रेम्डली कूड़ा लदान का विकास और दोपहिया वाहन में पेट्रोल बनाने की किट के विकास के लिये थी।

जबकि सभी पांचो परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होकर बंद हो गई थी किन्तु विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण नहीं हो सका। किसी ठेकेदार द्वारा किसी तरह की कोई भी दिलचस्पी न दिखाने के कारण तकनीकी विकास फलस्वरूप, सोसाइटी को

साधारणतया अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका और उस पर किया गया व्यय निष्फल हो गया। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में इस तथ्य को मानते हुए बताया कि इन तीनों परियोजनाओं में कोई भी विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने हेतु आगे नहीं आया जबकि दो परियोजनाएं राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को वाणिज्यीकरण के लिए दे दी गई है। सी एस आर आई के जबाव की वास्तविकता पर इस तथ्य की रोशनी में विचार करना था कि सी एम आर आई कोई भी प्रायोजक नहीं ढूँढ पाई जो कि परियोजना को पूरा करने के दो से सात सालों के बीच उसका वाणिज्यीकरण कर सकता।

### {ख} सहायता अनुदान परियोजनाएँ

1994-99 के दौरान सी एम आर आई द्वारा शुरू की गई सहायता अनुदान परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:-

वर्ष	अथ शेष	शुरू की गई परियोजनाएँ	पूरी की गई परियोजनाएँ	अंत शेष
1994-95	14	7	4	17
1995-96	17	4	3	18
1996-97	18	5	4	19
1997-98	19	6	4	21
1998-99	21	2	8	15

### (अ) परियोजनाओं के पूरे होने में विलम्ब

यह देखा गया था कि जिन 23 सहायता अनुदान परियोजनाओं को पूरी हुई दर्शाया गया था, उनमें से सी एम आर आई ने पूरे होने की तिथि के 5 से 24 महीने के बाद 116.13 लाख रू लागत की केवल 11 परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट पेश की। परियोजनाओं की समाप्ति के एक से पांच वर्ष के बाद भी 356.02 लाख रू. लागत की नौ परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार की जानी थी। दिसम्बर 1998 में पूरी हुई 10.75 लाख रू. लागत की एक परियोजना की अंतिम रिपोर्ट से संबन्धित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। शेष दो परियोजनाओं को प्रारम्भिक अध्ययन के बाद शुरू नहीं किया गया।

दो परियोजनाओं के नमूना परीक्षण से निम्नानुसार पता लगा :

23 पूरी हुई परियोजनाओं में से 9 की अंतिम परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।

(i) कोयला खानों में वायु रिसाव

उद्देश्यों की प्राप्ति के बिना ही परियोजना को समय से पूर्व समाप्त किया गया

सी एम आर आई ने कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अनुमानित लागत 3.50 लाख रू. की परियोजना सितम्बर 1993 में शुरू की जिसका शीर्षक "कोयला खानों में वायु रिसाव का अध्ययन" करना था और इसको दिसम्बर 1994 तक पूरा होना था कोयला मंत्रालय ने फरवरी 1994 में 2 लाख रू. की राशि का भुगतान किया। इस परियोजना का उद्देश्य दो कोयला खानों में वायु रिसाव का पता लगाने, रिसाव प्रवृत्ति की जांच करना, गुफा गोफों में रिसाव का मापना, जैसे दरवाजे, वायु-आवागमन, सतह और भीतरी वायु लॉक्स, जैसे विभिन्न वायु संचार संरचनाओं को रोकने में वायु रिसाव को मापने की प्रौद्योगिकी विकसित करना। सी एम आर आई ने जून 1995 में कोयला मंत्रालय से परियोजना को उसी अनुमोदित लागत में पूर्ण करने हेतु छः माह का समय और शेष देय राशि 1.50 लाख रू की मांग की जिससे कि आगे जांच जारी रखी जा सके। वित्तपोषण एजेंसी के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना ही सी एम आर आई ने मार्च 1996 में परियोजना की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि जो काम उपलब्ध फंड में किया जा सकता था, उसे पूरा कर दिया गया और वित्तपोषक एजेंसी ने बिना किसी टिप्पणी के उसे स्वीकार कर लिया था। सी एस आई आर का जबाब तथ्यों पर आधारित नहीं था। क्योंकि भारतीय केन्द्रीय खान योजना और विकास लिमिटेड (सी एम पी डी आई एल), जो कि इस योजना के लिए कोयला मंत्रालय की नोडल एजेंसी थी ने अप्रैल 1996 में टिप्पणी की कि मुख्य उद्देश्य जैसे रोधकों द्वारा रिसाव की मात्रा का माप जो पर्याप्त नहीं था और गुफा गोफों द्वारा रिसाव पर ध्यान भी नहीं दिया गया। यह भी कहा गया कि संस्थान द्वारा वायु रिसाव का पता लगाने की सुझाई गई प्रौद्योगिकी कोई नई नहीं थी।

इस प्रकार, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ने कोयला खानों में वायु रिसाव का पता लगाने की किसी प्रौद्योगिकी का विकास किए बिना परियोजना को बंद कर दिया जिसमें 3.50 लाख रू. का खर्च निष्फल रहा।

(ii) भूमि अवनति का पर्यावरण प्रभाव निर्धारण

पूरी हुई परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट नहीं तैयार की गई

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ने फरवरी 1994 में 33.58 लाख रू. लागत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित परियोजना जिसका शीर्षक "हिमाचल प्रदेश के सिरमौर चूना भंडारों को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण तथा पर्यावरण प्रबन्धन" था और जिसे अगस्त 1995 तक पूरा होना था। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण अवनति के विपरीत प्रभावों को कम करना था। मंत्रालय ने फरवरी 1994 में केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान को 30.72 लाख रू. का भुगतान किया। परियोजना एक साल की देरी के बाद अगस्त 1996 में पूरी हुई।

तथापि, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ने फरवरी 1999 तक अंतिम परियोजना रिपोर्ट को नहीं तैयार किया था क्योंकि मंत्रालय उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं था क्योंकि उनके द्वारा कहे गए सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था। अतः भूमि अवनति जैसे पर्यावरण के कठिन मामले पर परियोजना के उद्देश्यों को परियोजना निष्पादन 30.72 लाख रू. खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। सी एस आई आर ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट सितम्बर 1999 में भेज दी गई थी। सी एस आई आर के जवाब में मंत्रालय की संतुष्टि का कोई जिक्र नहीं था।

### (ग) सहयोगी और प्रायोजित परियोजनाएं

सहयोगी और प्रायोजित परियोजनाओं का उद्देश्य अनुसंधान विकास गतिविधियों के विकास को इस प्रकार करना है जिससे उद्योग एवं प्रयोगशाला के बीच संबंध स्थापित हो सके ताकि परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से खनिज भंडारों के इष्टतम शोषण के लिए नये विचार और प्रौद्योगिकी का विकास हो सके।

### (अ) पूरी होने में विलम्ब

1994-95 से 1998-99 तक की सहयोगी/प्रायोजित परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	अथ शेष	शुरू की गई परियोजनाएँ	पूरी की गई परियोजनाएँ	अंत शेष
1994-95	161	15	23	153
1995-96	153	9	109	53
1996-97	53	9	39	23
1997-98	23	10	3	30
1998-99	30	3	10	23

वर्ष 1994-99 के दौरान, 207 परियोजनाओं (1993-94 से आगे ले जाई गई 161 समेत है) में से, 184 परियोजनाएँ पूरी हो गई थी। सी एम आर आई के पास उनके द्वारा पूरी की गई 184 परियोजनाओं पर किए गए अंशदान/खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। अतः इन परियोजनाओं में अन्तग्रस्त सी एम आर आई का कुल वित्तीय निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। तथापि, केवल 80(73 सहयोगी परियोजनाएं तथा बाकी 7 प्रायोजित परियोजनाएं) परियोजनाओं का ब्यौरा ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, सी एम आर आई द्वारा पूरी की गयी सभी 73 सहयोगी पूरी हुई परियोजनाओं की अनुमानित लागत 124.77 लाख रू. के आंशिक निधि आधार पर शुरू की गई थी। जिसमें सहयोगी का हिस्सा 56.87 लाख रू. था और सी एम आर आई का हिस्सा 67.89 लाख रू. था।

इन में से, 1994-97 की अवधि की 51 परियोजनाएँ, 2 से 54 महीने के समय वृद्धि के बाद पूरी की गई थी।

अवधि	परियोजनाओं की संख्या
1 साल तक	14
1 से 2 साल	4
2 से 3 साल	7
3 से 4 साल	22
4 से 5 साल	4

### (ब) उद्योगों के अनन्य प्रयोग हेतु शुरू की गई परियोजनायें

सी एम आर आई ने उद्योगों के अनन्य प्रयोग हेतु परियोजनायें शुरू किया न कि नई तकनीक के विकास हेतु

सी एस आई आर के मार्गदर्शनों से पता लगा कि सहयोगी परियोजनाओं का उद्देश्य प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकी जानकारी को बढ़ाना/सुधारना और बौद्धिक सम्पदा के प्रजनन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए। 73 सहयोगी परियोजना की समीक्षा से पता लगा कि सभी परियोजनाएं उद्योग के विशेष अनुरोध पर और उनके अनन्य प्रयोग हेतु ही शुरू की गयी थी। इस प्रकार, 67.89 लाख रू. खर्च होने के बाद भी इन परियोजनाओं से सी एम आर आई में न तो किसी नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और न ही कोई लाभ प्राप्त किया। सी एम आर आई ने जून 1999 में बताया कि इन सभी 73 परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य बाह्य रोकड़ प्रवाह को बढ़ाना था। सी एम आर आई का जवाब अनुसंधान-विकास के लिए कम चिन्ता प्रतिबिम्बित करता है क्योंकि उस समय के दौरान, सी एम आर आई ने 73 शुरू की गई परियोजनाओं में से 37 घरेलू परियोजनायें पूरी की परन्तु केवल एक परियोजना का अनुसंधान नतीजा ही उद्यमी को व्यापारीकरण के लिए आकर्षित कर पाया।

### (स) बौद्धिक सम्पदा के वाणिज्यीकरण पर प्रतिसंभरण का अभाव

केन्द्रीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के मार्गदर्शनों के अनुसार, यदि प्रयोजक अनुबंध में दिये गये अनुबंधित समय में प्रायोजित परियोजना से प्राप्त बौद्धिक सम्पदा के व्यापारिक रूप से शोषण में विफल रहे तो प्रयोगशाला बौद्धिक सम्पदा का लाइसेंस किसी अन्य को दे सकती है।

सी एम आर आई ने बौद्धिक सम्पदा के व्यापारिक शोषण की सूचना के अभाव में उसका लाइसेंस नहीं दिया

तथापि, सी एम आर आई के पास प्रायोजित/सहयोगी परियोजनाओं से विकसित बौद्धिक सम्पदा के विकास एवं व्यापारीकरण के संबन्ध में सूचना प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। इस प्रकार, किसी प्रतिसंभरण विधि के न होने के कारण, किसी प्रयोजक द्वारा उपयोग न किये जाने पर सी एम आर आई बौद्धिक सम्पदा का लाइसेंस किसी अन्य को नहीं दे सका।

इस संबंध में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) की वर्ष 1993 की रिपोर्ट के पैरा 12.1.8 में इसका प्रसंग दिया गया था कि सी एम आर आई के पास उद्योगों को अन्तरित प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को जानने के लिए कोई प्रतिसंभरण प्रणाली नहीं थी। अपने कृत कार्यवाही नोट में सी एस आर आई ने सितम्बर 1995 में बताया था कि संस्थान द्वारा उद्योगों को स्थानान्तरित प्रौद्योगिक जानकारी के बारे में प्रतिसंभरण के लिये एक प्रौद्योगिकी अन्तरण कक्ष बनाया गया था। तथापि, सी एम आर आई के पास फरवरी 1999 तक उद्योग द्वारा उनकी प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सी एस आर आई ने फरवरी 1999 में बताया कि उद्देश्यों की पूर्ति की एक लम्बी प्रक्रिया थी और इसके प्रतिसंभरण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत थी।

#### (घ) परामर्शी परियोजनाएं

सी एम आर आई आर ने फीस की अदायगी के आधार पर उद्योगों को परामर्श देने के लिए परामर्शी परियोजनाये शुरू करता है। जो मूलतः गैर-आर एंड डी प्रकार की होती हैं। 1994-95 से 1998-99 के दौरान शुरू की गई परामर्शी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आदि शेष	शुरू की गई परियोजनाएँ	पूरी की गई परियोजनाएँ	अंत शेष
1994-95	116	114	101	129
1995-96	129	106	153	82
1996-97	82	135	134	83
1997-98	83	154	124	113
1998-99	113	135	122	126
<b>कुल योग</b>		<b>644</b>	<b>634</b>	

1994-99 के दौरान, इस संस्थान ने 1994-95 में शुरू की गई 116 परियोजनाओं सहित 760 परामर्शी परियोजनाएँ शुरू की, जिसमें से समीक्षा अवधि के दौरान 634 परियोजनायें पूरी हुई थी। संस्थान ने 1994-99 तक ली गई परामर्शी परियोजनाओं से 444.94 लाख रू. का परामर्शी शुल्क अर्जित किया था जिसमें से 293.48 लाख रू. का वितरण क्रमशः वैज्ञानिकों, तकनीकियों, सी एम आर आई के सहयोगी स्टाफ और सी एस आर आई आर कल्याण फंड के लिए क्रमशः 65:15:15:5 के अनुपात से कर दिया गया। 151.46 लाख रू. की शेष राशि को प्रयोगशाला आरक्षित निधि लेखा में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(अ) सी एस आई आर की मार्गदर्शनों की अवहेलना में बड़ी संख्या में परामर्शी परियोजनाये

सी एम आर आई ने 1994-99 में 634 परामर्शी परियोजनायें पूरी की जबकि इसी अवधि में उसने केवल 60 आर एंड डी परियोजनायें पूरी की

सी एस आई आर के जुलाई 1992 में जारी किये गये अनुदेशों में यह व्यवस्था थी, कि स्टाफ के सदस्यों को परामर्शी कार्यों से प्राप्त वित्तीय लाभ के कारण आर एंड डी तथा अन्य परामर्शी गतिविधियों से ध्यान नहीं हटाना चाहिये। अनुसंधान परिषद् का आर एंड डी कार्यविधियों, परामर्शी तथा प्रौद्योगिकी सेवाओं पर लगायी जाने वाली जन-शक्ति तथा अन्य संसाधनों में, उचित संतुलन बनाये-रखने का फैसला करना था। परन्तु संस्थान ने अपने अनुसंधान-विकास के कार्य में किसी तरह की बाधा डाले बिना कभी भी अनुसंधान केन्द्र को परामर्शी में लगाई गई जनशक्ति की सही मात्रा/संख्या प्रस्तुत नहीं की। अतः, तैनात जनशक्ति की संख्या और परामर्शी परियोजना में उपयोग किए गए श्रम दिनों के विशिष्ट आकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा अन्य आर एंड डी परियोजनाओं के साथ तुलना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि 1994-99 के दौरान जब सी एम आर आई ने केवल 60 घरेलू तथा अनुदान परियोजनाओं को पूरा किया और 634 परामर्शी परियोजनायें भी पूरी की जिसके लिए सी एम आर आई ने अर्जित 444.94 लाख रू. में से, स्टाफ के सदस्यों के वित्तीय लाभ के रूप में 278.80 लाख रू. का मानदेय वितरित किया।

परामर्शी परियोजनाओं से वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त मानदेय की विस्तृत परीक्षा से पता लगा कि 1994-99 के दौरान कई वैज्ञानिकों को अपने कुल वेतन का 158 प्रतिशत मानदेय प्राप्त हुआ। इस अवधि में किसी विशेष वर्ष में 110 अवसरों पर 56 वैज्ञानिकों को 25 प्रतिशत से अधिक मानदेय मिला। 1998-99 के दौरान निदेशक को 5.82 लाख रू का मानदेय मिला जो किसी एक वर्ष में किसी एक को दिया गया अधिकतम मानदेय था, जबकि कुल परिलब्धियां केवल 3.69 लाख रू थी। पांच वर्ष के 1994-99, निदेशक ने अपने 11.52 लाख के कुल वेतन के विपरीत 12.41 लाख रू का मानदेय प्राप्त किया। कुल वेतन और कुल मानदेय की गणना करते हुए 22 वैज्ञानिकों ने पांच वर्षों के दौरान अपने वेतन से 25 प्रतिशत अधिक प्राप्त मानदेय कुल वेतन के 25.73 प्रतिशत से 107.75 प्रतिशत के बीच रहा। कुछ ऐसे मामले जिनमें बहुत अधिक मानदेय का भुगतान हुआ था परिशिष्ट VIII में दिये गए हैं।

जिस समय के लिए वैज्ञानिकों को घरेलू, सहायता अनुदान, प्रायोजित तथा परामर्शी परियोजनाओं पर लगाया गया था वह जिस सीमा तक प्रत्येक वर्ग की परियोजना पर वैज्ञानिकों को लगया गया था वह निर्धारणीय नहीं था उस सीमा तक बजटीकृत और लेखांकित नहीं किया गया था।



सी एस आई आर के स्पष्ट मार्गदर्शन के अनुसार, अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन के बिना बहुत सी परामर्शी परियोजनाओं का लेना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जनशक्ति के प्रभावी उपयोग में अहितकारी हो सकता है।

### 3.3.5 वित्तीय प्रबंधन

सी एम आर आई का वित्तपोषण मुख्यतः सी एस आई आर द्वारा प्रदत्त निधि से होता है। सी एम आर आई को प्रयोजकों और सहयोगियों से अंशदान और परामर्शी सेवाएं देने हेतु फीस के रूप में प्राप्त बाह्य रोकड़ प्रवाह प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्तकों को बौद्धिक सम्पदा प्रजनित/अन्तरित हेतु रॉयल्टी एवं प्रीमियम भी प्राप्त होता है। सी एम आर आई द्वारा वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान प्राप्ति और खर्च निम्नानुसार था:

(रु लाखों में)

वर्ष	सी एस आर आई से प्राप्त फंड	अन्य प्राप्तियां <sup>#</sup>	कुल प्राप्तियां	खर्च		कुल खर्च
				पूँजी	व्यय	
1994-95	649.090	642.340	1291.430	115.266	1066.206	1181.472
1995-96	779.024	503.176	1282.200	170.423	1056.415	1226.838
1996-97	793.920	591.871	1385.791	135.939	1009.739	1145.678
1997-98	1036.460	783.301	1891.761	308.049	1261.830	1569.879
1998-99	1184.388	1367.370	2551.758	204.028	1373.511	1577.539
कुल	4442.882	3888.058	8330.940	933.705	5767.701	6701.406

<sup>#</sup> अन्य प्राप्तियों में सहायता अनुदान परियोजनाओं, प्रायोजित परियोजनाओं, सहयोगी परियोजनाओं, प्रयोगशाला अरिश्चित तथा परामर्शी सेवाओं से हुई प्राप्तियां शामिल हैं।

आबंटित बजट से अधिक खर्च किया गया

1994-95 से 1997-98 के दौरान, आकस्मिक व्यय, रखरखाव और रसायन शीर्षों के अंतर्गत 565.71 लाख रु. के आबंटित बजट के विपरीत, सी एम आर आई ने 864.28 लाख रु. का खर्चा किया जो कि आबंटित बजट से 298.63 लाख रु. अधिक है। वर्ष 1997-98 के दौरान, 'उपकरण और उपस्कर' शीर्ष के अंतर्गत 18.22 लाख रु. आबंटित बजट के विपरीत, 122.74 लाख रु. खर्च किए गए। इससे नतीजा यह निकला कि उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत आबंटित राशि के विपरीत 104.52 लाख रु. का अतिरिक्त खर्चा हुआ। फरवरी 1999 में निदेशक, सी एम आर आई से पूछताछ की गई कि आबंटित फंड से अधिक धन राशि का खर्च किन परिस्थितियों में किया गया और वह राशि किन साधनों से प्राप्त की गई थी। सी एस आर आई ने बताया कि अतिरिक्त खर्च सी एस आई आर के अनुदेशों के अनुसार एल आर एफ से किया गया।

परियोजना निधि से प्रयोगशाला आरक्षित निधि को निधि का विपथन

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रयोगशाला आरक्षित खाते में क्रेडिट हुई राशि से क्रमशः 34.22 लाख रु. 44.27 लाख और 33.95 लाख रु. अधिक खर्चा हुआ जो परियोजना निधि से विकसित हुआ था। सी एम आर आई ने जून 1999

में स्वीकार किया कि उसने अतिआवश्यक प्रकार के खर्च करने के लिए परियोजना लेखों से फंड का विपथन किया था। इससे गैर जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन जाहिर होता है क्योंकि परियोजना फंड लेखों से ऐसा विपथन अनियमित था और परियोजनाओं के लिए अनुदान की शर्तों को पूरा नहीं करता।

### 3.3.6 पेटेन्ट और प्रकाशन

वैज्ञानिक अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत क्षमता का सूचक पंजीकृत पेटेन्ट और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित पेपरों की संख्या है। जहां तक सी एम आर आई का संबंध है, स्थिति का सारांश निम्नवत् है:

#### (i) पेटेन्ट

पूरी हुई 244 परियोजनाओं में से सी एम आर आई द्वारा केवल 40 पेटेन्ट फाइल किये गये और 1994-99 के दौरान कोई भी पंजीकृत नहीं हुआ

यह देखा गया था कि 1994-99 के दौरान पूरी की गई विभिन्न प्रकार की 244 परियोजनायें जिनकी लागत 6701.41 लाख रु. थीं में से, सी एम आर आई ने जिन 40 पेटेन्टों के लिए आवेदन पत्र फाइल किए थे उनमें से कोई भी पेटेन्ट पंजीकृत नहीं हुआ था।

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
(क) फाइल किए गए पेटेन्ट	10	11	5	4	10	40
(ख) उपरोक्त (क) में से पंजीकृत पेटेन्ट	-	-	-	-	-	-

पेटेन्टों के पंजीकरण पर अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में, सी एम आर आई ने नवम्बर 1999 में बताया कि पेटेन्टों के पंजीकरण की मॉनीटरिंग सी एस आई आर द्वारा की गई थी इसलिए उनके द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।

महानिदेशक सी एस आई आर ने फरवरी 2000 में कहा कि भारतीय एकस्व कार्यालय एकस्व के अनुदान में छः से सात साल ले लेंगे क्योंकि एकस्व कार्यालय के पास केवल 30 एकस्व परीक्षक हैं और उनके पास काफी मात्रा में अनिर्णित/रुके हुए आवेदन हैं। जबकि तथ्य यह है कि 1994-99 के दौरान कोई भी एकस्व पंजीकृत नहीं हुआ था।

#### (ii) प्रकाशन

सर्वश्रेष्ठ उल्लेखनीय पत्रिकाओं में पेपरों का प्रकाशन संस्थान के निष्पादन का मूल्यांकन सी एस आर आई द्वारा निर्धारित मापदंड है जिसकी जांच से पता चला कि 1994-95 से 1997-98 के दौरान वैज्ञानिक पत्रिकाओं में अनुसंधान प्रकाशनों की स्थिति में गिरावट आई जबकि वैज्ञानिकों की संख्या लगभग वही थी। जैसा कि नीचे दी गई सारणी से पता चलता है:

		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
प्रकाशित अनुसंधान पेपर	भारतीय	21	17	19	13
	विदेशी	18	18	14	11
	कुल	39	35	33	24
उपलब्ध वैज्ञानिक		130	130	133	135

### 3.3.7 मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निदेशानुसार, उस के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में एक परियोजना मॉनीटरिंग और मूल्यांकन (पी एम ई) कक्ष की स्थापना करने की आवश्यकता थी ताकि नियमित अंतराल पर चालू परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन किया जा सके। परियोजना का बजट बनाने, लागत निर्धारण करने तथा प्रत्येक परियोजना का परियोजना फोल्डर बनाने और प्रत्येक घरेलू परियोजना पर किए गए प्रगामी व्यय का विवरण प्रस्तुत किए जाने का दायित्व भी इसी कक्ष का था। पी एम ई कक्ष ने परियोजनावार अनुमान तैयार किया परन्तु इसने परियोजनावार लेखे तैयार नहीं किये। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक घरेलू परियोजना पर अनुमानित लागत के समक्ष किया गया वास्तविक खर्च निश्चित नहीं किया जा सका। सी एस आर आई ने तथ्यों को स्वीकाराते हुए जनवरी 2000 में बताया कि घरेलू परियोजनाओं के लिए परियोजनावार लेखा वर्ष 2000-2001 से रखा जायेगा।

घरेलू परियोजनाएँ  
अनुसंधान परिषद् के  
मूल्यांकन के अधीन नहीं  
थी

1994-99 के बीच अनुसंधान परिषद् की हुई 9 मीटिंगों के कार्यवृत्त की नमूना जांच से यह पता चला कि एक बार को छोड़कर अनुसंधान परिषद् द्वारा घरेलू परियोजनाओं की परियोजना समीक्षा और मूल्यांकन नहीं किये गये। सी एस आर आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि परियोजनाओं की प्रस्तुती अनुसंधान परिषद् की इच्छा पर निर्भर करती है। तथापि, यथा परिकल्पित अनुसंधान परिषद की भूमिका अधिक विस्तृत है तथा चालू परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा आवश्यक है ताकि प्रभावी मॉनीटरिंग की सुविधा हो।

### 3.3.8 खरीद प्रबंधन

संभवित प्रयोग निश्चित  
किए बिना ही अगस्त 1996  
में कम्प्यूटर सिस्टम खरीद  
लिया गया

(क) सी एम आर आई ने मार्च 1996 में एच सी एल एच पी को अनुसंधान-विकास में केन्द्रीकृत कम्प्यूटर सुविधाप्रदान करने के लिए 29.68 लाख रु. की लागत के एक कम्प्यूटर सिस्टम की आपूर्ति का आदेश दिया। कम्प्यूटर सिस्टम में एक अनुरूप रंगीन ग्राफिक टर्मिनल 'वी टी -340' सम्मिलित था जिसकी लागत 1.20 लाख रु. थी। संस्थान ने सिस्टम के लिए आर्डर देने से पहले यह पता नहीं लगाया कि क्या कुछ समय तक इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग की संभावना है। सी एम आर आई

ने मार्च 1996, में आपूर्तिकर्ता को 26.71 लाख रू. की अग्रिम अदायगी की जो कि कुल लागत का 90 प्रतिशत था। इस सिस्टम की आपूर्ति मई 1996 तक की जानी थी।

आपूर्तिकर्ता ने आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के बाद, संस्थान को उच्चतम समाधान देने के आधार पर विनिर्देशन में कई तरह के संशोधन किये जाने की मांग की। इस स्थिति में भी, संस्थान ने निकट भविष्य में प्रत्याशित नई प्रौद्योगिकी की संभावना की जांच किये बिना ही मौलिक विनिर्देशन में आपूर्तिकर्ता द्वारा मांग किए गए संशोधनों को जारी कर दिया। अगस्त 1996 में आपूर्ति की प्राप्ति हुई। विनिर्माता के बताने पर कि 'वी टी-340' टर्मिनल खराब हो गए हैं, संस्थान ने अक्टूबर 1996 में आपूर्तिकर्ता के साथ इस मामले को उठाया और बताया कि संस्थान आपूर्ति किए गए टर्मिनल को सिद्धान्त रूप से स्वीकार नहीं करेगा और उसी उत्पादन क्रम के अगले उत्पाद अथवा उसी के स्थान पर उसी क्षमता के किसी अन्य उत्पाद की मांग की। तथापि, आपूर्तिकर्ता ने पहले आपूर्ति आदेश के आधार पर आपूर्ति किये गए 'वी टी-340' के स्थान पर किसी दूसरे को देने से इंकार कर दिया। तथापि, आपूर्तिकर्ता ने वारंटी की अवधि छः महीने तक बढ़ा दी और रखरखाव सहायता देने का उत्तरदायित्व लिया। सी एम आर आई ने न तो बढ़ाई गई वारंटी को स्वीकार किया और न ही भुगतान देकर 'वी टी-340' को बदलने का प्रबंध किया। इसके परिणामस्वरूप, जून 1999 तक कम्प्यूटर सिस्टम प्रतिस्थापित नहीं हुआ। सी एम आर आई ने कम्प्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आपूर्तिकर्ता से किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण भी नहीं दिलवाया था। इसी बीच, सी एम आर आई ने अप्रैल 1997 में फर्म द्वारा दी गई प्रतिज्ञावद्धता के आधार पर कि वे प्रतिस्थापना और प्रशिक्षण के मामलों का समाधान करेंगे, कम्प्यूटर सिस्टम को प्रतिस्थापित और चालू किये बिना ही बाकी 10 प्रतिशत 2.97 लाख रू. की राशि की अदायगी कर दी। फरवरी 1998 में बढ़ी हुई वारंटी की अवधि भी समाप्त हो गई। इस प्रकार, कम्प्यूटर प्रणाली जिस पर 29.68 लाख रू. खर्च किये गये थे बेकार पड़ा रहा और जिस उद्देश्य से वह खरीदा गया था, वह भी समाप्त हो गया। इस के अलावा, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव आने के कारण कम्प्यूटर सिस्टम जल्दी ही पुराना हो जाता है।

मोटर बोट जो कि अप्रैल 1995 में खरीदी गई थी, जून 1999 तक भंडार में पड़ी रही।

(ख) सी एम आर आई ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सहायता अनुदान परियोजना जिसका शीर्षक "दामोदर नदी बेसिन की वाहक क्षमता" के लिये नवम्बर 1994 में एक फर्म को 2.58 लाख रू. की लागत की मोटर बोट आपूर्ति का एक क़य आर्डर दिया। बोट को दामोदर बेसिन में विभिन्न जल निकायों से जल के नमूनों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाना था। जनवरी 1995 में, आपूर्तिकर्ता को 1.23 लाख रू. की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। सी एम आर आई ने अप्रैल 1995 में बोट (नाव) प्राप्त किया और बाकी 1.35 लाख रू. की राशि का भुगतान कर दिया। भारतीय जल परिवहन के नियम और विनियम के अनुसार, नाव को प्रयोग में लाने से पहले उसे पंजीकृत करवाना जरूरी था। आई डबल्यू टी

न केवल उन्हीं नावों को पंजीकृत करता है जो उसके निर्माण एवं स्थिरता के लिये निर्धारित आधार को पूरा करती है। तथापि, संस्थान ने आर्डर देने से पहले आई डब्ल्यू टी के पूर्व निर्धारित प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण, उनका अनुसरण नहीं किया। नतीजे के तौर पर, नाव का पंजीकृत नहीं किया जा सका और नाव जनवरी 2000 तक संस्थान के स्टोर विभाग में पड़ी थी। इसी बीच, परियोजना जिसके लिए नाव को खरीदा गया था, मई 1997 में पूरी हो गई।

सी एम आर आई ने अप्रैल 1999 में बताया कि दामोदर घाटी निगम में उपलब्ध उपयोगी सुविधाओं द्वारा परियोजना पूरी हो गई थी।

इस प्रकार, सी एम आर आई ने बिना आवश्यकता के 2.58 लाख रू. की लागत की नाव खरीदी क्योंकि परियोजना बिना उसके प्रयोग के ही पूरी हो गई। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि नाव के पंजीकरण के लिए कोशिश जारी थी और वह अन्य परियोजनाओं में प्रयोग की जाएगी। जवाब को इन तथ्यों की रोशनी में देखना उस पर विचार किया जाना था कि सी एम आर आई इसके खरीदने के साढ़े चार साल के बाद भी इसका पंजीकरण नहीं करा पाया। इसके अतिरिक्त, सी एम आर आई के पास कोई अन्य परियोजना नहीं थी जहाँ इस नाव को पंजीकृत होने के बाद उपयोग में लाया जा सकता था।

(ग) सी एम आर आई ने जनवरी 1993 में मैसर्ज एडवांस्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड बम्बई को पर्यावरण के क्षेत्र में विश्लेषण के लिए आधारभूत सुविधा प्रदान के लिए सूक्ष्मतरंग पाचन प्रणाली की आपूर्ति के लिए 3.36 लाख रू. की लागत का क्रय आदेश दिया। क्रय आर्डर की शर्तों एवं उपबंधों में पूर्व निरीक्षण की कोई धारा नहीं थी और न ही दोषपूर्ण उपकरण की प्राप्ति पर कोई जुर्माना प्रस्तावित किया गया। क्रय आर्डर के अनुसार, सी एम आर आई को एल सी के द्वारा भुगतान करना था। किन्तु सी एम आर आई ने उपरोक्त शर्तों की उपेक्षा करते हुए बिना स्टोर को प्राप्त किए ही मार्च 1993 में 3.18 लाख रू. फर्म को दिये। अगस्त 1993 में उपकरण क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुआ। आपूर्तिकर्ता ने मार्च 1994 में सी एम आर आई के कहने पर कहा कि वे उपकरण को उनके कारखाने में मरम्मत हेतु भेज दे। उपकरण को आपूर्तिकर्ता के पास जल्दी भिजवाने के बजाए सी एम आर आई ने एक साल से ज्यादा समय लगा दिया और अंत में अप्रैल 1995 में भेज दिया। देरी के कारणों को रिकार्ड नहीं किया गया। संस्थान ने फरवरी 1999 तक आपूर्तिकर्ता से इस मामले को नहीं उठाया। सितम्बर 1999 में, आपूर्तिकर्ता ने उपकरण को असंशोधनीय घोषित कर दिया क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका था और उसके अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध नहीं थे।

आधारभूत सुविधा देने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी

इस प्रकार, संस्था को 3.18 लाख रू खर्च करने के बाद भी एम डी एस का अभीष्ट लाभ प्राप्त न हो सका। सी एस आर आई ने जनवरी 2000 में बताया कि मामले को आपूर्तिकर्ता के साथ दोबारा उठाया गया था।

### 3.3.9 भंडारों का लेखांकन

55.34 लाख रू. की लागत का भंडार, स्टॉक में दर्ज नहीं हुआ

पिछले एक से पांच सालों में 1993-98 के दौरान खरीदे गये 55.34 लाख रू. की लागत की 12 विभिन्न स्टोर की मदों को परिसम्पत्ति रजिस्टर में नहीं दर्ज किया गया जिसका अर्थ यह है कि सी एम आर आई ने अक्टूबर 1999 तक खरीदी गई परिसम्पत्तियों को लेखा से बाहर रखा। सी एम आर आई ने नवम्बर 1999 में बताया कि संबंधित मांगकर्ता से अनुमति प्राप्त न होने के कारण मदों की गणना नहीं की जा सकी थी। सी एस आई आर ने जनवरी 2000 में बताया कि इन मदों की गणना पहले ही परिसम्पत्ति रजिस्टर में कर ली गई थी। तथापि, तथ्य यही है कि एक से पांच वर्ष तक की मदों को अभी भी लेखांकित किया जाना है।

### 3.3.10 जनशक्ति विश्लेषण

प्रत्येक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न श्रेणियों की संस्वीकृत जनशक्ति और कार्यरत जनशक्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ग										
	31.3.1995		31.3.1996		31.3.1997		31.3.1998		31.3.1999	
	स.सं.	का.सं.	स.सं.	का.सं.	स.सं.	का.सं.	स.सं.	का.सं.	स.सं.	का.सं.
वैज्ञानिक	190	130	190	130	171	133	171	135	171	131
तकनीकी	130	121	130	115	117	110	117	97	117	86
सहायक	131	134	131	134	121	127	120	113	120	115
प्रशासनिक	111	92	122	102	122	100	131	98	133	108

स.सं. - संस्वीकृत संख्या

का.सं. - कार्यरत संख्या

दिसम्बर 1986 में सी एस आई आर के अध्यक्ष द्वारा सी एस आई आर और उसकी प्रयोगशालाओं की समीक्षा के लिए समीक्षा कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी ने सिफारिश की कि वैज्ञानिक से गैर-वैज्ञानिक स्टाफ का औसत 1:1.5 होनी चाहिए थी। सी एम आर आई के बारे में, वैज्ञानिकों की औसत गैर-वैज्ञानिक स्टाफ से थोड़ा सा अधिक 1:2 था वैज्ञानिक कार्मिकों की कमी 21.05 प्रतिशत से 31.58 प्रतिशत तक के बीच रही।

### 3.4 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में देरी के कारण परिहार्य व्यय

कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में देरी के कारण लागत अतिक्रमण तथा पट्टे पर आवास के किराये पर 24.49 लाख रू का परिहार्य व्यय किया। इसके अतिरिक्त, 42.02 लाख रू कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अदा किया गया।

कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक घटक इकाई ने 3.39 करोड़ रू की लागत पर 156 स्टाफ क्वार्टरों तथा वैज्ञानिक अपार्टमेंट के निर्माण के लिए सितम्बर 1994 में एक ठेकेदार को एक कार्य आदेश दिया। ठेकेदार को निर्माण कार्य सितम्बर 1996 तक पूरा करना था।

कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र ठेकेदार को ले आउट प्लान और फाउन्डेशन प्लान की आपूर्ति समय पर करने में विफल रहा। यह प्लान क्रमशः जनवरी 1995 और अप्रैल 1995 के दिए गए, यद्यपि, 1989 में आर्किटेक्ट की नियुक्ति की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, कार्य शुरू करने में विलम्ब हुआ। परिणामतः, कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र को बार-बार ठेकेदार का जनवरी 1999 तक का समय बढ़ाना पड़ा था। कार्य का सिविल भाग जनवरी 1999 में पूरा हुआ था परन्तु सड़के, ड्रेनेज सिस्टम, रोड़ प्रकाश आदि वाह्य कार्य अगस्त 1999 तक भी नहीं पूरा हुआ था। इस देरी के परिणामस्वरूप, कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र ने लागत वृद्धि पर 3.58 लाख रू व्यय किया। इस केन्द्र ने 1997-99 के दौरान स्टाफ के लिए पट्टे पर टाईप 1 से VI श्रेणी के 24 फ्लैट किराये पर लेने पर 20.91 लाख रू का खर्च किया। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 1996 से नवम्बर 1999 तक कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते पर 42.02 लाख रू का खर्च हुआ।

कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र को निदेशक ने जुलाई 1999 में बताया कि आर्किटेक्ट ने अपनी विशिष्टियों में विभिन्न अग्राह्य और अति मंहगी मदों को भी शामिल किया जो विभाग को स्वीकार्य नहीं थे। इस केन्द्र ने आगे बताया कि आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत पाँच युनिट प्रति ब्लाक के निर्माण डिजाइन को संशोधित करके छः युनिट प्रति ब्लाक कर दिया गया जिसके कारण देरी हुई। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उपर्युक्त तथ्यों के अपने जनवरी 2000 के उत्तर में स्वीकार किया। कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र के निदेशक का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि इस कार्य के लिए आर्किटेक्ट 1989 में नियुक्त किया गया था अर्थात् कार्य अवार्ड किये जाने के पांच वर्ष पूर्व और इन समस्याओं का समाधान कार्य अवार्ड किये जाने के पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए था।

ले आउट प्लान और डिजाइन परिवर्तन की आपूर्ति में विफलता के कारण कार्य के निष्पादन में देरी हुई

सी सी एम बी ने 66.51 लाख रू का परिहार्य व्यय किया।

क्वार्टरों के निर्माण और अन्य सेवाओं में देरी के कारण लागत वृद्धि, पट्टे पर लिये गये आवास और अनावश्यक मकान किराया भत्ते पर 66.51 लाख रू का परिहार्य व्यय हुआ।

### 3.5 एक वाणिज्यिक संगठन को अदेय लाभ

राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से वसूली योग्य बौद्धिक शुल्क छोड़ दिए जाने के परिणामस्वरूप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अदेय लाभ और 2.30 करोड़ रू की राजस्व हानि हुई।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जारी मार्ग निदेशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, विशिष्ट उद्देश्यों वाली तथा सुपरिभाषित आशानुकूल परिणाम वाली परियोजना का समापन सामान्य तौर पर बौद्धिक सम्पदा में होता है जिनको प्रायोजित परियोजना की श्रेणी में रखा जाता है। उपरोक्त मार्गदर्शनों के अनुसार, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रत्येक परियोजना को कुल खर्च का न्यूनतम 33.3 प्रतिशत बौद्धिक शुल्क प्रभारित करना था और उसे परियोजना प्रभारों में शामिल करना था। बौद्धिक शुल्क, केवल वाणिज्यिक रूप से बौद्धिक सम्पदा का प्रजनन न करने वाली सहायता अनुदान परियोजनाओं के मामले में छोड़ी जा सकती थी।

एन जी आर आई ने प्रायोजित परियोजना के अधीन प्रभारणीय बौद्धिक शुल्क वसूल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना से 2.30 करोड़ रू कम प्रभारित किया गया

राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक संघटक इकाई ने "सौराष्ट्र में एकीकृत भूभौतिकी सर्वेक्षण" परियोजना को 6.90 करोड़ रू की लागत से अक्टूबर 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्थान पर शुरू किया। परियोजना के उद्देश्य थे—सौराष्ट्र प्रायद्वीप में हाइड्रोकार्बन संभावनाओं के लिए अधिक समन्वेषी युक्त के लिए भूगर्भीय संरचना और टेपी पूर्व तलछटी चट्टानों की स्थूलता का निर्धारण। क्योंकि यह परियोजना तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित थी और इसका हाइड्रोकार्बन संभावनाओं के लिये आंकड़े संग्रह के शब्दों में स्पष्ट रूप से वाणिज्य योग्य उद्देश्य था और परियोजना के परिणामों का वाणिज्य समुपयोजन था, इसका वर्गीकरण एक प्रायोजित परियोजना के रूप में किया गया। अतः राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने अपने लेखों में इसको प्रायोजित परियोजना वर्गीकृत किया। इसलिए परियोजना के कुल लागत के 33.3 प्रतिशत की दर से 2.30 करोड़ रू का बौद्धिक शुल्क प्रभावित करना था, फिर भी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने परियोजना पर 6.90 करोड़ रू की राशि वसूल की जिसमें बौद्धिक शुल्क सम्मिलित नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप 2.30 करोड़ रू की कम वसूली हुई।



वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 1999 में सूचित किया कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया कार्य और उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा उत्पादन में परिणित नहीं हुआ अतः परियोजना का वर्गीकरण सहायता अनुदान परियोजना के रूप में कर दिया गया।

वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद का तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्रायोजक के रूप में) के विशेष आग्रह पर हाथ में ली गई परियोजना बौद्धिक शुल्क की ओर आकर्षित करती है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भी इसको अपने लेखों में एक प्रायोजित परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान ने स्वयं भी सहायता अनुसंधान परियोजनाओं को परिभाषित किया है कि वे परियोजनाएं जिनके लिए प्रयोगशाला सरकारी विभागों/ एंजिनियर्स से सहायता अनुदान के अनुरोध करती है। क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक वाणिज्यिक संस्थान का उद्देश्य आकंडो तथा उनके परिणामों का वाणिज्यिक संदोहन स्पष्ट था, जैसा कि किये गये करार में भी स्पष्ट है, बौद्धिक शुल्क का परित्याग न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान द्वारा 2.30 करोड़ रु० का बौद्धिक शुल्क परियोजना लागत में सम्मिलित न करके तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अनुचित लाभ दिया।

### 3.6 उपकरण की विवेकहीन खरीद

एक परियोजना, फरवरी 1992 में 18.19 लाख रु की लागत से विशेष रूप से आयातित उपस्कर के चालू हुए बिना दिसम्बर 1993 पूरी की गई थी।

राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर ने फरवरी 1992 में एक जर्मन विनिर्माता से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा प्रायोजित "टंगस्ट अयस्क का रसायनिक लाभ एवं पूर्व-सांद्रस" परियोजना के लिए 50 लीटर का 18.19 लाख रु लागत का आटोक्लेब आयात किया, आटोक्लेब को वांछित कार्यशील तापमान तक गर्म करने हेतु एक स्वचालित तापमान नियंत्रण उपकरण की आवश्यकता थी, तथापि, राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला ने आटोक्लेब के साथ इसकी अधिप्राप्ति हेतु कोई योजना नहीं बनाई।

यद्यपि, जुलाई 1993 में उपकरण की प्राप्ति के 17 महीने बाद इसके लगाने हेतु स्थान तैयार था, इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला तब तक स्वचालित तापमान नियंत्रक उपकरण नहीं उपलब्ध करा सकी थी। चूँकि गर्म करने हेतु सिस्टम की उपलब्धि खरीद आदेश का भाग नहीं था, इसलिए फर्म का भारतीय एजेंट काफी प्रयासों के बाद इसे अगस्त 1994 में निशुल्क भेजने को तैयार

उपयुक्त हीटिंग सिस्टम के अभाव में यह उपस्कर अपनी प्राप्ति के ढाई वर्ष बाद प्रतिस्थापित हुआ

हुआ। अगस्त 1994 में उपकरण के चालू करने के दौरान यह पाया गया कि भारतीय एजेंट द्वारा भेजा गया ऊष्मा प्रदान करने वाला सिस्टम उपकरण से मेल नहीं खाता और 300° से० की आवश्यकता के विपरीत यह केवल 240° से० तापमान तक गर्म किया जा सका।

उपकरण के प्रतिस्थापना से पूर्व ही परियोजना पूर्ण हो गयी

इस दौरान, उपकरण के अगस्त 1994 में प्रतिस्थापित होने से पहले ही राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला ने उस परियोजना को जिसके लिए इसका आयात किया गया था यह परियोजना उपस्कर के चालू होने से पहले ही पूरी हो गई थी प्राजेक्ट को दिसम्बर 1993 में पूरा कर लिया। राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला ने मई 1999 में बताया कि उनके पास उपलब्ध दो लीटर तथा 20 लीटर आटोकलेब पर प्रयोग करके परियोजना का उद्देश्य पूरा कर लिया गया था। आगे बताया कि परियोजना के अंत में बड़े पैमाने पर प्रयोग हेतु 50 लीटर आटोकलेव की आवश्यकता थी लेकिन चूँकि बड़ी मात्रा में नमूना उपलब्ध नहीं था, बैच स्केल आकड़ों की पुष्टि करने के लिए कुछ प्रयोग 50 लीटर आटोकलेव में किये गए। इसका जवाब आधारभूत वास्तविकता पर आधारित नहीं था क्योंकि परियोजना दिसम्बर 1993 में पूरी हो गई थी जबकि 50 लीटर आटोकलेव को चालू करने की चेष्टा अगस्त 1994 में की गई थी।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने नवम्बर 1999 में बताया कि उपकरण को अगस्त 1994 में चालू किया गया था और जून 1995 से दिसम्बर 1995 के दौरान कुछ बड़े पैमाने के परीक्षण किए गये थे। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का जवाब इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए था कि जिस परियोजना के लिए उपकरण विशेष रूप से खरीदा गया था, जो कि पहले ही दिसम्बर 1993 में उसमें प्रतिस्थापित होने से पहले ही पूरी की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, हीटिंग की आवश्यकता की पर्याप्तता पर उपस्कर के साथ उपयुक्त हीटिंग सिस्टम की खरीद की योजना बनाने में विफलता के औचित्य पर कार्य के बाद में दृष्टि में आया था, तथा इसे एक समझौते के रूप में देखा जाना चाहिए।

### 3.7 ठेके के कर्मचारियों का अनियमित नियोजन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा ठेके के कर्मचारियों का नियोजन पर लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने अक्टूबर 1997 से मार्च 1999 के दौरान 110 ठेका कर्मचारियों का नियोजन किया।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मार्च 1990 में जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी आकस्मिक/दैनिक वेतन/ठेके के मजदूर की प्रयोगशालाओं में नियुक्ति नहीं की जा सकती थी जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो कि ऐसे

व्यक्तियों को किसी विशेष समयबद्ध कार्य या प्रायोजित परियोजना का निष्पादन करना हो, ऐसे मामलों में उनकी नियुक्ति सम्बन्धित कार्य के पूरे होने के साथ समाप्त मानी जायेगी और यह सी. एस. आई. आर. के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

आई आई पी के निदेशक ने परियोजना से सीधा सम्बन्ध न रखने वाली सामान्य सेवाओं के लिए ठेके के कर्मियों का उपयोग किया

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वर्ष मार्च 1997 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 2.1 "जनशक्ति लेखापरीक्षा" में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा ध्यान दिलाया गया था, जहाँ इस बात का उल्लेख किया गया कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने ठेकेदार द्वारा 116 व्यक्तियों को काम पर लगाया और उनमें रोजमर्रा के ऐसे काम जैसे टंकण, कम्प्यूटर चालन, फोटोकॉपी मशीन चालन आदि काम कराये, तथापि, इस मुद्दे पर पहले जोर देने के बावजूद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने अक्टूबर 1997 में प्रत्येक प्रायोजित परियोजना में कुल निर्धारित आकस्मिकताओं का 20 प्रतिशत तथा परियोजनाओं से सीधा संबन्ध न रखने वाली कुछ सामान्य सेवाओं के लिए ठेके के कर्मियों के नियोजन के लिए तथा ऊपरी खर्चों के लिए निर्धारित परियोजना का 10 प्रतिशत का उपयोग करने का फैसला किया।

तदनुसार, ठेके पर कर्मचारियों को लगाने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 20 प्रायोजित परियोजनाओं के आकस्मिक लेखों से 14.58 लाख रू तथा प्रयोगशाला आरक्षित निधि से 7.69 लाख रू अन्तरित किये, अक्टूबर 1997 से मार्च 1999 के दौरान आई आई पी ने 110 ठेके के कर्मचारियों को काम पर लगाया, जिनमें से 37 लोग नियमित कर्मचारियों के रिश्तेदार निकले। अक्टूबर 1997 से मार्च 1999 के दौरान, आई आई पी ने वेतन के रूप में ठेके के कर्मचारियों को 29.57 लाख रू अदा किया। मार्च 1998 में तथा सितम्बर 1998 में आई. आई. पी. के प्रशासनिक अधिकारी ने जानबूझ कर सी. एस. आई. आर. को गलत सूचना दी कि उन्होंने किसी भी दिहाड़ी/ठेका के कर्मचारी को काम पर नहीं लगाया।

अतः आई आई पी के निदेशक ने इस तरह जानबूझ कर सी एस आई आर के निर्देशों का उल्लंघन किया तथा इस से संबन्धित सूचना को रोक कर रखा और 29.57 लाख रू का अनाधिकृत व्यय किया।

इस मामले को अगस्त 1999 में विभाग को भेजा गया था। जनवरी 2000 तक उन के उत्तर की प्रतीक्षा थी।

### 3.8 प्रशासनिक व्यय में अनुपयुक्तता

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने प्रशासनिक/स्थापना मामलों पर 24.70 लाख रू का अनुचित व्यय किया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा 1996-99 के दौरान किये गये प्रशासनिक व्यय में निम्नलिखित अनुपयुक्तता देखी गई थी:

अधिकारियों को एस टी डी/ आवासीय टेलीफोन सुविधा और मोबाइल पर 9.75 लाख रू का व्यय

(क) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक ने 18 गैर-हकदार अधिकारियों के निवास पर एस टी डी टेलिफोन सुविधा मंजूर की, जिनमें से दो तो आवासीय टेलिफोन सुविधा के हकदार भी नहीं थे। इसी प्रकार, उन्होंने दो मोबाइल फोन भी खरीदे, एक अपने प्रयोग के लिए दूसरा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के प्रयोग के लिए। 1996-99 के दौरान इन दोनों टेलिफोनों के कॉल प्रभारों पर कुल खर्च 9.75 लाख रू था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक के ऐसे टेलिफोन/ मोबाइल सुविधा गैर-हकदार अधिकारियों के मंजूर करने की शक्ति नहीं थी, और इसलिए किया गया खर्च अनियमित था।

अनुसंधान-विकास से संबन्ध न रखने वाले अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर 8.08 लाख रू का व्यय

(ख) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए अपने अनुसंधान-विकास कार्मिकों को भेजने के लिए विश्व बैंक से 50 लाख रू प्राप्त किए। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया था कि 1997-99 की अवधि के दौरान अनुसंधान-विकास से संबन्ध न रखने वाले 5 अधिकारियों को इस निधि के तहत विदेश भेजा गया और 8.08 लाख रू खर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अधिकारियों के भ्रमण के उच्च अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका था।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने एयर इन्डिया से 2.97 लाख रू की छूट का लाभ नहीं उठाया

(ग) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इस तथ्य के बावजूद कि एयर इन्डिया से सीधे टिकटों की बुकिंग पर 12 प्रतिशत की छूट उपलब्ध थी एजेन्टों के माध्यम से हवाई टिकट बुक करवाती थी। परिणामतः, जनवरी 1998 से मार्च 1999 के दौरान 2.97 लाख रू की छूट का लाभ नहीं उठाया गया था।

(घ) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने नवम्बर 1996 में 1000 क्विंटल लकड़ी के लठ्ठों की बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित की और 377 रू की दर को स्वीकार किया जिसे एक ठेकेदार ने 1000 क्विंटल लकड़ी के समूचे ढेर के लिए प्रस्तुत किया था। 485 क्विंटल लकड़ी उठाने के बाद, ठेकेदार ने सूचित किया कि शेष लकड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और संस्थान से निवेदन किया शेष लकड़ी एक मुश्त कीमत पर उठाने की अनुमति दी जाये। यद्यपि, ठेकेदार ने स्वयं ही 377 रू प्रति क्विंटल की दर से

लकड़ी उठाने की पेशकश की थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने शेष लकड़ी 140 रू प्रति क्विंटल की दर पर उठाने की अनुमति दी। शेष लकड़ी को ठेकेदार ने उठाया जिसके विपरीत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने केवल 265 रू प्रति क्विंटल का चालान जारी किया तथा शेष 250 क्विंटल की स्थिति का कोई रिकार्ड नहीं था। इस प्रकार, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को ठेकेदार द्वारा पेशकश की गई कुल 3.77 लाख रू की लागत के विपरीत केवल 2.19 लाख रू प्राप्त हुए थे। यदि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने ठेकेदार को उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा भुगतान प्राप्त करने के बाद लकड़ी उठाने की अनुमति दे दी होती तो 1.58 लाख रू की हानि टाल दी गई होती।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के प्रशासन नियंत्रक ने मई 1999 में बताया कि मामले की जांच की जा रही थी।

(ड.) 1997-98 के दौरान भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने अपने कर्मचारियों को 1994-96 वर्ष के लिए 37.16 लाख रू की वास्तविक वितरणीय राशि के विपरीत वौद्धिक शुल्क/रॉयल्टी के शेयर के वितरण पर 39.48 लाख रू का वितरण किया जिसका परिणाम 2.32 लाख रू के अधिक भुगतान में हुआ।

2.32 लाख रू का अधिक  
भुगतान

इस मामले पर विभाग को जुलाई 1999 में लिखा गया था, उसका उत्तर जनवरी 2000 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

## अध्याय 4 : गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

### 4.1 कचरा भस्मक तथा विद्युत प्रजनन संयंत्र

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा मार्च 1985 में प्रतिस्थापित कचरा भस्मक तथा विद्युत प्रजनन संयंत्र प्रतिस्थापन से ही अप्रचालित रहा। मंत्रालय अप्रचालित संयंत्र का उपयोग या निपटान करने में विफल रहा और संयंत्र के रखरखाव व बीमा पर 1.25 करोड़ ₹ खर्च कर दिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के लिए (1991 का संख्या 2) प्रतिवेदन-संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) के पैरा 2.1 में 20 करोड़ ₹ की लागत से आयोजित तिमारपुर दिल्ली में लगाये गये कचरा भस्मक तथा विद्युत प्रजनन संयंत्र के उपयोग में विफलता बताई गयी थी। जुलाई 1990 में कैबिनेट ने इस परियोजना को बंद कर देने का निर्णय लिया।

सितम्बर 1991 में कैबिनेट ने गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को संयंत्र के वैकल्पिक उपयोग का पता लगाने के निर्देश दिये

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने उपयोग न करने के कारण का आरोप दैनिक पूर्तिकार द्वारा प्रचालन के सफल प्रदर्शन की विफलता पर लगाया और मामले को मई 1991 में लंदन के एक मध्यस्थ अधिकरण को सौंप दिया। अधिकरण ने 1993 में अपना अधिनिर्णय आपूर्तिकार के पक्ष में दिया। इसी बीच, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को सितम्बर 1991 में संयंत्र के वैकल्पिक उपयोग की सम्भावना का पता लगाने के निर्देश दिये।

एक प्राइवेट उद्यमी, मैसर्स जेन ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड ने अपने खर्च पर अंदर जाने वाले कूड़े की छानबीन/प्रक्रिया द्वारा तथा संयंत्र के डिजाइन में आवश्यक संसोधनों के उपरान्त संयंत्र को पुनः प्रचालित करने की सहमति व्यक्त की। उद्यमी के साथ समझौता करने से पहले, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने नगर निगम दिल्ली द्वारा संयंत्र के स्थान पर मुफ्त कूड़ा-करकट की आपूर्ति और दिल्ली विद्युत बोर्ड से संयंत्र द्वारा प्रजनित विद्युत को खरीदने के सबन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व-प्रतिवद्धता लेनी आवश्यक समझी। संयंत्र को उद्यमी के सुपुर्द करने से पहले गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को उद्यमी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच करार होने में गतिरोध को सरल करना था।

➤ गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने अभी तक संयंत्र को चलाने के लिए उद्यमी की पहचान नहीं की है

संयंत्र के रखरखाव तथा बीमा पर 1.25 करोड़ रु का परिहार्य व्यय किया

गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विद्युत बोर्ड से समझौता नहीं कर सका। इसी बीच, निर्धारित उद्यमी द्वारा आर्थिक सहायता की मांग करने के कारण मंत्रालय ने उसके मामले पर आगे विचार करने से मना कर दिया। गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने फरवरी 1999 में ग्लोबल आधार पर संयंत्र को प्रचालित करने के लिए उद्यमियों को निर्धारित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का पुनः प्रयत्न किया। जुलाई 1999 तक अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था।

इसी दौरान, मार्च 1998 तक संयंत्र के रखरखाव पर एक करोड़ रु. खर्च हो चुका था। मार्च 1998 के बाद आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति लंबित होने के दौरान बन्द संयंत्र के रखरखाव के लिए धन देना बंद कर दिया। तथापि, मंत्रालय द्वारा जुलाई 1999 में बताया गया कि दिल्ली विद्युत बोर्ड अभी भी संयंत्र का रखरखाव कर रहा है और जुलाई 1999 तक इस के लिये दिल्ली विद्युत बोर्ड को 33 लाख रु देय हो गया था। इसके अतिरिक्त, गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने अधिकरण के 1993 के अधिनिर्णय के कारण बीमे के लिए 25.49 लाख रु का भुगतान किया।

उस संयंत्र के वैकल्पिक उपयोग या निपटान से सम्बन्धित ठोस कार्यवाही करने में पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय की स्पष्ट विफलता है। इस सौदे में दिल्ली विद्युत बोर्ड ने मार्च 1998 के बाद संयंत्र के रखरखाव के लिए 33 लाख रु की देयता के साथ-साथ 1.00 करोड़ रु रखरखाव और 25.49 लाख रु बीमा पर परिहार्य व्यय किया।

**अध्याय 5 : दूरसंचार विभाग  
(दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र)**

**5.1 योजना के परित्याग के कारण निष्फल व्यय**

दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र ने एक प्रौद्योगिकी विकसित की, जो लागू होने से पहले ही पुरानी हो गयी जिससे इस परियोजना पर 3.81 करोड़ रु का खर्च निष्फल हो गया।

इनसैट समन्वय समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त टेलीग्राफ सुविधायें रहने की आवश्यकता तथा महत्व की पहचान करते हुए, नवम्बर 1985 में सैटेलाइट आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क (एस वी आर टी एन) स्कीम को स्वीकृत किया जिसका निष्पादन दूरसंचार विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग को संयुक्त रूप से करना था और जिसमें भारतीय टेलीफोन उद्योग विनिर्माण एजेन्सी के रूप में था। इस स्कीम की परिकल्पना शिलांग के विद्यमान अर्थ स्टेशन के मास्टर स्टेशन के रूप में कार्य करने के साथ स्टार संरूप में नेटवर्क के रूप में की गई थी। पायलट परियोजना के दौरान, 30 महीनों की समय अवधि में, ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल कहे जाने वाले अर्थ टर्मिनल के साथ 50 ग्रामीण टेलीग्राफ कार्यालय खोले जाने थे।

2.20 करोड़ रु का 55  
ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल  
का क्रय आदेश भारतीय  
टेलीफोन उद्योग को दिया  
गया

दूरसंचार विभाग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आइ एस आर ओ) के बीच मई 1986 में समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुये। पूर्वोत्तर में सैटेलाइट आधारित ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क की पायलट परियोजना के आयोजन, समन्वय तथा कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संयुक्त रूप से उत्तरदायी थे। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र को कार्य संबंधी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र को संयुक्त रूप से रूपरेखा तथा सिस्टम इंजीनियरी का कार्य सौंपा गया था। दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीफोन उद्योग को नवम्बर 1988 में 4.00 लाख रु प्रति यूनिट लागत की दर से कुल 2.20 करोड़ रु लागत के 55 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल आपूर्ति करने का आदेश दिया जिसे बाद में उत्पादन माडल के अन्तर्गत 50 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल का 5.14 लाख रु प्रति यूनिट लागत की दर से संशोधित कर दिया। क्रय आदेश के अनुसार, पहले 5 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के बैच की आपूर्ति फरवरी 1988 तक की जानी थी और बकाया 50 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों की आपूर्ति दूरसंचार विभाग से अनुमति तथा फील्ड में सफल परीक्षण के उपरान्त की जानी थी।



पांच प्रोटोटाइप ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों के परीक्षण के बाद उत्पादन की अनुमति दी गई थी

जनवरी 1989 में आपूर्ति हुए 32 लाख रू के 5 प्रोटोटाइप ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल की रूपरेखा प्रमाणित करने तथा उत्पादन प्रतिसंभरण के लिए प्रतिस्थापित (शिलांग-तीन, अहमदाबाद-एक और बंगलौर-एक) होने के बाद फरवरी 1989 और अगस्त 1989 में उनका परीक्षण किया गया। सितम्बर 1989 में पायलट उत्पादन की अनुमति दी गयी थी।

ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया क्योंकि बेहतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी

तथापि, जनवरी 1990 में, पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल ने ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल का फैलाव आगे से बन्द करने की सूचना दी क्योंकि आवाज की सुविधा न होने के कारण यह प्रदेश की जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं थी। मई 1990 में सैटेलाइट आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क की समन्वय समिति की बैठक में फील्ड परीक्षण के लिए 3 प्रोटोटाइप ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के अतिरिक्त, 5 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों को प्रतिस्थापना करने का निर्णय लिया गया और दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र को ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के वाणी संचार के उन्नयन की दिशा में कार्य करना था। तथापि, सुदूर स्थलों में ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों की उपयुक्तता सम्बन्धित आशंका के बावजूद, सितम्बर 1991 में समन्वय समिति की बैठक में दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र द्वारा यह बताया गया कि उनमें वाणी सरकिट शामिल करना सम्भव नहीं था। ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल की उपयोगिता के सम्बन्ध में किन्हीं अपवाद के बावजूद, दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र ने उसके प्रचालन सम्बन्धी सभी पहलुओं का विश्लेषण होने तक ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के उत्पादन को कम करवाने या रूकवाने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किये। 50 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के आर्डर की आपूर्ति मार्च 1991 से जनवरी 1993 के दौरान चरणों में पूरी हो गयी थी और 0.52 लाख रू प्रति युनिट की दर से 50 एनटीनों की आपूर्ति जुलाई 1994 तक पूरी हो गई थी। नवम्बर 1988 और मई 1990 में 1.50 करोड़ रु के अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त, 1998-99 में दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र ने भारतीय टेलीफोन उद्योग को ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल की पूर्ति के निपटान हेतु 1.78 करोड़ रू का भुगतान किया। दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र द्वारा मई 1991 से फरवरी 1993 में ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के पुर्जों की खरीद के लिये भी 42.27 लाख रू खर्च किये गये।

उत्पादन क्रम में आपूर्ति हुए 50 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों में से, नवम्बर 1991 से जून 1992 में 5 पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थलों पर प्रतिस्थापित किये गये थे। पांच अन्य का विपथन करके नेटवर्क को मॉनीटर करने के लिए बंगलौर में तीन और दिल्ली अहमदाबाद में प्रत्येक जगह एक का प्रतिस्थापन किया गया। बकाया 40 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों में से, 35 केन्द्रीय भंडारागार निगम के गौहाटी के गोदाम में और बाकी शिलांग, दिल्ली और बंगलौर के भंडार में भंडारित किये गये। तथापि, अक्टूबर 1994 में दूरसंचार विभाग ने बकाया ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों को प्रतिस्थापित न करने का अंतिम निर्णय सूचित किया क्योंकि सैटेलाइट आधारित

ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले अधिकतर स्टेशनों को पहले ही बहु चैनल रेडियो सिस्टम के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया है। इसलिए सैटेलाइट आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क टर्मिनल, बहुत कम गति होने के कारण इन स्थानों पर उपयोगी नहीं थे। इसने दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र को इन सिस्टमों को अधिकतम फायदे पर निपटान करने को कहा। सब-सिस्टमों तथा पुर्जों का दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र की अन्य परियोजनाओं में उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए दिसम्बर 1998 में बनायी गयी एक समिति ने दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र की चल रही अन्य परियोजनाओं में प्रयोग के लिए कुछ कलपुर्जे अर्थात् एनटीना, एल एन ए, एस एस पी और ओस्सीलेटर जैसे कुछ पुर्जों की पहचान की। अन्य पुर्जे किसी प्रयोग के योग्य नहीं पाये गये क्योंकि सैटेलाइट आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क के लिए ग्राहक के आदेश पर बनाये गए थे और उनके निपटान की सिफारिश की गयी। जून 1999 तक बकाया वस्तुओं के निपटान तथा अन्य परियोजनाओं में उनके प्रयोग के लिए निर्धारित पुर्जों के लिए कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई थी।

इसी दौरान, केन्द्रीय भंडारागार निगम को अप्रैल 1991 से मार्च 1999 तक की अवधि के लिए 10.14 लाख रु का गोदाम के किराये तथा बीमा प्रभार के रूप में भुगतान किया गया।

3.81 करोड़ रु का व्यय  
निष्फल हो गया

इस प्रकार, दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का कोई प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के लिए अपनाने से पहले ही पुरानी हो गयी। ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल का उत्पादन इसके उपयोग सम्बन्धी आशंका के बावजूद, चालू रहने दिया गया जिससे 50 ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल के विनिर्माण और टर्मिनल पुर्जों को प्राप्त करने में हुए 3.71 करोड़ रु का पूरा खर्च निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, भंडार/ बीमा प्रभार के रूप में हुए खर्च 10.14 लाख रु का व्यय भी निष्फल हो गया। अब, ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनलों की अनुपयुक्तता की जानकारी के पांच वर्ष बीतने के बावजूद भी, प्रयोग न की जा सकने वाली वस्तुओं के निपटान या अन्य परियोजनाओं में उन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर 1999 में बताया कि प्रौद्योगिकीयां बहुत शीघ्रता से बदल रही है और कोई भी प्रौद्योगिकी दो वर्ष से ज्यादा नहीं रहती। इस तरह समय बीतने के साथ बहु-चैनल रेडियो सिस्टम से ज्यादा उपयुक्त तथा तकनीकी आर्थिक रूप से जीवनक्षम पाया गया। इसलिए, अक्टूबर 1994 में सैटेलाइट आधारित ग्रामीण टेलीग्राफ नेटवर्क का प्रतिस्थापन आगे के लिए रोक दिया गया।

दूरसंचार विभाग के जबाव में इस तथ्य की पुष्टि की कि दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी स्टेट आफ दी आर्ट नहीं थी और अपनाने से पहले ही अप्रचलित हो गयी। जनवरी 1990 में ग्रामीण टेलीग्राफ टर्मिनल की अनुपयुक्तता की जानकारी हो जाने के उपरान्त भी, उनके उत्पादन को जारी रख कर दूरसंचार विभाग ने एक अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर 3.81 करोड रु का निष्फल खर्च किया।

## अध्याय 6 : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

### 6.1 विलम्ब शुल्क न लगाये जाने के कारण तीन निजी फर्मों को अदेय लाभ

तीन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा आपूर्ति में विलम्ब के फलस्वरूप, 36.20 लाख रू का विलम्ब शुल्क वसूल करने में आई सी ए आर की विफलता से उनको अदेय लाभ हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कम्प्यूटर सिस्टम की आपूर्ति के लिए तीन फर्मों को ठेका दिया

कृषि अनुसंधान सूचना प्रबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विश्व बैंक की मदद से 1995 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एन ए आर पी) के अधीन 26.30 करोड़ रू. के प्रावधान से कृषि अनुसंधान सूचना सिस्टम (ए आर आई एस) की स्थापना का निर्णय लिया। ए आर आई एस जिसकी स्थापना का कार्य जून 1996 में पूर्ण होना था, उसे 234 केन्द्रों नामतः 120 जोनल अनुसंधान स्टेशनों, 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालयों, 59 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सस्थानों/ परियोजना निदेशालयों, 26 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और आई सी ए आर मुख्यालय (दो स्थानों पर) को आपूर्ति करनी थी।

विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर सिस्टमों की आपूर्ति के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मार्च 1996 में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर चयनित तीन फर्मों से अलग-अलग अनुबंध किये, जिन्हें सारणी में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

क्रम सं.	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	राशि	योग	आपूर्ति की अनुसूचित तिथि
				(लाख रू. में)		
1.	एच सी एल-(एच पी) लिमिटेड	लैन सरवर्स (32-यूजर्स)	46	122.36		
		लैन सरवर्स (16-यूजर्स)	92	187.59		
		लैन सरवर्स (8-यूजर्स)	92	143.52		
		वर्क स्टेशन	745	341.73		
		लेजर प्रिंटर, यू पी एस और मोडम इत्यादि		404.30		
		वार्षिक रखरखाव प्रभार		89.64	1289.14	15 जून 1996
2.	फूजीटसू-आई सी आई एम लिमिटेड	यूनिक्स सरवर्स (32-यूजर्स)	12	48.85		
		यूनिक्स सरवर्स (16-यूजर्स)	23	76.49		
		यूनिक्स सरवर्स (8-यूजर्स)	23	72.35		
		वार्षिक रखरखाव प्रभार		29.66	227.35	30 जून 1996
3.	मोटोरोला-इंडिया लिमिटेड	रुटर	30	56.96		
		वार्षिक रखरखाव प्रभार		10.04	67.00	30 जून 1996

अनुबंध सविदा का एक हिस्सा बोली दस्तावेज के अनुसार, आपूर्ति में विलम्ब होने पर विलम्ब से प्राप्त सामग्री या न किये गये कार्यों के मूल्य का प्रत्येक सप्ताह के लिए 0.5 प्रतिशत, अधिकतम कुल मूल्य का 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था।

सभी फर्मों ने विलम्ब शुल्क को न्याय संगत ठहराते हुए उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब किया

तीनों फर्मों ने निर्धारित तिथि अर्थात् 15/30 जून 1996 तक सभी केन्द्रों में कम्प्यूटर सिस्टमस की आपूर्ति नहीं की। मैसर्स एच सी एल-एच पी लिमिटेड को आई सी ए आर मुख्यालय सहित 234 केन्द्रों पर आपूर्ति करनी थी। एच सी एल-एच पी द्वारा डिलिवरी की नमूना जाँच से पता चला कि फर्म ने 26 जून 1996 और 20 जून 1997 के बीच में 54 केन्द्रों को एक से बावन सप्ताह की देरी से मर्दों की आपूर्ति की। मैसर्स फुजीटसू आई सी आई एम लिमिटेड के मामले में, फर्म ने जिन 58 केन्द्रों में आपूर्ति करनी थी उन्हें 24 से 40 सप्ताह की देरी से जनवरी 1997 से मई 1997 के बीच में आपूर्ति किया। मोटोरोला इंडिया लिमिटेड के मामले में देखा गया कि जिसने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा आई सी ए आर के संस्थानों को 30 र्टर्स की पूर्ति करनी थी, अक्टूबर 1996 तक केवल 18 र्टर्स की आपूर्ति की। उपरोक्त मामलों में अनुबंध सविदा की शर्तों के अनुसार, 36.20 लाख रू. का विलम्ब शुल्क लगाया जाना था। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मार्च से मई 1997 के दौरान, उपरोक्त तीनों फर्मों को 7.29 करोड़ रू. का अंतिम भुगतान करते हुए विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की जो उनको अदेय लाभ था। अन्य केन्द्रों पर भी इसी तरह की विलम्ब की संभावना और तदनु रूप विलम्ब शुल्क की उच्चराशि की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सितम्बर 1999 में बताया कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुछ स्थानों पर प्रतिस्थापना की जगहों को तैयार नहीं कर सके इसलिए विलम्ब शुल्क की वसूली करने का कोई औचित्य नहीं था। आई सी ए आर के उत्तर का सम्बंध केवल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से है, जिनकी संख्या 27 थी जबकि अन्य 207 केन्द्र थे जहां भी आपूर्ति में विलम्ब हुआ था परन्तु विलम्ब शुल्क नहीं लगाये गये थे।

## 6.2 ब्याज का परिहार्य भुगतान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बजट में जापानी सहायता प्राप्त परियोजना में सहायता अनुदान के बराबर रूपए का जमा करने के लिए प्रावधान न रखने के कारण 31.58 लाख रू. के ब्याज का परिहार्य भुगतान

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी ए आर ई) ने दिसम्बर 1995 में "बीज की गुणवत्ता का विकास" पर 21.95 करोड़ रु की जापानी सहायता अनुदान परियोजना को मंजूरी दी जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निष्पादित होना था। जापान सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई सी ए आर) को 21.50 करोड़ रू. के बराबर 662 मिलियन येन की सहायता अनुदान भवन निर्माण, उपस्कर और परामर्शी सेवाओं के लिए दिये जाने थे और भारत सरकार का योगदान 0.45 करोड़ रू का था।

आई सी ए आर ने जापान से आयतित सामान की रुपये में कीमत जमा करने के लिए बजट प्रावधान नहीं किया

लाइसेंस देने की शर्तों के अनुसार, आई सी ए आर को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बैंकरो के पास परक्राम्य के दस्तावेजों के सेट की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर जापान सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत आयात होने वाली वस्तुओं के मूल्य के बराबर राशि जमा करनी थी। शर्तों में यह भी व्यवस्था थी कि विदेशी आपूर्तिकार को हुए भुगतान की तिथि से पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से और इससे अधिक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा। वित्त मंत्रालय और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के निदेशानुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपने 1996-97 बजट में भारत सरकार के लेखे में सहायता अनुदान के अन्तर्गत आयात होने वाली वस्तुओं के मूल्य के बराबर राशि जमा करवाने हेतु बजट प्रावधान करना था। तथापि, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) आई सी ए आर वर्ष 1996-97 के बजट में ऐसा प्रावधान करने में विफल रहे।

आई सी ए आर के बैंकरो के द्वारा 31 जुलाई 1996 को 9.47 करोड़ रू. के बराबर 282.30 मिलियन येन के दस्तावेज प्राप्त हुए, जो आपूर्तिकारों को 19 जुलाई 1996 को अदा होना था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आवश्यक पुर्नविनियोजन के उपरान्त, भुगतान तिथि के 85 दिनों के उपरान्त 11 अक्टूबर 1996 को 9.84 करोड़ रू. जमा करवाये जिसके फलस्वरूप, 35.04 लाख रू. ब्याज का भुगतान किया गया। यदि समय पर आवश्यक प्रावधान किये गये होते और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बैंकरो के पास दस्तावेज पहुँचने के लिए 12 दिन की समय अवधि तथा 10 दिन समान राशि जमा करवाने के लिए दिये गये होते तो 63 दिन की अवधि के विलम्ब के लिए 28.19 लाख रू. के भुगतान से बचा जा सकता था।

इसी प्रकार, 31 जनवरी 1997 को विदेशी आपूर्तिकार को 2.42 करोड़ रू. के अन्य भुगतान के लिए, जिसके दस्तावेज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बैंकों के पास 3 फरवरी 1997 को पहुँच गये थे, भुगतान की देय तिथि के 47 दिनों के बाद, 17 मार्च 1997 को 4.42 लाख रू. के ब्याज के साथ 2.47 करोड़ रू. जमा करवाये। जिसमें से 34 दिनों का विलम्ब परिहार्य था, जिसके फलस्वरूप, 3.39 लाख रू. ब्याज का भुगतान किया गया।

रुपये के बराबर राशि  
जमा करने में विलम्ब के  
कारण 31.58 लाख रू. के  
ब्याज का परिहार्य  
भुगतान हुआ

इस प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान) द्वारा आवश्यक बजट प्रावधान करने में विफलता के कारण और भारत सरकार के लेखे में सहायता अनुदान के अन्तर्गत आयात होने वाली वस्तुओं की सममूल्य राशि निर्धारित समय अवधि में जमा करने में विलम्ब के फलस्वरूप, 31.58 लाख रू. के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नवम्बर 1999 में बताया कि जापान से सहायता अनुदान के उपयोग से सम्बन्धित प्रक्रिया का बोध न होने के कारण, 21.50 करोड़ रू. के सहायता अनुदान के खर्च के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किये गये थे तथापि, यह जवाब केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनभिज्ञता को रेखांकित करता है जिसके कारण बजट प्रावधान रखने के सम्बन्ध में सितम्बर 1995 में जारी वित्त मंत्रालय के विनिर्दिष्ट निर्देशों के वावजूद, 31.58 लाख रू. का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

अध्याय 7 : खनन मंत्रालय  
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

7.1 किराये पर परिहार्य व्यय

किराये की इमारत खाली करने के सम्बन्ध में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समय पर कार्य करने में विफलता के फलस्वरूप, 116.45 लाख रू० का परिहार्य खर्च हुआ

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अपनी इमारत बनने के उपरान्त, किराये के पाँच शेड खाली करने की समिति ने सिफारिश की

शेडों को खाली न करने के कारण 116.45 लाख रू० का परिहार्य खर्च हुआ

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई), कलकत्ता के पास 5-1 के. सी. रोड, कलकत्ता पर एक इमारत में पाँच शेड थे, जिसका इस्तेमाल वह भंडार और कार्यशाला के लिए करते थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कलकत्ता स्थित कार्यालयों की आवास सम्बन्धित समग्र आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए खनन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1995 में एक समिति का गठन किया गया जिसने अगस्त 1995 में यह सिफारिश की कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की साल्ट लेक कलकत्ता पर भंडार व कार्यशाला हेतु निर्माणाधीन जो इमारत है उसके पूरा होने पर इन शेडों को खाली कर दिया जाये।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जनवरी 1997 में साल्ट लेक पर नव निर्मित भंडार परिसर को अपने अधिकार में ले लिया परन्तु के. सी. रोड के पहले उल्लिखित शेडों को अगस्त 1999 तक खाली नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप, फरवरी 1997 से अगस्त 1999 तक की अवधि के किराये की अदायगी के रूप में 116.45 लाख रू. का परिहार्य खर्च हुआ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशासनिक अधिकारी ने फरवरी 1999 में बताया कि परिसर को खाली करने के लिए भंडार के स्थानांतरण के साथ-साथ निपटान कार्य की प्रक्रिया में बहुत से कार्य शामिल थे। इस सम्बन्ध में ब्यौरा माँगा गया परन्तु उत्तर से यह संकेत मिला कि अनुप्रयोज्य भंडार के निपटान के लिए समय पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गयी। निपटान का कार्य 1997 में ही शुरू किया गया जबकि बहुत से भंडारों का 10-15 वर्षों से कोई लेन-देन न होने के कारण 1995 तक ही पुराने हो चुके थे।

मई 1999 में विभाग को इस विषय पर लिखा गया और जनवरी 2000 तक उनका उत्तर अपेक्षित था।



## अध्याय 8 : परमाणु उर्जा विभाग

### 8.1 एक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी को अदेय लाभ

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में उल्लेख के बावजूद, परमाणु ऊर्जा विभाग ने गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड को अदेय लाभ देना जारी रखा।

परमाणु उर्जा विभाग तथा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड के बीच गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित आमोनिया गैस को सूट करने के लिए भारी जल संयंत्र, बड़ोदा द्वारा भारी जल निकालने में उसका प्रयोग किये जाने और उसके बाद उसे गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को वापस किए जाने के लिए 1973 में एक समझौता किया गया। इस समझौते के अधीन, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 1 टन आमोनिया प्रतिदिन की दर से पारगमन हानि की लागत गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को प्रतिपूर्ति की जानी थी। इस समझौते में ए-3 संयंत्र के प्रचालन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए भी व्यवस्था थी। तथापि, समझौते में इस संबन्ध में भुगतान की शर्तों की व्यवस्था नहीं थी। परमाणु ऊर्जा विभाग और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी की प्राकृतिक गैस की आवश्यकता पूरी करने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग समय समय पर आर्गेनिक और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए समझौता किया करता था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड से प्राप्त हुई प्राकृतिक गैस 1:2 के अनुपात में परमाणु ऊर्जा विभाग और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के बीच बंट रही थी।

तथापि, प्रायः ठेके की इन शर्तों को तोड़ा जाता था। पिछली लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में इसका उल्लेख किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग के 1998-99 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लगातार अनियमितताओं के मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने 13.81 करोड़ रु आमोनिया हानि को एकतरफा समायोजित किया

(i) भारत के नियंत्रकमहालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन के पैरा 3.2 में, उल्लेख किया गया था कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने 1975-76 से 1996-97 की अवधि के लिए ठेकागत एक टन प्रतिदिन के अतिरिक्त 5 टन प्रतिदिन की दर से आमोनिया की हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में 11.90 करोड़ रु का एकतरफा समायोजन किया। अपने कृत कार्यवाही नोट में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया कि (क) गुजरात राज्य

उर्वरक कम्पनी से अनुरोध किया गया था कि एक तरफा वसूल की गई राशि उसे वापस करनी चाहिए तथा फरवरी 1994 में आगे की वसूली रोक देनी चाहिए, (ख) उर्वरक मंत्रालय ने भी अगस्त 1998 में परमाणु उर्जा विभाग के विचारों से सहमति जताई और (ग) इस मामले को गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के साथ उठाया जा रहा था। इसके बावजूद, परमाणु ऊर्जा विभाग 11.90 करोड़ रु० के अनियमित समायोजन को वसूल करने में न केवल विफल रहा अपितु गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा 1997-99 के दौरान 1.91 करोड़ रु० के अनियमित समायोजन को आगे रोक भी नहीं सका। परमाणु उर्जा विभाग ने नवम्बर 1999 में बताया कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी और उर्वरक तथा रसायन मंत्रालय से मामले को निपटाने के लिए बातचीत चल रही है।

(ii) 31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 3.12(iii) में उल्लेख किया गया था कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा प्राकृतिक गैस की खपत कुल आपूर्ति के दो तिहाई से अधिक थी और इस संबंध में गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के साथ एक औपचारिक समझौते की आवश्यकता थी। तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग ने कोई ऐसा समझौता नहीं किया। किसी समझौते के अभाव में जैसी कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है परमाणु उर्जा विभाग वैध प्राप्त्तों/दावों की वसूली लागू नहीं कर सका :

(क) अप्रैल 1991 तक, गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने पारस्परिक समझौते के अधीन, केवल दो तिहाई तक खपत हुई कुल प्राकृतिक गैस की लागत का भुगतान किया जो प्राकृतिक गैस की उसकी वास्तविक खपत से कम था। उसके बाद, गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने वास्तविक खपत के आधार पर प्राकृतिक गैस के लिए भुगतान करना शुरू किया। तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिसम्बर 1989 से अप्रैल 1991 के दौरान गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा खपत की गई अधिक गैस के लिए देय 1.03 करोड़ रु की वसूली नहीं की थी। परमाणु उर्जा विभाग ने नवम्बर 1999 में बताया कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी से परमाणु ऊर्जा विभाग को पश्चप्रभार्य आमोनिया की लागत का क्रेडिट देने के बाद केवल 26.40 लाख रु की वसूली की जानी थी जिसकी संगणना 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान खपत हुई प्राकृतिक गैस की वास्तविक मात्रा पर की गई थी और 26.40 लाख रु का दावा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को पहले ही प्रस्तुत किया गया था।

प्राकृतिक गैस की गारन्टीयुक्त खरीद में कमी के लिए 53.63 लाख रु की वसूली में परमाणु ऊर्जा विभाग विफल रहा

(ख) समय समय पर परमाणु ऊर्जा विभाग और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय गैस प्राधिकरण लि० के बीच हुए समझौते में प्राकृतिक गैस की न्यूनतम मात्रा की खरीद की गारण्टी निर्धारित हुई। तदनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने उस अवधि के दौरान जबकि खपत ठेके की मात्रा से कम थी, वास्तव में 1989-99 के दौरान खपत न की गई प्राकृतिक गैस के लियें 1.78 करोड़ रु का

भुगतान किया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस अवधि के दौरान गारण्टीयुक्त प्राकृतिक गैस की न्यूनतम खरीद में कमी के लिए अनुपातिक भार 95.25 लाख रु की वसूली नहीं की। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइनों मूल्यहास, वापसी, प्रचालन और रखरखाव प्रभारों की दर से अनुपातिक लागत के रूप में 5.76 लाख रु वसूली योग्य थे जिनका भुगतान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मासिक बिलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय गैस प्राधिकरण को किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया कि नवम्बर 1999 में केवल 53.63 लाख रु की वसूली की जानी थी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने सूचित भी किया कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को वसूली योग्य दावा प्रस्तुत कर दिया गया था।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग वैध दावों के रूप में गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी से 14.61 करोड़ रु की वसूली करने में विफल रहा, और उस मात्रा तक गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने न केवल अदेय लाभ उठाया अपितु उसके वार्षिक लेखे भी सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में विफल रहे।

## 8.2 मसालों के विकिरणन के लिए प्रदर्शन संयंत्र का स्थापित न होना

समय से कार्यवाही करने और मसालों के विकिरणन के लिए प्रदर्शन संयंत्र परियोजना के सभी चरणों के समन्वय में रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की विफलता से, 3.04 करोड़ रु के व्यय के बावजूद, परिकल्पित लाभों से उद्योग वंचित रह गया।

मसालों के विकिरण की आवश्यकता को मानते हुये, परमाणु ऊर्जा विभाग ने प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिये मंजूरी दी

विश्व में मसालों के निर्यात में भारत का हिस्सा 1980 में 14.5 प्रतिशत से 1994 में कम होकर 9.1 प्रतिशत रह गया। भारतीय मसालों के लिये एक प्रमाणित बाजार सम्भव नहीं हुआ क्योंकि भारत में मसालों को दोषमुक्त करने के लिये प्रयोग किये जा रहे रसायनिक धूमीकरण के पारम्परिक तरीके को विश्व में अस्वीकार कर दिया गया है, और उस पर कई देशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है वह लोग केवल विकिरणन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किये गये मसालों को स्वीकार कर रहे हैं। अतः मसालों के विकिरणन की प्रणाली स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई ने प्रक्रिया को प्रयोगशाला से उद्योग को अन्तरित करने के लिये मसालों के विकिरणन हेतु एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिये एक परियोजना का प्रस्ताव अप्रैल 1995 में किया था।

तदनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने 2.98 करोड़ रु की अनुमानित लागत पर जून 1995 में “मसालों के विकिरणन के लिये प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना” परियोजना

को मंजूर किया जिसकी क्षमता वर्ष में 12 हजार टन मसालों को विकिरण करने की थी। इस परियोजना द्वारा निर्यात के मानकों की पूर्ति के लिये मसालों को स्वास्थ्यकर बनाने के लिये अन्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य विकिरण सेवा सुविधा प्रदान करना था। संयंत्र का उद्देश्य वाणिज्यिक स्तर पर विकिरण प्रौद्योगिकी का विकास करना, निर्यात और घरेलू प्रयोगदानों के लिए मसालों की शुद्धीकरण के लिये उसका प्रभाव प्रदर्शित करना था। इस परियोजना को नवम्बर 1996 तक पूरा होना था।

इस संयंत्र द्वारा प्रक्रिया को प्रयोगशाला से औद्योगिक स्तर अनुप्रयोग को अन्तरित करने में मदद करना था

रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ने जिस भूमि पर विकिरण बनाना था उस प्लाट की मिट्टी की जाँच की वैधानिक आवश्यकता के लिए कार्य आदेश सितम्बर 1995 में ही प्रस्तुत किया था। इसने दिसम्बर 1995 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से सम्पर्क किया और मार्च 1996 में उनका अनुमोदन प्राप्त किया।

भवन के पूरे होने के 22 महीनों के बाद भी संयंत्र चालू नहीं हुआ था

अक्टूबर 1996 में शुरू किया गया सिविल कार्य 1.93 करोड़ रु की लागत से मई 1996 के लक्ष्य के विपरीत नवम्बर 1997 में पूरा हुआ था। तथापि, भवन पूरा होने के 22 महीनों के बाद और परियोजना पर 3.04 करोड़ रु के व्यय के बावजूद, संयंत्र सितम्बर 1999 तक चालू नहीं हुआ था।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और औषध प्रशासन जिसे इस प्रयोजन हेतु नियमों और उपनियमों का एक सेट बनाना था, से बिना सांविधिक अनुमोदन प्राप्त किए संयंत्र को स्ट्रीम पर नहीं रखा जा सका। इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि रेडिएशन आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी ने सितम्बर 1999 में यह माना था कि खाद्य और औषध प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति बनी थी जिसका कार्य खाद्य विकिरण की अनुमति देने के लिये नियमों को अपनाया जाना था, न केवल अगस्त 1998 में अर्थात् परियोजना की अनुमति के तीन वर्षों के बाद तथा भवन पूरे होने की तारीख से नौ महीने बाद कार्य करना शुरू किया। यदि परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस दिशा में समय से कार्यवाही की होती तो संयंत्र को चालू करने में विलम्ब को टाला जा सकता था।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने वाणिज्यिक स्तर पर विकिरण संयंत्र को प्रदर्शित करने का अवसर खो दिया

परमाणु ऊर्जा विभाग ने आगे बताया कि प्रस्तावित सुविधा भारत से वार्षिक 2.5 लाख टन मसालों के निर्यात की तुलना में केवल 12 हजार टन वार्षिक का संसाधन करती और इसलिये विश्व के बाजार में भारत का बाजार हिस्सा इससे प्रभावित नहीं होगा। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस संयंत्र को लगाने का प्राथमिक उद्देश्य मसालों के विकिरणीय संसाधन के प्रभाव का प्रदर्शन तथा प्रक्रिया को प्रयोगशाला से औद्योगिक स्तर के संसाधन को अन्तरित करना था, जिससे अन्तराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की स्वीकार्यता बढ़ गई होती। वास्तव में,

अगस्त 1999 में मसाला विपणन बोर्ड, कोचीन के निदेशक ने कीटनाशकों के अवशिष्ट तथा एफ्लेटॉक्सिन पर निर्भरता को कम करने के उपयुक्त उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि प्रामाणित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को सुनिश्चित किया जा सके।

वाणिज्यिक स्तर पर मसालों के विकिरणन को प्रदर्शित करने का एक अवसर, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता, रेडिएशन आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड द्वारा धीमी कार्यवाही के कारण अब तक समाप्त हो चुका है।

### 8.3 परियोजना परित्याग के कारण निष्फल व्यय

नुक्लियर विद्युत प्रजनन के लिये निर्धारित लक्ष्य को कम करने के फलस्वरूप, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा खनन परियोजना पर खर्च किये गये 44.43 करोड़ रु में से 16.06 करोड़ रु निष्फल हो गया

भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक लोक क्षेत्रीय उपक्रम, भारत के नुक्लियर विद्युत और अनुसंधान रिएक्टरों के लिये ईंधन के रूप में आवश्यक यूरेनियम कनसेन्ट्रेट का एकमात्र उत्पादक है।

2000 ई० तक 10,000 मेगावाट नुक्लियर विद्युत के प्रजनन के लक्ष्य के अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता पूरी करने के लिये, परमाणु ऊर्जा विभाग ने नरवापहाड़ और तुरमडीह में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा दो खानों की स्थापना के लिये अप्रैल 1989 में एक परियोजना को मंजूर किया, प्रत्येक की क्षमता 3000 टन प्रतिदिन ड्राई कच्ची धातु और संसाधन मिल एक साथ में दोनों खानों से कच्ची धातु के संसाधन के लिए 1500 टन प्रति दिन की क्षमता तुरमडीह की थी। 495.54 करोड़ रु की अनुमानित लागत की परियोजना को दिसम्बर 1993 तक चालू होना था।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने नुक्लियर विद्युत प्रोफाइल के अधीन विद्युत प्रजनन के लक्ष्य को मार्च 1994 में 10,000 मेगावाट से कम करके 2002 तक 3820 मेगावाट कर दिया। नुक्लियर विद्युत प्रजनन के लक्ष्य के कम हो जाने के फलस्वरूप, परमाणु ऊर्जा विभाग ने अक्टूबर 1994 में तुरमडीह में खनन और मिल परियोजना को छोड़ दिया। नरवापहाड़ खान की उत्पादन क्षमता कम करके 1050 टन प्रतिदिन और विद्यमान जादुगुडा मिल की क्षमता बढ़ कर 1340 से 2090 टन प्रतिदिन हो गई। तदनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत कम करके 495.54 करोड़ रु से 351.17

प्रजनन के लक्ष्य को कम कर दिये जाने के परिणामस्वरूप, परमाणु ऊर्जा विभाग ने तुरमडीह की खान और मिल परियोजना को छोड़ दिया

प्रजनन लक्ष्य को कम  
किए जाने के कारण,  
16.06 करोड़ रु का  
निष्फल व्यय हुआ

करोड़ रु कर दी गई। उस समय तक, तुरमडीह खान पर भारतीय यूरेनियम निगम ने पहले ही 44.43 करोड़ रु खर्च कर दिया था।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने नवम्बर 1998 में फैसला लिया कि परियोजना के अधीन खरीदी गई परिसम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त पैसों का समायोजन करने के बाद तुरमडीह की बन्द परियोजना का खर्च सरकार उठाये। तदनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने तुरमडीह में भवनों के साथ 165 एकड़ की नगरी भूमि 21.22 करोड़ रु पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को अन्तरित की। केन्द्रीय रिजर्व बल द्वारा शेष जमीन को 7.15 करोड़ रु पर लेने की बात अन्तिम दौर में थी। अब भी, इस परियोजना पर 16.06 करोड़ रु का निवल निष्फल व्यय रहेगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने अगस्त 1999 में बताया कि तुरमडीह परियोजना में निवेश करने का निर्णय उस समय नुक्लियर विद्युत कार्यक्रम के लिये आवश्यक यूरेनियम के संदर्भ में लिया गया था और परियोजना छोड़ने का निर्णय नुक्लियर विद्युत प्रजनन के लक्ष्य में कमी किये जाने के कारण लिया गया था। इस प्रकार, नुक्लियर विद्युत प्रजनन के लक्ष्य को कम किए जाने के फलस्वरूप, खनन परियोजना पर 16.06 करोड़ रु का निष्फल व्यय हुआ।




नई दिल्ली

दिनांक : 30 मई 2000

(प्रसन्न कुमार जैना)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली

दिनांक : 19 1 MAY 2000

(विजय कृष्ण शुंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

## परिशिष्ट I

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान तथा उनके लेखाओं की स्थिति

(संदर्भ: पृष्ठ 9 पर पैराग्राफ सं 1.3)

क्रमांक	स्वायत्त निकाय का नाम	1998-99 में प्रदत्त अनुदान की राशि (रूपये करोड़ों में)
1.	भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून	5.25
2.	भारतीय केंद्रीय प्राणी विज्ञान प्राधिकरण, नई दिल्ली	5.30
3.	श्री चित्रातिरूनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	20.50
4.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	28.00
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	105.14
6.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	106.36
7.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	710.41
	<b>कुल योग</b>	<b>980.96</b>

परिशिष्ट II

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तें ) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान तथा उनके लेखाओं की स्थिति

(संदर्भ: पृष्ठ 9 पर पैराग्राफ सं 1.3)

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	1998-99 में प्रदत्त अनुदान राशि (रूपये करोड़ों में)
<b>परमाणु उर्जा विभाग</b>		
1.	टाटा स्मारक केंद्र, मुम्बई	81.83
2.	साह न्युक्विलयर भौतिक विज्ञान संस्थान, कलकत्ता	23.20
3.	भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	8.22
4.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति विद्यालय, मुम्बई	7.70
5.	टाटा भौतिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	79.30
6.	मेहता भारतीय भौतिक संस्थान, इलाहाबाद	6.51
7.	प्लाज़मा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	14.77
8.	भारतीय विज्ञान संस्थान	6.20
<b>कुल योग</b>		<b>227.73</b>
<b>जैव-प्रौद्योगिकी विभाग</b>		
9.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली	11.68
10.	राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र, पुणे	7.14
11.	डी एन ए अंगुलिछाप और निदान केंद्र, हैदराबाद	5.76
<b>कुल योग</b>		<b>24.58</b>
<b>इलैक्ट्रॉनिकी विभाग</b>		
12.	उन्नत संगणन विकास केंद्र, पुणे	8.10
13.	प्रायोगिक माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान सोसाइटी, मुम्बई	6.80
14.	इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान विकास केंद्र, बंगलौर	6.32
15.	राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र, मुम्बई	1.50
16.	भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी डिज़ाइन तथा प्रौद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली	6.49
17.	भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान	6.55



क्रमांक	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	1998-99 में प्रदत्त अनुदान राशि (रूपये करोड़ों में)
18.	इलैक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र	5.70
19.	लिक्विड क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र	2.15
20.	इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण इंजीनीयरी समिति, नई दिल्ली	0.74
21.	भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क	14.15
<b>कुल योग</b>		<b>58.50</b>
<b>पर्यावरण और वन विभाग</b>		
22.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	16.00
23.	भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान, भोपाल	3.60
24.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून	83.61
25.	पद्मजा नायडू हिमालय प्राणीविज्ञान उद्यान, दार्जिलिंग	00.12
26.	जी बी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अलमोड़ा	4.43
27.	भारतीय प्लाइवुड अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	1.79
28.	श्रेष्ठता केंद्र	5.98
<b>कुल योग</b>		<b>115.53</b>
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>		
29.	रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	7.41
30.	बोस संस्थान, कलकत्ता	7.03
31.	भारतीय उष्णप्रदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	5.00
32.	भारतीय विज्ञान परिष्करण एसोसिएशन, कलकत्ता	8.26
33.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर	22.66
34.	भारतीय भुचुम्बकत्व संस्थान, मुम्बई	5.05
35.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता	0.78
36.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	6.32
37.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	3.67
38.	वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून	4.06
39.	एस एन बोस राष्ट्रीय प्राथमिक विज्ञान केंद्र, कलकत्ता	2.00
40.	महाराष्ट्र विज्ञान परिष्करण संघ, पुणे	3.31
41.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर	1.19
42.	जे एन उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर	7.77

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	1998-99 में प्रदत्त अनुदान राशि (रूपये करोड़ों में)
43.	भारतीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	0.41
44.	प्रौद्योगिकी संरचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	3.09
45.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	0.75
46.	अंतर्राष्ट्रीय चूर्ण धातु कर्म एवं नव सामग्री उन्नत अनुसंधान केंद्र	5.00
47.	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी	0.12
<b>कुल योग</b>		<b>93.88</b>
<b>अन्तरिक्ष विभाग</b>		
48.	राष्ट्रीय सूदूर संवेदी एजेसी, हैदराबाद	15.00
49.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	18.90
50.	भारतीय एम एस टी रडार सुविधा गंदकी	1.34
<b>कुल योग</b>		<b>35.24</b>
<b>दूरसंचार विभाग</b>		
51.	दूरसंचार विज्ञान विकास केंद्र (सी-डॉट)	74.75
<b>कुल योग</b>		<b>74.75</b>
<b>योजना आयोग</b>		
52.	क्षेत्रीय कम्प्यूटर केंद्र, कलकत्ता	0.03
<b>कुल योग</b>		<b>0.03</b>
<b>सर्व योग</b>		<b>630.24</b>

परिशिष्ट III

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र  
(संदर्भ: पृष्ठ 9 पर पैराग्राफ सं 1.4)

(रु लाखों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अनुदान से सम्बंधित अवधि	31 मार्च 1998 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
परमाणु ऊर्जा	1985-86	1	1.50
	1988-89	2	2.96
	1989-90	2	0.57
	1990-91	2	0.75
	1991-92	1	2.51
	1992-93	3	1.82
	1993-94	3	5.79
	1994-95	5	3.25
	1995-96	4	5.14
	1996-97	38	68.80
	1997-98	20	72.35
	<b>कुल योग</b>	<b>81</b>	<b>165.44</b>
पर्यावरण और वन	1980-81	2	1.28
	1981-82	20	7.97
	1982-83	28	46.51
	1983-84	97	65.91
	1984-85	151	240.55
	1985-86	127	504.15
	1986-87	81	546.35
	1987-88	309	9906.54
	1988-89	370	2649.01
	1989-90	555	199.26
	1990-91	72	1260.03
	1991-92	100	1641.59
	1992-93	236	3329.87
	1993-94	67	82.18
	1994-95	152	1346.28
	1995-96	16	29.16
	1996-97	673	22716.29
	<b>कुल योग</b>	<b>3056</b>	<b>44572.93</b>

(रु लाखों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अनुदान से सम्बंधित अवधि	31 मार्च 1998 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
महासागर विकास	1983-84	8	101.52
	1984-85	22	22.66
	1985-86	45	40.26
	1986-87	23	27.20
	1987-88	21	221.63
	1988-89	66	59.25
	1989-90	100	334.16
	1990-91	17	227.46
	1991-92	32	434.31
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	79	668.87
	1995-96	53	58.77
	1996-97	78	280.30
	1997-98	172	3872.22
		<b>कुल योग</b>	<b>740</b>
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1977-78	1	0.15
	1978-79	1	0.03
	1979-80	2	0.21
	1980-81	5	0.72
	1981-82	4	0.67
	1982-83	21	7.28
	1983-84	11	2.16
	1984-85	22	8.33
	1985-86	10	2.55
	1986-87	16	5.65
	1987-88	12	5.45
	1988-89	6	4.85
	1989-90	4	3.18
	1990-91	7	7.84
	1991-92	5	2.48
	1992-93	4	7.17
	1993-94	20	25.51
	1994-95	25	71.55
	1995-96	23	115.67
1996-97	60	196.72	
1997-98	80	440.98	
	<b>कुल योग</b>	<b>340</b>	<b>909.20</b>

(रु लाखों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अनुदान से सम्बंधित अवधि	31 मार्च 1998 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण-खनन विभाग	1994-95	1	0.05
	1995-96	2	0.15
	1996-97	5	0.40
	1997-98	2	0.16
	<b>कुल योग</b>	<b>10</b>	<b>0.76</b>
इलेक्ट्रॉनिकी	1992-93	46	119.00
	1993-94	53	150.00
	1994-95	71	880.00
	1995-96	83	2878.00
	1996-97	90	1115.00
	<b>कुल योग</b>	<b>343</b>	<b>5142.00</b>
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1995-96	222	1063.00
	1996-97	311	1717.00
	1997-98	40	605.00
	<b>कुल योग</b>	<b>573</b>	<b>3385.00</b>
<b>सर्व योग</b>		<b>5143</b>	<b>60567.14</b>

## परिशिष्ट IV

प्रयोगशालाओं की सूची  
(संदर्भ : पृष्ठ 27 पर पैराग्राफ सं 3.1.1(ख))

1.	केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की
2.	केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
3.	भारतीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
4.	केंद्रीय अभियांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
5.	केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, धनबाद
6.	भारतीय रसायनिक तकनीक संस्थान, हैदराबाद
7.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
8.	सूक्ष्म जैविकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़
9.	भारतीय वायु मंडल प्रयोगशाला, पुणे
10.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
11.	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
12.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ

परिशिष्ट V

गैर-अनुसंधान विकास कार्यकलापों पर किये गये व्यय का संस्थानवार विवरण  
(संदर्भ : पृष्ठ 33 पर पैराग्राफ सं 3.1.4 (क))

प्रयोगशाला का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	राशि (रु लाखों में)
1. आई आई पी, देहरादून		
	1. केंद्रीय विद्यालय/बैंक भवन (फर्नीचर आपूर्ति सहित) का निर्माण बस स्टाप/शेड/सड़क/सड़क की रोशनी का निर्माण/रख रखाव	16.52
	2. जलपान/लंच/डिनर	9.55
	3. घर के रख रखाव तथा सुरक्षा के लिये निजी ठेकेदार को भुगतान	26.29
	4. चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति एवं औषधि क्रय	13.40
	5. स्वर्णजयन्ती/स्थापना दिवस पर व्यय	0.20
	6. स्मृतिचिन्ह/उपहार वितरण	2.95
	7. कवि सम्मेलन/हिन्दी दिवस आयोजन एवं हिन्दी पत्रिका 'विकल्प' का मुद्रण	4.67
	8. कल्याण/स्टाफ क्लब को अनुदान	2.21
	9. फोन/गतिशील (मोबाइल) फोन बिलों का भुगतान	46.84
	10. विद्युत बिलों का भुगतान	37.34
	11. डीजल/पैट्रोल का भुगतान	4.14
	12. डाक/संदेशवाहक सेवा प्रभार	2.48
	13. छुट्टी यात्रा रियायत/ दौरा यात्रा भत्तों का भुगतान	5.68
	14. मानदेय/समयोपरि भत्ते/ रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान	17.16
	15. दून प्रैस क्लब/दून स्कूल भारतीय पी आर सोसायटी को वित्तीय सहायता/अनुदान	0.95
	16. अधिकारियों के आवास पर प्रदत्त कराये गये समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति	1.27

प्रयोगशाला का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	राशि (रु लाखों में)
	17. वर्दी क्रय	2.35
	18. अतिथि गृह का साजसामान/नवीकरण	2.57
	19. सी एस आई आर अनुदान/ प्रायोजित परियोजनाओं से प्रति पूर्ति के अद्यधीन भंडार/उपस्कर, जल रोधक संसाधक, टेलीफोन बिल विद्युत बिल, लंच/डिनर आदि पर प्रयोगशाला आरक्षित निधि से किया गया व्यय	66.89
<b>कुल योग</b>		<b>263.46</b>
<b>2. इस्टेक चंडीगढ़</b>		
	1 छात्रावास मैस में गैस लाइन की फिटिंग	0.79
	2 स्थापना दिवस आयोजन पर व्यय	0.24
	3 स्टाफ क्लब को अनुदान	0.10
	4 टेलीफोन बिल का भुगतान	2.60
	5 वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल	0.41
	6 डाक / निजी संदेशवाहक प्रभार	0.28
<b>कुल योग</b>		<b>4.33</b>
<b>3. एन पी एल, नई दिल्ली</b>		
	1 जेनेरेटर शेड की मरम्मत निर्माण अग्नि शमन	3.41
	2 जलपान/लंच/डिनर	1.26
	3 सुरक्षा के लिए रखरखाव का ठेका/निजी ठेकेदार को भुगतान	4.10
	4 औषधालय के लिये औषधियों का क्रय	0.20
	5 स्मृतिचिन्ह (घड़ियां)/उपहार वितरण	5.91
	6 स्टाफ क्लब को अनुदान	0.05
	7 टेलीफोन बिलों का भुगतान	1.01
	8 जल तथा विद्युत प्रभारों का भुगतान	28.17
	9 पेट्रोल/डीजल प्रभार	0.66
	10 डाक संदेश वाहक प्रभार	1.34
	11 यात्रा भत्ता भुगतान	0.67



प्रयोगशाला का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	राशि (रु लाखों में)
	12 मानदेय/समयोपरि भत्ते का भुगतान	5.13
	13 अधिकारियों के आवास पर प्रदत्त समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति	0.99
	14 नगरपालिका कर	50.09
	15 वर्दियों का भुगतान	1.48
<b>कुल योग</b>		<b>104.47</b>
<b>4. निस्काम, नई दिल्ली</b>		
	1 रखरखाव/सुरक्षा के लिये निजी ठेकेदार को भुगतान	2.69
	2 जलपान/ लंच	0.14
	3 स्थापना/स्वर्ण जयन्ती दिवस व्यय	0.35
	4 स्टाफ क्लब को अनुदान	0.10
	5 टेलीफोन बिलों का भुगतान	2.67
	6 जल/विद्युत प्रभार भुगतान	17.68
	7 पेट्रोल/डीजल	1.16
	8 डाक/ संदेशवाहक सेवा प्रभार	13.56
	9 अधिकारियों के आवास पर उपलब्ध कराये गये समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति	1.05
<b>कुल योग</b>		<b>39.40</b>
<b>5. सी बी आर आई, रूड़की</b>		
	1. अतिथि ग्रह का साजसामान/ नवीकरण/	4.53
	2. जलपान/ लंच/ डिनर	2.04
	3. चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति एवं औषधि क्रय	4.42
	4. स्थापना दिवस/स्वर्ण जयन्ती व्यय	4.26
	5. उपहार स्मृतिचिन्ह वितरण	1.70
	6. कल्याण/स्टाफ क्लब भुगतान	0.63
	7. विद्युत बिलों का भुगतान	16.03
	8. पेट्रोल/डीजल भुगतान	4.76
	9. यात्रा भत्ता भुगतान	1.95
	10. मानदेय भुगतान	0.10

प्रयोगशाला का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	राशि (रु लाखों में)
	11. अधिकारियों के आवास पर उपलब्ध कराये गये समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति	0.34
	12. वर्दी का भुगतान	0.34
	13. प्रचार प्रभार	3.47
<b>कुल योग</b>		<b>44.57</b>
<b>6. सी.डी आर आई, लखनऊ</b>		
	1. जलपान / लंच / डिनर	0.08
	2. स्टाफ/कल्याण क्लब अनुदान	0.10
	3. विद्युत बिल	8.92
	4. सम्बन्धित परियोजनाओं से प्रतिपूर्ति के अर्धधीन, डी.एस टी/सहायता अनुदान परियोजनाओं के लिये उपस्कर पर भाड़ा/प्रभार के लिये प्रयोगशाला आरक्षित निधि से किया गया व्यय	0.51
<b>कुल योग</b>		<b>9.61</b>
<b>7. सी एम ई आर आई, दुर्गापुर</b>		
	1. सुरक्षा/रखरखाव के लिये निजी ठेकेदार के दिया गया ठेका	7.69
	2. औषधि क्रय	3.14
	3. टेलीफोन बिलों का भुगतान	2.66
	4. विद्युत बिलों का भुगतान	3.63
<b>कुल योग</b>		<b>17.12</b>
<b>8. सी एम आर आई, धनबाद</b>		
	1. जलपान/लंच/डिनर	0.44
	2. छुट्टी यात्रा दावों का भुगतान	1.70
	3. अतिथि गृह साजसामान नवीकरण	3.19
<b>कुल योग</b>		<b>5.33</b>
<b>9. आई आई सी टी, हैदराबाद</b>		
	1. प्राइमरी तथा मुख्य पाठशाला भवन का रंग रोगन	0.92
	2. स्टाफ/कल्याण क्लब को अनुदान	0.91

प्रयोगशाला का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	राशि (रु लाखों में)
	3. विद्युत बिलों का भुगतान	7.35
	4. मानदेय का भुगतान	0.44
	<b>कुल योग</b>	<b>9.62</b>
<b>10. एन ए एल, बंगलौर</b>		
	1. ओवरहेड टैंक की मरम्मत	15.13
	2. मानदेय का भुगतान	2.86
	<b>कुल योग</b>	<b>17.99</b>
<b>11. एन सी एल, पुणे</b>		
	1. जलपान/लंच/ डिनर	0.73
	2. स्थापना दिवस/ स्वर्ण जयन्ती व्यय	28.60
	3. टेलीफोन बिल/गतिशील फोन बिल 8 पेजर प्रभार सहित	21.63
	4. विद्युत बिलों का भुगतान	28.26
	5. समयोपरि भत्ता भुगतान	11.88
	6. वर्दी का भुगतान	1.60
	7. संसदीय समिति के लिए होटल/ अतिथि गृह आवास प्रभार का भुगतान	1.45
	<b>कुल योग</b>	<b>94.15</b>
<b>12. एन आई ओ, गोवा</b>		
	1. जलपान/लंच डिनर	6.23
	2. चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति	1.03
	3. स्थापना दिवस/स्वर्ण जयन्तीव्यय	6.63
	4. उपहार स्मृति चिन्ह/ वितरण	0.49
	5. स्टाफ कल्याण क्लब को अनुदान	1.19
	6. निजी स्कूल को अनुदान वित्तीय सहायता	0.05
	7. सी एस आई आर से प्रतिपूर्ति/परियोजना के अध्यक्षीन प्रायोजित परियोजना के उपस्कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से दी गई डिग्री की राशि पर ब्याज का प्रयोगशाला आरक्षित निधि से भुगतान	11.58
	<b>कुल योग</b>	<b>27.20</b>

परिशिष्ट VI

विदेशी दौरों का विवरण

(संदर्भ : पृष्ठ 41 पर पैराग्राफ सं. 3.1.4(ख))

(रु लाख में)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	दौर की अवधि तथा देश का नाम	दौर का प्रयोजन	एल आर एफ से व्यय	टिप्पणी
सी बी आर आई, रूड़की					
1.	एस.के.अग्रवाल, वैज्ञानिक ई '1'	इटली 8.5.98 से 10.7.98 तक	प्रशिक्षण	1.22	
2.	एम.पी. जय सिंह, वैज्ञानिक जी	डेनमार्क, 6.6.98 से 15.6.98 तक	ई आई बी की 16वीं सामान्य सभा में भाग लेने तथा व्यापार विकास के अभ्यास के लिये	क्रमांक 1 में सम्मिलित	
एन आई ओ, गोवा					
3.	डा. एल वी.जी. राव, वैज्ञानिक, एन आई ओ	मलेशिया 28.7.98 से 31.7.98 तक	चौथे प्रशान्त महासागर सुदूर संवेदी सम्मेलन में भाग लेने के लिये	0.40	---
4.	डा. सी एस मूर्ति, वैज्ञानिक 'एफ'	फ्रांस 17.11.98 से 27.11.98 तक	अधिशासी समिति के (यूनेस्को) के 31 वें सत्र में भाग लेने	0.93	---
5.	प्रो. पी साम्बन्द्र, परामर्शदाता	जर्मनी और नीदरलैंड, जुलाई 1998	पुराने पोत के अधिग्रहण की आवश्यकता और विशिष्टता पर सूचना प्राप्त करने और अंतिम रूप देने के लिये	2.38	---
आई आई पी, देहरादून					
6.	हिम्मत सिंह, वैज्ञानिक	अमेरिका 16.4.97 से 17.4.97 तक	चिकने तेल के एम सी ए की विश्व व्यापी भविष्य पर सिम्पोजियम में भाग लेने	1.47	-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	दौरे की अवधि तथा देश का नाम	दौरे का प्रयोजन	एल आर एफ से व्यय	टिप्पणी
7.	के एस जौहरी, वैज्ञानिक, आई आई पी	अमेरिका और फ्रांस, 14.4.97 से 28.4.97 तक	प्रौद्योगिकी अन्तरण सेमिनार में भाग लेने	1.45	
8.	वी के कपूर, वैज्ञानिक, आई आई पी	अमेरिका और कनाडा 6.10.97 से 28.10.97 तक	व्यवसाय विकास	2.22	—
9.	एम एम कुमार, वैज्ञानिक, आई आई पी	अमेरिका और कनाडा 6.10.97 से 28.10.97 तक	व्यवसाय विकास	2.28	—
10.	डा. टी एस आर प्रसाद राव, निदेशक	बीजींग (चीन) 12.10.97 से 24.10.97 तक	विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान में भाग लेने के लिए	2.19	—
11	वी के छिब्बर, वैज्ञानिक	इंग्लैंड 13.10.97 से 26.10.97 तक	उपस्कर प्रशिक्षण	0.69	—
12	ए के गुप्ता, वैज्ञानिक	ह्यूस्टन, न्यूजर्सी और शिकागो (अमेरिका) 6.11.97 से 19.11.97 तक	बहु राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ मीटिंग	1.80	—
13	के एस जौहरी, वैज्ञानिक	अमेरिका 4.1.98 से 10.1.98 तक	वाणिज्य समझौते पर वार्ता के लिए	1.45	—
14	सुधीर सिधंल	सिंगापुर 7.1.98 से 16.1.98 तक	सेमीनार और वार्षिक ईंधन तथा ल्यूब सम्मेलन में भाग लेने के लिए	1.58	—
15	ओ एन आनन्द, वैज्ञानिक	सिंगापुर 13.1.98 से 17.1.98 तक	मै./मौबिल से प्रौद्योगिकी को व्यापारिक बनाने के लिए वार्ता	0.99	—
16	जी मुरलीधर, वैज्ञानिक	केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका) 25.1.98 से 28.1.98 तक	सम्मेलन में भाग लेने के लिए	1.17	—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	दौरे की अवधि तथा देश का नाम	दौरे का प्रयोजन	एल आर एफ से व्यय	टिप्पणी
17	डा. एच यू खान, वैज्ञानिक	जर्मनी, चैक गणराज्य 12.3.98 से 11.5.98 तक	प्रौद्योगिकी का बाजारीकरण	0.44	—
18	डा. टी एस आर प्रसाद राव, निदेशक	ळयूस्टन, शिकागो(अमेरिका) 29.3.98 से 11.4.98 तक	संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेने तथा अमेरिकन कम्पनियों से वार्ता के लिए	1.66	—
19	डा हिम्मत सिंह, वैज्ञानिक	सिंगापुर और अमेरिका 8.4.98 से 10.4.98 तक तथा 11.4.98 से 17.4.98 तक	व्यवसाय विकास	1.02	—
20	जे एस दत्ता, तकनीकी अधिकारी	अमेरिका और इंग्लैंड 12.4.98 से 24.4.98	प्रशिक्षण	1.69	—
21	वी के भाटिया, वैज्ञानिक	मलेशिया 3.5.98 से 8.5.98 तक	व्यवसाय विकास	0.60	—
22	ए के सक्सेना, वैज्ञानिक	सिंगापुर 26.5.98 से 29.5.98 तक	सम्मेलन में प्रौद्योगिकी प्रस्तुत करने	1.45	—
23	एस एम ननोटी, वैज्ञानिक	सिंगापुर 26.5.98 से 29.5.98 तक	वही	1.29	—
24	एस एन शर्मा, वैज्ञानिक	सेन डियागो (अमेरिका) 17.6.98 से 26.6.98 तक	व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण हेतु	1.76	—
25	वी एस सैनी, वैज्ञानिक	रूस, फ्रांस और जर्मनी 20.6.98 से 29.6.98 तक	व्यवसाय विकास	1.18	—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	दौरे की अवधि तथा देश का नाम	दौरे का प्रयोजन	एल आर एफ से व्यय	टिप्पणी
26	विजय कणे केलकर, अध्यक्ष अनुसंधान परिषद, आई आई पी	शिकागो, ह्यूस्टन, वाशिंगटन, न्यूयार्क (अमेरिका) 29.7.98 से 12.8.98 तक	प्रौद्योगिकी विपणन के लिए चर्चा	2.17	सी एस आई आर के उपाध्यक्ष की संस्वीकृति नहीं ली गई
27	डा टी एस आर प्रसाद राव, निदेशक	पैरिस (फ्रांस) और ह्यूस्टन, फ्रैंकफर्ट शिकागो, वाशिंगटन, न्यूयार्क, तुल्सा (अमेरिका) 29.7.98 से 12.8.98 तक	प्रौद्योगिकी विपणन	3.67	—
28	के एस जौहरी, वैज्ञानिक	ह्यूस्टन, न्यूजर्सी, अमेरिका 7.9.98 से 19.9.98 तक	कार्यशाला/व्यवसायिक गोष्ठी में भाग लेने	2.11	—
29	के के गांधी, वैज्ञानिक	ह्यूस्टन, वाशिंगटन (अमेरिका) 7.9.98 से 19.9.98 तक	वही	1.87	—
30	ए के सक्सैना, वैज्ञानिक	ह्यूस्टन (अमेरिका) 7.9.98 से 19.9.98	वही	1.82	—
31	एम पी सक्सैना, वैज्ञानिक	शिकागो, न्यूजर्सी (अमेरिका) और जर्मनी 16.9.98 से 22.9.98 तक	प्रायोजित परियोजनाओं पर समीक्षा गोष्ठी में भाग लेने	1.33	—
32	ए के गुप्ता	वही	वही	0.63	—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	छौरे की अवधि तथा देश का नाम	दौरे का प्रयोजन	एल आर एफ से व्यय	टिप्पणी
33	डा एम ओ गर्ग, वैज्ञानिक	शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूजर्सी (अमेरिका) 3.10.98 से 11.10.98 तक	आई आई पी प्रौद्योगिकी को व्यवसायिक बनाने के लिये	2.17	—
34	डा. आलोक, सक्सेना वैज्ञानिक	वही	वही	2.15	—
35	एस के गोयल, वैज्ञानिक	इंगलैंड और अमेरिका 4.10.98 से 30.10.98 तक	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने, व्यवसाय विकास	1.51	—
36	के जी मित्तल, वैज्ञानिक	अमेरिका 4.10.98 से 9.10.98 तक	डप-रिफाइनरी के अन्तिम रूप की समीक्षा	1.19	—
37	वाई के कुच्छल, वैज्ञानिक	बीजींग (चीन) और सिंगापुर 16.11.98 से 21.11.98 तक	पैट्रोलियम अनुसंधान संस्थान के साथ प्रौद्योगिकी विनिमय	1.00	—
<b>कुल योग</b>				<b>53.91</b>	



## परिशिष्ट VII

घरेलू परियोजनाओं पर समय अतिक्रमण दर्शाती हुई विवरणी  
(संदर्भ-पृष्ठ 48 पर पैराग्राफ 3.2.4(क))

क्रमांक	परियोजना का नाम	लागत (रूपये लाखों में)	आरम्भ/ समापन की अनुमानित तिथि	आरम्भ होने की वास्तविक तिथि/समापन की वास्तविक तिथि	समय अतिक्रमण (मासों में)	टिप्पणी
1.	तापीय विद्युत संयंत्रों के टर्बोआल्टनेटरों के लिए बियरिंग्स की समीक्षा	1.826	01.04.90/ 28.02.92	01.04.90/ 30.05.92	3	कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई
2.	कोयले की तरल-तल का गैसी-करण	41.000	01.10.86/ 31.01.92	01.10.86/ 31.05.92	4	वही
3.	हारमोनिक ड्राइव/वेव जनरेटर का विकास	8.970	01.04.90/ 31.03.91	01.04.90/ 31.03.96	60	प्रौद्योगिकी विकसित की गई किन्तु अन्तरित नहीं हुई
4.	अल्यूमिनियम मिश्र धातु के बाइसाइकिल हब निर्माण की प्रौद्योगिकी और कोल्ड फार्मिंग प्रक्रिया का विकास	5.000	01.01.96/ 30.06.96	01.01.96/ 30.04.97	10	1) वही 2) प्रशिक्षण के लिए भेजा गया किन्तु रिपोर्ट सुगमता से उपलब्ध नहीं थी
5.	अन्तर्ग्रस्त विनिर्माण प्रौद्योगिकियों सहित ग्लोबिआइडल कैम प्रयोग करने वाली उच्च गति इंडेक्सिंग की डिजाइन और विकास	20.000	01.07.96/ 31.03.97	01.07.96/ 31.07.98	16	प्रौद्योगिकी विकसित की गई किन्तु अन्तरित नहीं हुई
6.	यांत्रिक तुला का रूपान्तरण	1.100	01.07.97/ 31.12.97	01.07.97/ 15.09.98	9	वही
	योग	77.896				

परिशिष्ट VIII

1994-99 के दौरान वैज्ञानिकों को उनके सकल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक दिया गया मानदेय  
(संदर्भ - पृष्ठ 76 पर पैराग्राफ सं 3.3.4 (घ))

वैज्ञानिकों के नाम	वर्ष	सकलवेतन (रूपयों में)	मानदेय प्राप्ति (रूपयों में)	प्रतिशतता
सी एन घोष	1995-96	62248	48612	78.09
डा. अजय कुमार सिंह (वरिष्ठ)	1996-97	73791	48653	65.93
एन सहाय	1996-97	93568	52010	55.58
प्रदीप कुमार सिंह	1994-95	63212	39233	62.06
सुजीत कुमार मंडल	1995-96	72492	40366	55.68
पी के मंडल	1997-98	92911	61017	65.67
सूरज कुमार दास	1994-95	95695	68384	71.46
	1995-96	110988	59666	53.76
	1998-99	257548	143492	55.71
डा. बी.के. सिंह	1995-96	106354	53500	50.30
एम के बर्मन	1997-98	36358	34348	94.47
जे अचारी	1994-95	110360	68384	61.96
	1995-96	155916	77871	49.94
	1996-97	161537	113433	70.22
	1998-99	269266	180692	67.11
आर बी सिंह	1995-96	129129	99945	77.40
डा. पी प्रसाद	1995-96	116883	73169	62.60
बी के तिवारी	1998-99	277465	196052	70.66
डा. डी एन ठाकुर	1995-96	166878	97338	58.33
बी डी बलीघा	1994-95	141220	100000	70.81
डा. आर सैरी	1994-95	140420	99500	70.86
	1995-96	162710	105500	64.84
डा. जे एल जटवार	1997-98	239398	189558	79.18
डा. टी एन सिंह	1995-96	165078	124500	75.42
	1996-97	185501	143336	77.27
	1997-98	288914	362086	125.33
	1998-99	368666	581776	157.81
प्रो. बी बी धर	1994-95	153064	99999	65.33
	1995-96	173796	143879	82.72
	1996-97	195842	186358	95.16
	1997-98	85347	103606	121.39
डा. नूर अहमद	1998-99	113194	69972	61.82
डा. जोहरी लाल पी.	1997-98	26059	18930	72.64